

सत्रह बिन्दुओं वाली सूचना का अधिकार हस्तपुस्तिका
(RTI MANUAL)

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005
(15 जून, 2016 तक का विवरण)



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय: हल्द्वानी
जिला— नैनीताल (उत्तराखण्ड)
पिन कोड— 263139

विवरणिका

	Page No
प्राकथन	01 – 01
मैनुअल सं0– 01 (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य)	02 – 06
मैनुअल सं0– 02 (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य)	07 – 28
मैनुअल सं0– 03 (विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिससे पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित है)	29 – 33
मैनुअल सं0– 04 (अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान)	34 – 34
मैनुअल सं0– 05 (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख)	(35 – 93)
 विविध	
अध्याय– 01 (प्रारम्भिक)	36 – 37
अध्याय– 02 (विश्वविद्यालय एवं उसके उद्देश्य)	37 – 40
अध्याय– 03 (निरीक्षण तथा जॉच)	40 – 41
अध्याय– 04 (विश्वविद्यालय के अधिकारी)	41 – 43
अध्याय– 05 (विश्वविद्यालय के प्राधिकारी)	43 – 44
अध्याय– 06 (विश्वविद्यालय निधि)	44 – 45
अध्याय– 07 (परिनियम, अध्यादेश और विनियम)	46 – 47
अध्याय– 08 (वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा)	48 – 48
अध्याय– 09 (कर्मचारियों की सेवा शर्तें)	48 – 49
अध्याय– 10 (प्रकीर्ण)	49 – 50
अध्याय– 11 (विविध एवं संक्रमणकालीन उपबंध)	50 – 51
अनुसूची (विश्वविद्यालय के उद्देश्य)	52 – 52

उत्तराखण्ड शासन प्रथम परिनियमावली 2009

अध्याय— 01 (प्रारम्भिक)	53 — 53
अध्याय— 02 (कुलाधिपति की शक्तियों)	54 — 54
अध्याय— 03 (कुलपति)	55 — 57
अध्याय— 04 (निदेशक, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारी)	57 — 61
अध्याय— 05 (विश्वविद्यालय के प्राधिकारी)	61 — 72
अध्याय— 06 (विश्वविद्यालय के अध्यापक)	73 — 87
अध्याय— 07 (कर्मचारी वर्ग, अध्यापक से भिन्नद्वं की सेवा के निबन्धन और शर्तें)	87 — 88
अध्याय— 08 (उपाधियों और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना)	88 — 88
अध्याय— 09 (किसी उच्च शिक्षा संस्था की मान्यता)	89 — 89
अध्याय— 10 (दीक्षान्त समारोह)	89 — 89
अध्याय— 11 (अधिभार)	90 — 91
अध्याय— 12 (वार्षिक प्रतिवेदन)	91 — 91
अध्याय— 13 (अध्यादेश और विनियम) सेवा के निबन्धन और शर्तें)	92 — 93
मैनुअल सं0— 06 (ऐसे दस्तवेजों के, जो उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा धारित या उसके नियत्रणाधीन है, प्रवर्गों का वितरण)	94 — 97
मैनुअल सं0— 07 (किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यामान हैं)	98 — 98
मैनुअल सं0— 08 (ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण)	99 — 99
मैनुअल सं0— 09 (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी निर्देशिका)	105 — 105
मैनुअल सं0— 10 (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रत्येक	106 — 114

	अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति)	
मैनुअल सं0— 11	(उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों) पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने अभिकरण को आंबटित बजट.	115 — 121
मैनुअल सं0— 12	(सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें रीति आंबटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित हैं।)	122 — 122
मैनुअल सं0— 13	(अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां।)	123 — 123
मैनुअल सं0— 14	(किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।)	123 — 123
मैनुअल सं0— 15	(सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।)	124 — 124
मैनुअल सं0— 16	(लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां)	125 — 125
मैनुअल सं0— 17	(उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय।)	(126 —151)
	(क) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिये चयनित अध्ययन केन्द्रों की संख्या एवं अन्य विवरण	126 — 137
	(ख) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों में प्रभावी नियन्त्रण समनवयक हेतु गठित क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरण	138 — 138
	(ग) विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण	139 — 143
	(घ) विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम एवं उनमें पंजीकृत विद्यार्थियों का विवरण	144 — 146

प्राककथन

उत्तराखण्ड राज्य की समृद्ध परम्पराओं के आधार पर राज्य की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय संस्थानों की उन्नति और अभिवृत्ति के लिये शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और विस्तार के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना अधिनियम संख्या-23 वर्ष 2005 द्वारा की गयी है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न आधार अवधारित किये गये हैं:-

1. देश की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों का निर्माण।
2. श्रमजीवी जनता, घरेलू महिलायें तथा ऐसे वयस्कों, जो विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन के इच्छुक हों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान कराना।
3. विकास एवं सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप अनुसंधान, शोध, प्रशिक्षण एवं कुशलता वृद्धि के अवसर उपलब्ध कराना।
4. विभिन्न विधाओं में विद्या की अभिवृद्धि और विशिष्टता के उद्देश्य से पाठ्यक्रमों का मिश्रण कर पाठ्यक्रमों को विरचित करना।
5. औपचारिक पद्धति के अनुपूरक के रूप में अनौपचारिक पद्धति के रूप में पाठ्यक्रमों का विकास तथा साफ्टवेयर के समुचित प्रयोग द्वारा गुणवत्ता का अन्तरण।
6. विभिन्न कलाओं, शिल्पों कुशलताओं की गुणवत्ता में सुधार कर जनसामान्य के लिये प्रशिक्षण आयोजित करना।
7. विभिन्न संस्थाओं के लिये अपेक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देना।
8. राष्ट्रीय एकता एवं मानव व्यक्तित्व का समन्वित विकास।
9. दूरस्थ एवं अनुवर्ती शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिये प्रयास करना तथा अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के संयोग से नवीनतम ज्ञान और नई शिक्षण प्रौद्योगिकी के आधार पर उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गयी है जिनके माध्यम से अधिसंख्य प्रदेश वासियों को उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ कराने का सतत प्रयास किया जा रहा है। आशा है कि विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये जा रहे कार्यों से राज्य के सभी वर्ग लाभान्वित होंगे।

मैनुअल संख्या: 1

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

1. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2005 (अधिसूचना संख्या 608/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 दिनांक 31 अक्टूबर, 2005) द्वारा स्थापित किया गया है। अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से जिसमें संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग भी है अधिसंख्यक जनसमुदाय में शिक्षा व ज्ञान के प्रसार में अभिवृद्धि करेगा और अपने कियाकलापों को संचालित करने का सम्यक् ध्यान रखेगा।
2. प्रारम्भ में विश्वविद्यालय को भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 अप्रैल, 2011 के माध्यम से 10 हेठल भूमि हस्तान्तरित की गयी है। उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या जी0आई0 2557 / 7-1-2011-800(1756) / 2006 दिनांक 28 अप्रैल, 2011 द्वारा भूमि अधिग्रहण का आदेश हुआ है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी से आवंटित भूमि का आदान-प्रदान दिनांक 05 मई, 2011 को विश्वविद्यालय द्वारा कर लिया गया है तथा कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी के पत्र संख्या 3478 / 12-1(2) दिनांक 10 / 05 / 2011 के माध्यम से वन भूमि के आदान प्रदान प्रमाण-पत्र दिनांक 05.05.2011 को निर्गत किया जा चुका है।
3. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या संख्या 02 / XXIV(6)/2006 दिनांक 03 जुलाई, 2006, संख्या 13 / XXIV(6)/2010 दिनांक 22 मार्च, 2010 एवं संख्या 53 / XXIV(6)/2011 दिनांक 11 अगस्त, 2011 के माध्यम से विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों का सृजन किया गया। सृजित पदों का विवरण निम्नवत है—

क) प्राध्यापक (आचार्य) पदों का विवरण :—

क्रो सं०	शासनादेश संख्या जिसके माध्यम से पदों का सृजन किया है।	सृजित पदों का विवरण (प्राध्यापक)		पूरित पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
		विषय का नाम	पदों की संख्या		
1	संख्या 02 / XXIV(6)/2006 दिनांक 03 जुलाई, 2006	अंग्रेजी	01	01	—
2		इतिहास	01	01	—
3		कम्प्यूटर साइंस	01	01	—
4		मैनेजमेन्ट	01	01	—
5		शिक्षा शास्त्र	01	—	01
6		वाणिज्य	01	—	01
7		होटल मैनेजमेन्ट	01	—	01
8	संख्या 13 / XXIV(6)/2010 दिनांक 22 मार्च, 2010	पत्रकारिता एवं जनसंचार	01	01	—
9		कृषि	01	—	01
10	संख्या 53 / XXIV(6)/2011 दिनांक 11 अगस्त, 2011	विधि	01	—	01
11		मैकेनिकल इंजिनियरिंग	01	—	01
12		समाज शास्त्र	01	—	01
13		शिक्षा शास्त्र	01	—	01
14		राजनीति शास्त्र	01	—	01
कुल पद			14	05	09

ख) सह प्राध्यापक पदों का विवरण :—

क्रम सं०	शासनादेश संख्या जिसके माध्यम से पदों का सृजन किया है।	सृजित पदों का विवरण (प्राध्यापक)		पूरित पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
		विषय का नाम	पदों की संख्या		
1	संख्या 1041 / XXIV(6)/2014/24(1)13, दिनांक 15 जुलाई, 2014	विकास अध्ययन	01	—	01
2		शिक्षक शिक्षा	01	—	01
3		कम्प्यूटर साइंस	01	—	01
4		पत्रकारित एवं जनसंचार	01	—	01
5		वाणिज्य	01	—	01
6		गणित	01	—	01
7		जन्म विज्ञान	01	—	01
8		हिन्दी	01	—	01
9		इतिहास	01	—	01
10		अर्थशास्त्र	01	—	01
कुल पद			10		10

ग) सहायक प्राध्यापक (प्रवक्ता) पदों का विवरण :—

क्रम सं०	शासनादेश संख्या जिसके माध्यम से पदों का सृजन किया है।	सृजित पदों का विवरण (सहायक प्राध्यापक)		पूरित पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
		विषय का नाम	पदों की संख्या		
1.	संख्या 02 / XXIV(6)/2006 दिनांक 03 जुलाई, 2006	शिक्षा शास्त्र	02	02	—
2.		कम्प्यूटर साइंस	01	01	—
3.		पर्यटन	01	01	—
4.		मैनेजमेन्ट	02	02	—
5.		वाणिज्य	01	01	—
6.		होटल मैनेजमेन्ट	01	01	—
7.		अंग्रेजी	01	01	—
8.		हिन्दी	01	01	—
9.		अर्थशास्त्र	01	—	01
10.		राजनीति शास्त्र	01	01	—
11.		समाज शास्त्र	01	01	—
12.		इतिहास	01	01	—
13.	संख्या 13 / XXIV(6)/2010 दिनांक 22 मार्च, 2010	पत्रकारिता एवं जनसंचार	01	01	—
14.		कृषि	01	01	—
15.		वानिकी	01	01	—
16.		आयुर्वेद	01	01	—
17.		लाइब्रेरी साइंस	01	—	01
18.		भौतिकी	01	01	—
19.		संस्कृत	01	01	—
20.		रसायन विभाग	01	—	रसायन विज्ञान विषय में साक्षात्कार सम्पन्न किया जा चुका है। कार्य परिषद केसमक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत

					किया जाना है।
21.	संख्या 53 / XXIV(6)/2011 दिनांक 11 अगस्त, 2011	योग	01	01	—
22.		शिक्षा शास्त्र	02	02	—
23.		ज्योतिष	01	—	01
24.		एम.एस.डब्लू	01	01	—
25.	संख्या 1041 / XXIV(6)/2014/24(1)13, दिनांक 15 जुलाई, 2014	विधि	01	—	01
26.		वनस्पति विज्ञान	01	—	01
27.		भूगोल	01		01
28.		मनोविज्ञान	01	—	01
29.	संख्या 1041 / XXIV(6)/2014/24(1)13, दिनांक 15 जुलाई, 2014	लोक प्रशासन	01		01
30.		स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज	01	—	01
31.		लाइब्रेरी साइंस एवं सूचना साइंस	01	—	01
कुल पद			34	23	10

4. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 890 / XXIV(6)/2005 दिनांक 18 नवम्बर, 2005, संख्या: 02 / XXIV(6)/2006 दिनांक 13 जनवरी, 2006, संख्या: 02 / XXIV(6)/2006 दिनांक 03 जुलाई, 2006, संख्या 13 / XXIV(6)/2010 दिनांक 22 जनवरी, 2010, संख्या: 13 / XXIV(6)/2010 दिनांक 06 जुलाई, 2010, एवं संख्या 53 / XXIV(6)/2011 दिनांक 02 फरवरी, 2011, 101 / 23(1)13 / / XXIV(6), दिनांक 08/02/2014 के माध्यम से विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर पदों का सृजन किया गया। सृजित पदों का विवरण निम्नवत है:

		अस्थाई			संविदा/प्रतिनियुक्ति			आउटसोर्सिंग		
क्र0 सं0	विभिन्न वर्गों के पदों का नाम	पदों की संख्या	पूरित	रिक्त	पदों की संख्या	पूरित	रिक्त	पदों की संख्या	पूरित	रिक्त
1.	कुलपति	01	01	—	—	—	—	—	—	—
2.	परीक्षा नियन्त्रक	01	01	—	—	—	—	—	—	—
3.	कुलसचिव	01	—	01	—	—	—	—	—	—
4.	वित्त अधिकारी	01	01	—	—	—	—	—	—	—
5.	सहायक क्षेत्रीय निदेशक	08	—	08	—	—	—	—	—	—
6.	उपकुलसचिव	01	—	01	—	—	—	—	—	—
7.	सहायक कुलसचिव	03	02	01	—	—	—	—	—	—
8.	जनसम्पर्क अधिकारी	01	01	—	—	—	—	—	—	—

9.	आशुलिपिक ग्रेड-1	01	01	-	03	01	02	-	-	-
10.	वैयक्तिक सहायक (कुलपति कार्यालय)	01	-	01	-	-	-	-	-	-
11.	लेखाकार	01	-	01	-	-	-	-	-	-
12.	सहायक लेखाकार	02	-	02	-	-	-	-	-	-
13.	कैशियर	01	-	01	-	-	-	-	-	-
14.	सहायक स्टोर कीपर	01	-	01	-	-	-	-	-	-
15.	क्रय सहायक	01	-	01	-	-	-	-	-	-
16.	कनिष्ठ सहायक	12	-	12	02	-	02	-	-	-
17.	सिस्टम मैनेजर	-	-	-	01	-	01	-	-	-
18.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	-	-	-	02	02	-	-	-	-
19.	हार्डवेयर इंजीनियर	-	-	-	02	02	-	-	-	-
20.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2		-	-	01	01	-	-	-	-
21.	पुस्तकालयाध्यक्ष	-	-	-	01	-	01	-	-	-
22.	प्रवर सहायक		-	-	02	-	02	-	-	-
23.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	-	-	-	02	-	02	02	01	01
24.	नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर/ नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	-	-	-	01	01	-	01	01	-
25.	वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर	-	-	-	-	-	-	01	01	-
26.	कम्प्यूटर लिफ्टे पी.ए.	-	-	-	-	-	-	02	01	01
27.	कम्प्यूटर लिफ्टे एकाउन्टेंट	-	-	-	-	-	-	02	01	01
28.	कम्प्यूटर लिफ्टे स्टेनो	-	-	-	-	-	-	02	01	01
29.	कलर्क कम टाइपिस्ट	-	-	-	-	-	-	01	01	-
30.	कम्प्यूटर टाइपिस्ट	-	-	-	-	-	-	01	-	*01
31.	कम्प्यूटर लिफ्टे कलर्क	-	-	-	-	-	-	09	09	-
32.	डाटा इंट्री ऑपरेटर	-	-	-	-	-	-	02	02	-
33.	कैटलागर्स	-	-	-	-	-	-	02	02	-
34.	कोऑडिनेटर	-	-	-	-	-	-	08	08	-

35.	हाइवर	—	—	—	—	—	—	03	01	*02
36.	इलैक्ट्रीशियन	—	—	—	—	—	—	01	01	—
37.	लैब अस्सिटेंट	—	—	—	—	—	—	01	01	—
38.	अस्सिटेंट प्रोग्रामर	—	—	—	—	—	—	01	—	01
39.	चतुर्थ <u>श्रेणी / गार्ड</u>	—	—	—	—	—	—	26	22	*04
	कुल संख्या	37	07	30	17	07	10	65	53	12

नोट : कुलसचिव के पद का अतिरिक्त दायित्व विश्वविद्यालय के प्राध्यापक को दिया गया है।

* विश्वविद्यालय स्थापना से कार्यरत कार्मिकों हेतु चिन्हित।

मैनुअल संख्या : 2

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

<p>कुलाधिपति— परिनियम की धारा 3</p>	<p>3.</p> <p>(1) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर, जो उन्हें धारा 40 के अधीन निर्दिष्ट किया जाय, विचार करते समय विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिसे वह आवश्यक समझे, मांग सकते हैं, और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांग सकते हैं और ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं, जिसे वह उचित समझें।</p> <p>(2) निम्नलिखित किन्हीं परिस्थितियों में कुलाधिपति, किसी उपर्युक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिए, जैसा वह विनिर्दिष्ट करें, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेंगे—</p> <p>(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुल सचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जायेगी,</p> <p>(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे परिनियम 3 के खण्ड (1) से खण्ड (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो,</p> <p>(ग) किसी अन्य आपात स्थिति में;</p> <p>परन्तु यह कि कुलाधिपति इस परिनियम के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय—समय पर बढ़ा सकेंगे, किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि, जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है, एक वर्ष से अधिक न हो।</p> <p>(3) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जानबूझकर अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।</p> <p>(4) परिनियम 2 के खण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाये,</p> <p>(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे वह परिलक्षियां प्राप्त होती रहेगी, जिनके लिए वह अन्यथा, परिनियम 4 के खण्ड (8) के अधीन हकदार था।</p> <p>(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का निर्वहन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।</p>
--	---

**कुलपति –
परिनियम की
धारा 4**

4

(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा परिनियम 3 के खण्ड (2) या परिनियम 4 के खण्ड (5) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम परिनियम 4 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों।

(2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से संचित होगी, अर्थातः—

- (क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रख्यात शिक्षाविद;
- (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव, जो सदस्य संयोजक होगा।

(3) परिनियम 4 के अधीन, पदावधि की समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाए, ऐसी तारीख के पूर्व, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी, जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय ऐसे व्यक्तियों में से, जिनकी संस्तुति की गयी है, प्रत्येक की शैक्षिक अईताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी, किन्तु वह उनमें कोई अधिमान क्रम उपदर्शित नहीं करेगी।

(4) जहां कुलाधिपति ऐसे व्यक्तियों में से, जिनकी संस्तुति की गयी है या जिनकी समिति द्वारा सिफारिश की गयी है, किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझते हैं, अथवा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की गयी है उनमें से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो कुलाधिपति समिति से, परिनियमों के अनुसार, नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(5) यदि समिति परिनियम 4 के खण्ड (3) या परिनियम 4 के खण्ड (4) में निर्दिष्ट दशा में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असमर्थ है, या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नामों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं, तो कुलाधिपति शिक्षा-क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्ति करेंगे, जो परिनियम 4 के खण्ड (3) के अनुसार नाम प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसके संबंध में बाद में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(7) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की

अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा;

परन्तु यह कि कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा कुलपति किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपने पद पर नहीं बना रहेगा।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की परिलक्षियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(9) कुलपति अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के फायदे का हकदार न होगा;

परन्तु यह कि जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाये तो उसे उस भविष्य निधि में जिसका वह अभिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा, जिस सीमा तक वह उसके कुलपति नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा है।

(10) जब तक कि कोई कुलपति परिनियमावली के अधीन अपने पद का कार्यभार न संभाल ले, तब तक विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(11) कुलपति—

(क) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय की बैठकों और विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ;

(ख) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र समुचित दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(12) कुलपति धारा 16 के अधीन यथा उल्लिखित विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(13) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु उसे इस परिनियम के अधीन मत देने का हकदार नहीं होगा।

(14) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 10 तथा 40 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उस निमित्त आवश्यक हों।

(15) कुलपति को कार्य परिषद् योजना बोर्ड, विद्यापरिषद् वित्त-समिति तथा सभी अन्य साविधिक समितियों की बैठकें बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी।

(16) जहां विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई

ऐसा अत्यावश्यक मामला है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना तत्काल कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण प्रक्रिया में मामले के संबंध में कार्यवाही करते;

परन्तु यह कि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा;

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित के रूप में प्रभावी होगी। किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तरण से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

परन्तु अग्रत्तर यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस परिनियमावली के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यक्ति हो, ऐसी कार्यवाही के उस तारीख से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के अन्दर कार्यपरिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्यपरिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्टि या उपान्तरित कर सकेगी या उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगी।

(17) परिनियम 4 के खण्ड (6) में किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय-व्यय में न की गयी हो।

(18) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्यादेश द्वारा अधिकथित की जाये।

(19) कुलपति—

(एक) अनुदेशकों, पाठ्यक्रम लेखकों, पटकथा लेखकों, काउन्सलरों, परामर्शदाताओं, प्रोग्रामरों, कलाकारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझा जायें,

(दो) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक समझे जायें, और अध्यादेशों में अधिकथित प्रक्रिया अनुसार चयनित हो, एक समय में छः मास से अनधिक की अवधि के लिए अल्पकालिक नियुक्तियां कर सकता है;

(तीन) समय-समय पर यथाअपेक्षित रूप से विभिन्न स्थानों पर अध्ययन केन्द्रों और प्रोग्राम केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण

	<p>करेगा और विश्वविद्यालय अपने किसी कर्मचारी को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा जो उक्त केन्द्रों के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझी जायें;</p> <p>(चार) विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और प्रशासकों की समिति या समितियां गठित करेगा, जो कि विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक हों।</p>
निदेशक— परिनियम की धारा 5	<p>5</p> <p>(1) निदेशक, प्रत्येक विद्या शाखा से वरिष्ठता के आधार पर आचार्यों में से चक्रानुक्रम के अनुसार कुलपति द्वारा अधिकतम 3 वर्षों हेतु अथवा अधिवर्षता पूर्ण होने जो भी पहले हो तक नियुक्त किये जायें। निदेशक विद्या शाखा के अन्तर्गत समस्त विभागों/विषयों में अकादमिक कार्यों में समन्वय स्थापित करेंगे।</p> <p>(2) निदेशकों की सेवा की अन्य शर्तें एवं वेतन परिलक्षियाँ इत्यादि ऐसी होंगी_जैसी कि विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग के लिए विहित हैं।</p>
कुलसचिव— परिनियम की धारा 6	<p>6</p> <p>(1) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर की जायेगी। कुलसचिव के नियंत्रणाधीन उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव भी अन्य राज्य विश्वविद्यालय की तरह ही राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ;</p> <p>परन्तु यह कि यदि किन्हीं कारणों से लोक सेवा आयोग कुलसचिव की नियुक्ति करने में असमर्थ रहता है अथवा यह पद रिक्त रहता है तो कुलपति राज्य सरकार से परामर्श कर विश्वविद्यालय के आचार्यों/उपाचार्यों में से किसी व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त कर सकेगा या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त करने का निर्देश ले सकेगा।</p> <p>(2) कुलसचिव की परिलक्षियां ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाय।</p> <p>(3) कुलसचिव की सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) के अधीन बनाई गयी उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।</p> <p>(4) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। कुलसचिव, कार्य—परिषद् योजना बोर्ड, विद्या परिषद् और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गठित प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें या कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय—समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह मत देने का हकदार न होगा।</p> <p>(5) कुलसचिव को अधिनियम और परिनियमावली में यथा</p>

	<p>उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जाएगा और न ही वह स्वीकार करेगा।</p> <p>(6) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुलसचिव का अनुशासनिक नियंत्रण निम्नलिखित के सिवाय विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों पर होगा:—</p> <ul style="list-style-type: none"> (क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण ; (ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों या पारिश्रमिक वाले कोई पद धारण कर रहे हों या किसी अन्य हैसियत से, यथा परीक्षक या अंतरीक्षक (इनविजिलेटर) हों; (ग) पुस्तकालयाध्यक्ष ; <p>(7) परिनियम 6 के खण्ड (6) में निर्दिष्ट अनुशासनिक नियंत्रण से सम्बन्धित किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, परिनियम 18 के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को कुल सचिव के माध्यम से अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।</p> <p>(8) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव का निम्नलिखित कर्तव्य होगा:—</p> <ul style="list-style-type: none"> (क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होना जब तक कि कार्य-परिषद् द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो; (ख) विभिन्न प्राधिकारियों की बैठक से संबंधित प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिए समस्त सूचनायें जारी करना और ऐसे समस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखना; (ग) कार्य-परिषद्, विद्या-परिषद, योजना बोर्ड और मान्यता बोर्ड का सरकारी पत्राचार; (घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना, जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो; (ङ.) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करना अभिवचनों का सत्यापन करना।
वित्त अधिकारी— परिनियम की धारा 7	<p>7</p> <p>(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा। वित्त अधिकारी की नियुक्ति वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों में से की जायेगी। उसकी परिलक्षियाँ और सेवा की अन्य शर्तें, राज्य सरकार के वित्त एवं लेखा सेवा के लेखाधिकारियों पर लागू नियमों और आदेशों द्वारा शासित होगी। वित्त अधिकारी को संदेय परिलक्षियों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।</p> <p>(2) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा वित्त अधिकारी</p>

अस्वरूपता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा, नाम—निर्दिष्ट किसी एक विद्या—शाखा निदेशक द्वारा किया जायेगा और यदि किसी कारण ऐसा करना साध्य न हो तो कुल सचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जायें।

- (3) वित्त अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे:—
 - (क) कार्य परिशद में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा;
 - (ख) विश्वविद्यालयों के क्रिया—कलाओं से संबंधित ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करना, ऐसी सूचना को प्रस्तुत करना, जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक हों;
 - (ग) कार्य परिषद के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण;
 - (घ) यह सुनिश्चित करना, कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय, जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाए;
 - (ङ.) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जिससे अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन होता हो;
 - (च) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाए और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;
 - (छ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है;
 - (ज) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना;
 - (झ) किसी वित्तीय मामले में स्वतः या अपेक्षित होने पर उसका परामर्श देना ;
 - (ञ) नकदी तथा बैंक में जमा राशि तथा विनिधान की स्थिति पर लगातार निगरानी रखना;
 - (ट) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का संवितरण करना और उसके लेखे रखना ;
 - (ठ) यह सुनिश्चित करना कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपभोज्य अन्य सामग्रियों के भण्डार (स्टॉक) की नियमित जांच की जाती है;
 - (ड) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं जांच करना और समक्ष प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देना;
 - (ढ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई

	<p>सूचना अथवा विवरणी मांगना, जिसे यह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे;</p> <p>(ए) विश्वविद्यालय 14 लेखों की निरन्तर आन्तरिक लेखा परीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करना, और उन बिलों की पूर्व लेखा परीक्षा करना, जो तत्संबंधी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हों;</p> <p>(त) वित्तीय मामलों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन, जो उसे कार्य-परिषद् अथवा कुलपति द्वारा सौंपे जायें;</p> <p>(थ) विश्वविद्यालय 14 लेखा और लेखा परीक्षा अनुभाग के सहायक कुलसचिव (लेखा), यदि कोई हो, से निम्न स्तर के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखना और उप-कुलसचिव, सहायक कुलसचिव (लेखा) और लेखाधिकारी, यदि कोई हो के कार्य का पर्यवेक्षण करना।</p> <p>(4) यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के संबंध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाये, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।</p>
परीक्षा नियंत्रक—परिनियम की धारा 8	<p>(8) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुत व्यक्ति विश्वविद्यालय के उपाचार्य से निम्न पंक्ति का नहीं होगा ;</p> <p>परन्तु यह कि यदि किन्हीं कारणों से पूर्णकालिक परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति न हो पाने की दशा में कुलपति विश्वविद्यालय के आचार्यों/उपाचार्यों में से किसी को तात्कालिक व्यवस्था के रूप में परीक्षा नियंत्रक नियुक्त कर सकेगा ।</p> <p>(1) परीक्षा नियंत्रक की परिलक्षियां ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित की जायें ।</p> <p>(2) परीक्षा नियंत्रक की सेवा की अन्य शर्तें, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए इस परिनियमावली द्वारा विहित की गयी सेवा की शर्तों द्वारा शासित होंगी ।</p> <p>(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा । वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो । वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जायें या कार्य-परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय—समय पर अपेक्षित हों किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा । वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय, या विद्या—शाखा या अध्ययन केन्द्र से कोई सूचना, ऐसे विवरण प्रस्तुत करने या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो ।</p> <p>(4) परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा ।</p>

	<p>(5) कुलपति और परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्संबंधी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तदायी होगा।</p> <p>(6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार स्वीकार्य के शिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।</p>								
विश्वविद्यालय के अध्यापक – परिनियम की धारा 20	<p>20 विश्वविद्यालय में अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे:–</p> <p>(क) आचार्य;</p> <p>(ख) उपाचार्य;</p> <p>(ग) प्राध्यापक</p> <p>21 प्राध्यापक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्त हेतु प्राध्यापकों/असिस्टेन्ट प्रोफेसर की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।</p> <p>22 उपाचार्य के लिए समय–समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्त हेतु उपाचार्य/एसोसिएट प्रोफेसर की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।</p> <p>23. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्त हेतु आर्चार्यों/प्रोफेसर की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।</p> <p>24 कुलसचिव वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा तथा प्रवृत्त नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसे अनुमोदन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा।</p> <p>25</p> <p>(1) कुलसचिव, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा कराकर और दो व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्रों में और रोजगार समाचार में विज्ञापन देकर, रिक्तियां अधिसूचित करेगा।</p> <p>(2) आचार्य, उपाचार्य और प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होगी। चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:–</p> <table> <tr> <td>(क) कुलपति</td> <td>अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>(ख) सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ आचार्यों और उपाचार्यों के लिए और एक विशेषज्ञ प्राध्यापक के लिए सदस्य</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3) चयन समिति के कुल सदस्यों के बहुमत से गणपूर्ति होगी; परन्तु, यह कि आचार्य या उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थिति व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ और प्राध्यापक के मामले में एक विशेषज्ञ होना आवश्यक है।</td> <td></td> </tr> </table>	(क) कुलपति	अध्यक्ष	(ख) सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष	सदस्य	(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ आचार्यों और उपाचार्यों के लिए और एक विशेषज्ञ प्राध्यापक के लिए सदस्य		(3) चयन समिति के कुल सदस्यों के बहुमत से गणपूर्ति होगी; परन्तु, यह कि आचार्य या उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थिति व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ और प्राध्यापक के मामले में एक विशेषज्ञ होना आवश्यक है।	
(क) कुलपति	अध्यक्ष								
(ख) सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष	सदस्य								
(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ आचार्यों और उपाचार्यों के लिए और एक विशेषज्ञ प्राध्यापक के लिए सदस्य									
(3) चयन समिति के कुल सदस्यों के बहुमत से गणपूर्ति होगी; परन्तु, यह कि आचार्य या उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थिति व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ और प्राध्यापक के मामले में एक विशेषज्ञ होना आवश्यक है।									

	<p>(4) चयन समिति द्वारा की गयी कोई संस्तुति, तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन के लिए सहमत न हो।</p> <p>(5) यदि कार्य-परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को स्वीकार में असमर्थ है तो ऐसी अस्वीकृति के लिए, कारणों को अभिलिखित करते हुए, अंतिम आदेशों के लिए मामले को कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।</p> <p>(6) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए, चयन समिति की बैठक कुलपति के आदेशों के अधीन, बुलायी जायेगी।</p> <p>(7) साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।</p> <p>(8)(क) चयन समिति, नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थियों की संस्तुत कर सकती है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनके नामों को श्रेष्ठताक्रम में व्यवस्थित करेगी।</p> <p>(ख) चयन समिति यह संस्तुति कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायेगा।</p> <p>(9) चयन समिति की बैठक साधारणतया विश्वविद्यालय के मुख्यालय में होगी। विशेष परिस्थितियों में, कुलाधिपति के पुर्वानुमोदन से, चयन समिति की बैठक अन्यत्र की जा सकती है।</p> <p>(10) चयन समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना कम से कम पन्द्रह दिन दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने के तारीख से की जायेगी। नोटिस की तामीली व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।</p> <p>(11) अभ्यर्थियों को चयन समिति की बैठक सूचना कम से कम पन्द्रह दिन से पूर्व दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने के तारीख से की जायेगी। सूचना की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।</p> <p>(12) चयन समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान, अध्यादेशों में विहित दरों पर किया जायेगा।</p>
26	परिनियम 4 के खण्ड (19) अधीन, कुलपति में निहित शक्तियों के सिवाय, प्रत्येक अध्यापक इस परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य – परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
27	<p>(1) प्रत्येक अध्यापक एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।</p> <p>(2) कार्य-परिषद्, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकती है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक की अवधि बढ़ायी जाय;</p> <p>परन्तु यह कि किसी भी परिस्थिति में, परिवीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी;</p> <p>परन्तु यह और कि कार्य-परिषद्, कारणों को अभिलिखित</p>

करते हुए, परिवीक्षा अवधि की शर्तों को छोड़ सकती है;

परन्तु यह और भी कि यदि किसी मामले में कार्य-परिषद् कोई कार्यवाही करने में विफल रहती है, तो अध्यापक, परिवीक्षा की अवधि के पश्चात्, स्थायी समझा जायेगा।

(3) (क) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या कार्य-परिषद् द्वारा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा।

(ख) कुलसचिव कार्य-परिषद् के समक्ष स्थायीकरण के लिए अध्यापकों की सूची, उनकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत करेगा।

(ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय;

(4) कोई अध्यापक, लिखित रूप में, उचित माध्यम से, कार्य-परिषद् को तीन मास की सूचना देते हुए किसी भी समय त्याग-पत्र दे सकता है;

परन्तु, यह कि कार्य-परिषद् अपने विवेक से सूचना अवधि की बाध्यता को समाप्त कर सकती है।

(5) विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों का वेतन और भत्ता वहीं होंगे, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।

(6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक से, परिशिष्ट 'क' में दिये गये प्रपत्र में, एक लिखित संविदा पर, हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी।

(7) विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता का पालन करेगा।

(8) परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन, परिनियम 27 के खण्ड (9) उपखण्ड (ख) के अर्थान्तर्गत अवचार समझा जायेगा।

(9) अध्यापक को निम्नलिखित कारणों से, पदच्युत या उसके पद से हटाया जा सकता है:-

(क) कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा,

(ख) अवचार,

(ग) सेवा संविदा की किसी शर्तों का उल्लंघन,

(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में बेर्इमानी,

(ङ.) अपवादजनक आचरण या नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिए दोषसिद्ध;

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता ;

(छ) अक्षमता;

(ज) पद की समाप्ति।

(10) परिनियम 27 के खण्ड (4) में की गयी व्यवस्था के सिवाय, कम से कम तीन मास का नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दिया जाय, तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो इनमें भी अवधि अधिक हो) दिया जायेगा या नोटिस के बदले में, तीन मास (या ऐसी उपर्युक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया जायेगा;

परन्तु, यह कि जहां विश्वविद्यालय खण्ड (9) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करें या हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करें या कोई अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी किसी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करें, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी;

परन्तु यह और कि दोनों पक्षकार परस्पर समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

- (11) परिनियम 27 के खण्ड (7) में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा, नियुक्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए कुलसंचिव के यहां सुरक्षित रखी जायेगी।
- (12) परिनियम 27 के खण्ड (9) में उल्लिखित किसी कारण से, विश्वविद्यालय के किसी प्राध्यापकों को पदच्युत करने या उसको सेवा से हटाने का कोई आदेश (सिवाय ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अद्यमता अन्तर्वलित हो, सिद्ध दोष होने पर पद समाप्त किये जाने की स्थिति में) तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उसके विरुद्ध आरोप न लगाया गया हो और जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, उसके विवरण सहित उसकी सूचना उसे न दे दी जाय, और उसको—
 - (क) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का;
 - (ख) व्यक्तिगत सुनवाई का यदि वह ऐसा चाहे;
 - (ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का; जिन्हें वह चाहें, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय:
- परन्तु कार्य-परिषद् या जांच करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।
- (13) कार्य-परिषद् किसी समय, जांच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से साधारणतया दो मास के भीतर, संबंधित अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या पद से हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें पदच्युत करने, पद से हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे।
- (14) प्रस्ताव की सूचना सम्बंधित अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी।
- (15) कार्य-परिषद्, अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने के बजाय, तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यापक का वेतन कम करके या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धियां रोक कर या अध्यापक को उसके निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हो, वेतन से वंचित कर अपेक्षाकृत हल्का दंड देने का प्रस्ताव पारित कर सकती है।
- (16) यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जांच चल रही है या जांच प्रारम्भ करने का विचार हो तो परिनियम 18 में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिनियम 27 के खण्ड (9) के उपखण्ड (क) से (ड.) तक में उल्लिखित आधारों पर

	<p>निलम्बित करने की सिफारिश कर सकती है यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश पारित किया जाय कि अध्यापक के विरुद्ध जांच करने का विचार है तो निलम्बन आदेश उसके प्रवर्तन के चार सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त हो जायेगा, जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय, जिनके बारे में जांच करने का विचार था।</p>
(17)	<p>विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को—</p> <p>(क) यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध की स्थिति में, उसे 48 घंटे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया जाये और उसे इस प्रकार दोषसिद्ध के परिणाम स्वरूप परन्तु पदच्युत या सेवा से हटाया न जाये तो उसकी दोषसिद्ध के दिनांक से,</p> <p>(ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाये, चाहे निरोध किसी अपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि तक के लिए, निलम्बित समझा जायेगा।</p>
	<p>स्पष्टीकरण:— ऊपर निर्दिष्ट 48 घंटे की अवधि की गणना दोषसिद्ध के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ होने से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की सविराम अवधि पर भी, यदि कोई हो, विचार किया जायेगा।</p>
(18)	<p>जहां विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने का या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या इस परिनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप या अन्यथा अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरुद्ध अग्रतर जांच करे का विनिश्चय करें, वहां यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाने के ठीक पूर्व निलम्बित था, तो यह समझा जायेगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युत या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और दिनांक से प्रवृत्त है।</p>
(19)	<p>विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन की अवधि में, समय—समय पर यथासंशोधित, वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड—2 के भाग—2 के अध्याय—8 के उपबन्धों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।</p>
(20)	<p>परिनियम 27 के खण्ड (12) एवं (13) और खण्ड (16) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में उस अवधि को, जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रवर्तन में हो, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।</p>
(21)	<p>विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी कलेण्डर वर्ष में, विश्वविद्यालय में किसी परीक्षा या परीक्षाओं के संबंध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिए, उस विशिष्ट कलेण्डर वर्ष में अपने औसत वेतन का 1/6 या तीस हजार रुपये, इसमें जो भी कम हो, से अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।</p>
(22)	<p>इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी—</p>

	(क) विश्वविद्यालय को कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा।	
	(ख) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन के तारीख के पहले ही विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण कर रहा, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम निर्देशन के तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उस पर नहीं रह जायेगा।	
	(ग) कार्य-परिषद उन दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी, जिनके दौरान ऐसे अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों के लिए विश्वविद्यालय में उपलब्ध होंगे; परन्तु, यह कि जहां विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायेगा, जो उसे देय हो और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।	
28(1)	विश्वविद्यालय का कोई प्राध्यापक वरिष्ठ वेतन में नियोजन के लिए पात्र होगा। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) को प्राध्यापक (चयन वेतनमान) या उपाचार्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) की श्रेणी में रखे जाने के लिए पात्रता, प्राध्यापक पद पर न्यूनतम सेवा की अवधि, पी-एच0डी0 की उपाधि के साथ चार वर्ष, एम0फिल0 की उपाधि के साथ पांच वर्ष अन्य के लिए छः वर्ष होगी और प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य की श्रेणी में रखे जाने के लिए पात्रता, प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान के रूप में न्यूनतम सेवा की अवधि, समान रूप से पांच वर्ष होगी।	
(2)	उपाचार्य और आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता का मानदण्ड पी-एच0डी0 या उसके समकक्ष प्रकाशित कृतियां होगी।	
(3)	केवल वही उपाचार्य आचार्य के रूप में नियुक्त हेतु विचार किये जाने के लिए पात्र होगा, जिसने उक्त श्रेणी में न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा की हो,	
(4)	प्राध्यापक (चयन वेतनमान) उपाचार्य और आचार्य के लिए चयन समिति का गठन परिनियम 25 के खण्ड (2) के अधीन किया जाएगा ; परन्तु यह कि उक्त परिनियम 28 के अन्तर्गत कैरियर अभिवर्धन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता एवं समयावधि को लागू किया जायेगा।	
29(1)	वरिष्ठ वेतनमान में नियोजन ऐसी संवीक्षा समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे—	
(क)	कुलपति	अध्यक्ष

(ख)	संबंधित विद्या—शाखा का निदेशक	सदस्य
(ग)	दो विषय विशेषज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट किया जायेगा	सदस्य
(घ)	संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य
(2)	वरिष्ठ वेतनमान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;	
(3)	चयन वेतनमान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;	
(4)	उपाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;	
(5)	उपाचार्य के रूप में पदोन्नति एक ऐसी चयन समिति की चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी, जिसका गठन परिनियम 25 के खण्ड(2) के उपबन्ध के अनुसार किया जाएगा ।	
(6)	आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;	
(7)	परिनियम 25 के खण्ड (2) के अधीन कैरियर अभिवर्धन/ पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति परिनियमावली के अधीन उसके समक्ष रखे जाने वाली सभी सुसंगत सामग्री और अभिलेखकों पर विचार करेगी ।	
(8)	संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियां कार्य—परिषद् को विनिश्चय के लिए प्रस्तुत की जाएगी । यदि कार्य—परिषद्, संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियों से सहमत न हो तो कार्य—परिषद् ऐसी असहमति के कारणों के साथ, मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा । यदि कार्य—परिषद् संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियों पर, ऐसी समिति के अधिवेशन के दिनांक से चार माह की अवधि के अन्दर कोई निर्णय नहीं लेती है तो भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट हुआ समझा जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।	
(9)	यदि कोई पदधारी प्राध्यापक, वरिष्ठ वेतनमान/प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य (पदोन्नति) हेतु सम्यक् रूपेण गठित संवीक्षा/चयन समिति द्वारा प्रथमतः उपयुक्त पाया जाता है और तदनुसार अगले वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान/उपाचार्य/ आचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए उसकी सिफारिश की जाती है, तो उसे उच्चतर वेतनमान अर्हता के तारीख से अनुमन्य होगा, परन्तु उसे पदनाम (यदि कोई हो) कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से दिया जायेगा ।	
(10)	यदि पदधारी, प्रथमतः परिनियम 29 के खण्ड (9) के अधीन उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो वह प्रत्येक एक वर्ष के बाद ऐसी पदोन्नति हेतु अपने को पुनः प्रस्तुत कर सकता है और उस पर वह संवीक्षा/चयन समिति द्वारा ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जायेगा, जो उस समय तक पात्र हो	

	<p>चुके हैं। यदि उसकी द्वितीय या पश्चातवर्ती प्रयासों में पदोन्नति के लिए संस्तुत किया जाती है, तो उसे यथारिथिति प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान/प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य (पदोन्नति)/आचार्य (पदोन्नत) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से वेतनमान और पदनाम प्रदान किया जायेगा।</p>
(11)	उपाचार्य या आचार्य के ऐसे पदों को, जिस पर पदोन्नति की गयी हो, पदधारी की सेवानिवृत्ति तक, यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के संवर्ग में उतने पदों को वृद्धि समझी जाएगी और उसके पश्चात् पद अपने मौलिक रूप में प्रतिवर्तित हो जाएंगे।
(12)	वर्तमान परिनियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व, सीधी भर्ती द्वारा या व्यक्तिगत पदोन्नति द्वारा या कैरियर अभिवर्धन द्वारा शिक्षण पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए सम्यक् रूप से गठित चयन समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक के, किसी भी चयन पर वर्तमान परिनियमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके पास उस समय यथा विहित न्यूनतम अपेक्षित योग्यता रही हो।
(13)	संवीक्षा/चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से समिति की गणपूर्ति होगी परन्तु अध्यक्ष और कम से कम एक विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक होगी।
(14)	संवीक्षा/चयन समिति द्वारा की गयी किसी संस्तुति को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ चयन से सहमत न हों।
(15)	चयन समिति के सदस्यों को बैठक से पहले कम से कम 15 दिन से नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसी नोटिस के प्रेषण की तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।
(16)	अभ्यर्थियों को, चयन समिति के बैठक से पहले, कम से कम 15 दिन की नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसी नोटिस के प्रेषण होने के तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।
(17)	ऐसे प्राध्यापकों का कार्यभार, जिन्हें कैरियर अभिवर्धन स्कीम के अधीन चयन वेतनमान या उपाचार्य पदोन्नत या आचार्य पदोन्नत पद पर नियोजित किया गया है, अपरिवर्तित रहेगा।
30(1)	इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व से विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(2)	कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह इसके पश्चात आये परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के संबंध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे।
(3)	विद्या-शाखा के निदेशकों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विद्या-शाखा के निदेशक के रूप में की गयी सेवा

	<p>की कुल अवधि से किया जायेगा; परन्तु जब दो या इससे अधिक निदेशकों का उक्त पद पर सेवाकाल समान अवधि का हो, तो आयु में ज्येष्ठ निदेशक को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।</p>
(4)	<p>विद्या—शाखा के विभागाध्यक्षों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण, उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा:</p> <p>परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों, तो आयु में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।</p>
31(1)	<p>विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा:—</p> <p>(क) किसी आचार्य को प्रत्येक उपाचार्य के ज्येष्ठ समझा जायेगा, और किसी उपाचार्य को प्रत्येक प्राध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायेगा;</p> <p>(ख) एक ही संवर्ग में पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता, ऐसे संवर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी;</p> <p>परन्तु, यह कि जहां सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियां एक ही समय में की गयी हों, और यथास्थिति, चयन समिति या कार्य-परिषद् द्वारा अधिमान्यता या योग्यता का कम इंगित किया गया हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित कम द्वारा नियंत्रित होगी;</p> <p>परन्तु यह और कि जहां एक से अधिक नियुक्तियां एक ही बार में पदोन्नति द्वारा की गयी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वहीं होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धारित पद पर थी।</p> <p>(ग) यदि (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न) किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय के किसी संस्थान में चाहे वह उत्तराखण्ड या उत्तराखण्ड से बाहर स्थित हो, मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक, विश्वविद्यालय में तत्स्थानी पद या श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाये, तो अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उक्त श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा अवधि को उसके सेवाकाल में सम्मिलित किया जायेगा।</p> <p>(घ) यदि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक चाहे इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त किया जाये तो अध्यापक की ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा अवधि की आधी अवधि को उसकी सेवा—अवधि में सम्मिलित किया जायेगा।</p> <p>(2) जहां एक ही संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि</p>

	<p>की अनवरत् सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहां ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जाएगी:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (क) आचार्यों के मामले में, उपाचार्य के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा; (ख) उपाचार्यों के मामले में, प्राध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा; (ग) उन आचार्यों की स्थिति में, जिनकी उपाचार्य के रूप में भी सेवा अवधि उतनी ही हो तो प्राध्यापक के रूप में उनकी सेवा अवधि पर विचार किया जायेगा।
(3)	<p>जहां एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है तो ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता, आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी।</p>
(4)	<p>किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्य परिषद्-</p>
(क)	<p>चयन समिति की सिफारिश से सहमत हों, और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय, ऐसे अध्यापकों का योग्यता क्रम अवधारित करेगी;</p>
(ख)	<p>चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हों और परिनियम 25 के उपखण्ड (5) के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करे तो कुलाधिपति उन मामलों में, जहां एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अन्तर्गत हो, ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता क्रम अवधारित करेगा।</p>
(5)	<p>ऐसे योग्यताक्रम की जिसमें खण्ड (4) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जायं, सूचना संबंधित अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी।</p>
(6)	<p>कुलपति समय—समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे। जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में स्वयं कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट किये जाने वाले दो विद्या—शाखाओं के निदेशक होंगे; परन्तु यह है कि ऐसे विद्या—शाखा का निदेशक, जिसके अध्यापक की वरिष्ठता विवादित हो, उपर्युक्त ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा; परन्तु यह और कि यदि निदेशक, नियुक्त न होने के कारण या पदों का सृजन न होने के कारण, उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय से या उससे बाहर से दो आचार्यों को नाम—निर्दिष्ट कर सकता है।</p>
(7)	<p>विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद, ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारणों को उल्लिखित करते हुए, उसे</p>

	<p>विनिश्चित करेगी।</p> <p>(8) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के अंदर कार्य परिषद को अपील कर सकता है। यदि कार्यपरिषद समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी।</p> <p>32(1) आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी जो एक मास में सात दिन अथवा एक सत्र से चौदह दिन से अधिक नहीं होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलायी नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को त्याग सकता है।</p> <p>(2) एक सत्र में दस कार्य-दिवस तक की विशेषाधिकार छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी, और यह 60 कार्य दिवस तक संचित की जा सकती है।</p> <p>(3) विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के, जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो या जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालित करने के लिए 15 कार्य दिवस तक की कर्तव्य (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी।</p> <p>(4) किसी एक सत्र में एक मास के लिए दीर्घ कालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी, और जो बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से यथा लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन या निवृत्तिक पूर्वता के लिए दी जा सकती है:</p>
	<p>परन्तु, यह कि लम्बी बीमारी की स्थिति में छुट्टी, कार्य परिषद के विवेकानुसार छः मास से अनधिक अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है। ऐसी छुट्टी, लम्बी बीमारी को छोड़कर, केवल पांच वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् दी जा सकती है;</p> <p>परन्तु यह और कि ऐसे अध्यापकों को, जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापक अध्येतावृत्ति के लिए या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद् या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय या किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण अथवा के लिए चयन किया जाता है तो उन्हे अध्येतावृत्ति, शिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, छुट्टी दी जा सकती है।</p> <p>(5) असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से जिन्हें कार्य परिषद् उचित समझे, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दी जा सकती है, किन्तु परिनियम 28</p>

के खण्ड (22) में उल्लिखित परिस्थितियों के सिवाय, यह विशेष परिस्थितियों के अधीन दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।

स्पष्टीकरण: (1) अध्यापक जो कोई स्थायी पद धारण करता हो या जो निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति से, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए स्वीकृत की गयी असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय—मान में अपनी वेतनवृद्धि के लिए गणना किये जाने का हकदार होगा ;

परन्तु यह कि उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों को सम्मिलित किया जा सकेगा—

- (क) संबंधित शिक्षक उच्चतर अध्ययन के लिए प्रदेश में या प्रदेश से बाहर जा रहा हो, जिसके लिए विश्वविद्यालय की कार्य परिषद एवं शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो। यदि पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है, तो ऐसा अवकाश देय नहीं होगा।
- (ख) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन का आशय अन्यत्र सेवा करना नहीं है। (सामान्यतः शिक्षक उच्चतर वेतनमान में सेवारत होने के उपरान्त एक या दो शोध पत्र सेमिनार आदि में प्रस्तुत करते हैं, जिसे वे उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन मानते हैं।)
- (ग) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन पूर्णतः वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन होना चाहिए। यह अवकाश स्वीकृत करने के लिए आशय नहीं होनी चाहिए।
- (घ) यदि कोई अभ्यर्थी विदेश में उच्च वेतनमान में सेवा आदि करता है, साथ ही एक या दो शोध पत्र अथवा पुस्तक भी लिखता है, तो यह उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन नहीं समझा जायेगा।
- (2) राज्य सरकार की सहमति कोई अध्यापक, जो अस्थायी पद धारण करता हो, और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गयी हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर, फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से भाग 4 के मूल नियम 27 के अनुसार अपना वेतन समयमान में ऐसी अवस्था पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह छुट्टी पर न गया होता, परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिए छुट्टी स्वीकृत की गयी थी, लोकहित में रहा हो।
- (6) अध्यापिकाओं को पूर्ण वेतन सहित 135 दिनों की अवधि तक प्रसूति छुट्टी दी जा सकेगी:
परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका को अस्थायी सेवा सहित, यदि कोई हो, सम्पूर्ण सेवा अवधि में दो बार से अधिक नहीं दी जायेगी।
- (7) छुट्टी अधिकार स्वरूप नहीं मांगी जा सकती है। तात्कालिक की आवश्यकता को देखते हुए, स्वीकर्ता अधिकारी किसी भी

	<p>प्रकार की छुट्टी स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है और पहले से स्वीकृत की गयी छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।</p> <p>(8) किसी पंजीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी या लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी 14 दिनों से अधिक हो तो कुलपति ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का, जो उसके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण पत्र मांगने के लिए सक्षम होगा।</p> <p>(9) दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर, जो कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायेगी, के सिवाय, छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी कुलपति होगा।</p>
33(1)	<p>विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी;</p> <p>परन्तु, यह कि यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून को न हो तो वह अध्यापक शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और वह अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा।</p>
(2)	<p>विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की सेवानिवृत्ति की तारीख ऐसे अध्यापक के साठवें जन्म तारीख के ठीक पूर्व की तारीख होगी।</p>
34(1)	<p>इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा, अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार और परिशिष्ट 'क' और परिशिष्ट 'ख' में दिये प्रपत्र की शर्तों के अनुसार उपांतरित समझी जायेगी।</p>
(2)	<p>परिनियम 27 के खण्ड (9) के प्रस्तर (ख), (ग), (घ), (ड.) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायेगा।</p>
(3)	<p>विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा।</p>
(4)	<p>कुलपति को प्रस्तुत करने से पूर्व मूल रिपोर्ट, निदेशक से भिन्न अध्यापक की दशा में संबंधित निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जायेगी।</p>
(5)	<p>किसी शिक्षा सत्र के संबंध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने के एक मास के अन्दर, इनमें जो भी बाद में हो, दी जायेगी।</p>
(6)	<p>विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के संबंध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निदेशों का अनुपालन करने के लिए</p>

	<p>बाध्य होगा।</p> <p>(7) जहां अधिनियम या इस परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस तामील करना अपेक्षित हो, और ऐसा अध्यापक मुख्यालय पर न हो, वहां ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक से भेजी जा सकता है।</p>
<p>कर्मचारी वर्ग (अध्यापक से भिन्न) की सेवा के निबन्धन और शर्तें— परिनियम की धारा 35</p>	<p>35</p> <p>(1) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।</p> <p>(2) पुस्तकालयाध्यक्ष, का चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् –</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p> <p>(क) कुलपति</p> <p>(ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p>(3) जब तक खण्ड (2) के अधीन नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पद का कार्यभार न सम्भाले तब तक कार्य परिषद् ऐसी अवधि, के लिए, जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।</p> <p>(4) पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होंगी जैसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय—समय पर विहित किया जाये।</p> <p>(5) पुस्तकालयाध्यक्ष की परिलक्षियां ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित की जायें।</p> <p>(6) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी सेवाओं को ऐसी रीति से जो अध्यापन कार्य तथा अनुसंधान कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक को, संगठित करना पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य होगा।</p> <p>(7) पुस्तकालयाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेगा; परन्तु यह कि उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरुद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा।</p> <p>(8) पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी अध्यादेश में अधिकथित की जायें।</p> <p>(9) अन्य अधिकारियों और शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति और सेवा के निबन्धन और शर्तें और आचार संहिता, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा के निबन्धनों और शर्तों और आचार संहिता, जैसा कि अध्यादेश में अधिकथित है, द्वारा शासित होगी।</p> <p>(10) खण्ड (9) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारी वर्गों की परिलक्षियां ऐसी होंगी, जैसी समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय।</p>

मैनुअल संख्या : 3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिससे पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित है

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:-

- (क) कार्य परिषद्
- (ख) विद्या परिषद्
- (ग) योजना बोर्ड
- (घ) अध्ययन केन्द्र
- (ङ.) वित्त समिति; और
- (च) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिये घोषित किये जायें।

कार्य परिषद् :-

कार्य परिषद् का गठन उसकी पदावधि तथा कृत्य एंव शक्तियां (धारा 17)

- (1) कार्य—परिषद् में निम्नलिखित होंगे:—
 - (क) कुलपति अध्यक्ष
 - (ख) परिनियम 13 में उल्लिखित विद्या शाखा से ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो निदेशक; सदस्य
 - (ग) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक आचार्य; सदस्य
 - (घ) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक उपाचार्य; सदस्य
 - (ङ.) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक प्राध्यापक; सदस्य
 - (च) कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पन्द्रह नामों के पैनल (सूची) में से कुलाधिपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट किये जाने वाले चार व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं—
 - (एक) दो प्रख्यात शिक्षाविद सदस्य
 - (दो) अग्रणी उद्योग से दो व्यक्ति सदस्य
 - (छ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति या उसका नाम—निर्देशिती जो प्रति उप कुलपति से निम्न पद का न हो; सदस्य
 - (ज) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि पदेन सदस्य

विद्या परिषद् :-

- (1) विद्या—परिषद् में निम्नलिखित होंगे—

(एक) कुलपति	अध्यक्ष
(दो) विद्या—शाखाओं में सभी निदेशकगण	सदस्य
(तीन) ज्येष्ठताक्रम में चकानुक्रम में चयनित किये जाने वाले दो आचार्य, दो उपाचार्य और दो प्राध्यापक	सदस्य
(चार) पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
(पांच) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो	सदस्य
(छ:) ऐसी रीति में, जैसा विद्या—परिषद् उचित समझे, सहयोजित किये जाने वाले शिक्षा के क्षेत्र में पांच व्यक्ति	सदस्य
(सात) कुलसचिव	सदस्य / सचिव

योजना बोर्ड :—

- (1) योजना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे—
 - (एक) कुलपति अध्यक्ष;
 - (दो) अध्यापकवर्ग में से; ज्येष्ठता क्रम में, कुलपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट चार व्यक्ति;
 - (तीन) विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक व्यक्ति को विशेषज्ञता के लिए कार्य—परिषद् द्वारा नाम—निर्दिष्ट किये जाने वाले पांच व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों—
 - (क) वाणिज्यिक प्रबंधन;
 - (ख) विद्वतापूर्ण वृत्तियाँ ;
 - (ग) विज्ञान / मानविकी / समाज विज्ञान / पर्यावरण;
 - (घ) दूरस्थ शिक्षा; और
 - (ङ.) वाणिज्य तथा उद्योग।
- (2) योजना बोर्ड के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।
- (3) (क) कुलपति और प्रतिकुलपति के सिवाय कोई भी व्यक्ति दो से अधिक क्रमवर्ती अवधि के लिए योजना बोर्ड का सदस्य नहीं होगा।
 - (ख) योजना बोर्ड की बैठक ऐसे अंतराल पर होगी, जैसा वह समीचीन समझे, किन्तु इसकी वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें होगी।
 - (ग) बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति योजना बोर्ड के छ: सदस्यों द्वारा होगी।
- (4) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय हेतु समुचित कार्यक्रम और कियाकलापों को अभिकल्पित और तैयार करेगा और विषय पर जिसे वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे, उसे कार्य—परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा;

परन्तु यह कि किसी विषय पर शिक्षा—परिषद् और योजना बोर्ड के मध्य मतभेद होने की दशा में उसे कार्य—परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

अध्ययन केन्द्र :—

- (1) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित विद्या शाखाएँ होंगें; अर्थात्—

- (क) मानविकी
- (ख) समाज विज्ञान
- (ग) प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य
- (घ) विज्ञान
- (ङ) कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान
- (च) भाषा विज्ञान
- (छ) पर्यटन, होटल प्रबन्धन एवं खाद्य प्रोद्योगिकी (फूड टैक्नोलॉजी)
- (ज) ऐसे अन्य पाठ्यक्रम /विद्या शाखा, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय, परन्तु यह कि कार्य-परिषद् द्वारा अनुमोदित तिथि से विद्या शाखा कार्य करना आरम्भ करेंगे।
- (2) कार्य-परिषद्, कुलपति की संस्तुति से विद्या शाखा को एक या अधिक विषय सौंप सकती है, जैसा कि कृत्यों के उचित निर्वहन के हित में हो।
- (3) प्रत्येक विद्या शाखा का एक बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित होंगे—
- | | |
|---|---------|
| (क) विद्या शाखा का निदेशक | अध्यक्ष |
| (ख) विद्या शाखा के सभी आचार्य | सदस्य |
| (ग) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो उपाचार्य | सदस्य |
| (घ) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो प्राध्यापक | सदस्य |
- (4) कुलपति के सिवाय विद्या शाखा बोर्ड के सदस्यों की अवधि दो वर्ष होगी।
- (5) 3 (क) तथा 3 (ख) के सिवाय, कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए विद्या शाखा बोर्ड का सदस्य नहीं रह सकेगा।
- (6) विद्या शाखा बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्—
- (एक) विद्या शाखा में अनुसंधान कार्यों का संवर्धन;
 - (दो) शैक्षिक परिषद् के निर्देशों के अनुसार विद्या शाखा के शैक्षिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम के ढांचे को अनुमोदित करना;
- (तीन) कुलपति द्वारा गठित विशेषज्ञ-समिति (समितियों) के परामर्श पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार पाठ्यक्रम का अनुमोदन;
- (चार) विद्या शाखा को समनुदेशित विधाओं के आचार्यों के परामर्श से तैयार किये गये विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, अध्ययन केन्द्र में निदेशक के प्रस्ताव पर, पाठ्यक्रम लेखकों, परीशकों और अनुसंगाकों (मॉडरेटर) के नामों को कुलपति को संस्तुत करना और;
- (पांच) अन्य विद्या शाखा के सहयोग से पाठ्यक्रम लेखकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
- (छ:) उप शिक्षकों (ट्यूटरों) और परामर्शियों के लिए कार्यक्रमों/पुनर्शर्चर्या/ग्रीष्म कालीन पाठ्यक्रमों अथवा संगोष्ठियों के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
- (सात) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए सामान्य अनुदेश तैयार करना;
- (आठ) विद्या शाखा के समनुदेशित विद्याओं के पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सामग्री की तैयारी के लिए अपनायी गयी कार्य-प्रणालियों की समीक्षा करना, शैक्षिक सामग्री का मूल्यांकन करना, और विद्या परिषद् को उपयुक्त संस्तुतियां करना;

- (नौ) पहले से प्रयोग में चल रहे पाठ्यक्रमों का समय—समय पर, यदि आवश्यक हो तो, बाहरी विशेषज्ञों की सहायता से समीक्षा करना और पाठ्यक्रमों में ऐसे परिवर्तन करना, जो अपेक्षित हों;
- (दस) अध्ययन/सम्पर्क/कार्यक्रम केन्द्रों की सुविधाओं और प्रयोगशाला/क्षेत्र कार्य के लिए सुविधाओं की नियत कालिक रूप से, जैसा कि विद्या शाखाओं द्वारा अवधारित किया जाय, समीक्षा करना;
- (ग्यारह) ऐसे समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें, और सभी ऐसे विषयों पर विचार करना जो उसे कार्य परिषद्, विद्या परिषद, योजना बोर्ड या कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किये जायं, और
- (बारह) ऐसी सामान्य या विशिष्ट शक्तियों को, जो समय—समय पर विद्या शाखा द्वारा विनिश्चित की जायं, निदेशक बोर्ड के या किसी अन्य सदस्य या किसी समिति को प्रत्यायोजित करना।

वित्त समिति :—

- (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे—
- | | |
|---|------------|
| (क) कुलपति | अध्यक्ष |
| (ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी | सदस्य |
| (ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी | सदस्य |
| (च) कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय | सदस्य |
| का कर्मचारी न हो | |
| (घ) वित्त अधिकारी | सदस्य सचिव |

* सचिव कुलाधिपति के पत्र संख्या 3942/ जी0एस0/ शिक्षा –सी7-1/2010 दिनांक 3 फरवरी, 2011 द्वारा प्राप्त संशोधन के अनुसार।

- (2) वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
- (3) वित्त समिति, कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बंधित विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद पर बाध्यकर होगी।
- (4) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्य परिषद् उस पर कोई निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्यपरिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वो निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपने असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापिस करेगी और यदि कार्यपरिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (5) यदि कार्यपरिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात् बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करें, जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय अन्तर्गत हो, तो कार्य परिषद् वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेंगी।
- (6) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ और तत्पश्चात् कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

- (7) वित्त समिति के सदस्य उसके किसी विनिश्चय से सहमत न हो तो असहमति टिप्पणी अभिलिखित करने का अधिकार होगा।
- (8) लेखाओं की जांच करने तथा व्यय के प्रस्तावों की संमीक्षा करने के लिए वित्त समिति का प्रति वर्ष कम से कम दो बार बैठक होगी।

अन्य प्राधिकारी :—

अन्य प्राधिकारियों का जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें, गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

मैनुअल संख्या : 4

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

विश्वविद्यालय के कृत्यों का निष्पादन विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। कृत्यों के निष्पादन के लिए विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में कार्य परिषद्, वित्त समिति, शैक्षिक परिषद् आदि के द्वारा किया जाता है। इन प्राधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुरूप कृत्यों का निर्वहन किया जाता है।

मैनुअल संख्या : 5

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख.

1. उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम—

“भारत का सविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभी द्वारा पारित उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक 2005 पर दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 23, सन् 2005 के रूप में उत्तरांचल शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 608/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005, देहरादून, 31 अक्टूबर, 2005 द्वारा अधिसूचित किया गया।

2. विश्वविद्यालय परिनियमावली—

विश्वविद्यालय के कार्यों के सुचारू सचालन हेतु संख्या 69/उच्च शिक्षा विभाग — राज्यपाल, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 23 वर्ष, 2005) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा— 31 के उपबंधों (1) के अधीन विश्वविद्यालय की परिनियमावली तैयार कर अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित की गयी है।

3. प्रथम अध्यादेश –

विश्वविद्यालय के कार्यों के सुचारू सचालन हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश तैयार किये गए हैं।

विश्वविद्यालय कार्यालय का पता:—

तीनपानी, बाइ—पास रोड,
ट्रान्सपोर्टनगर के समीप,
पो० ओ० — इन्डस्ट्रीयल स्टेट
हल्द्वानी (नैनीताल) — 263 139

दूरभाष नं०—

1. कुलसचिव कार्यालय— 05946—261122, फैक्स नं०—264232
2. कुलपति कार्यालय—05946—263014, फैक्स नं०—262032,
3. टोल फ़ी नं०— 18001804025

ईमेल— info@ouu.ac.in

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 23, सन् 2005 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005

(अधिनियम संख्या 23, वर्ष 2005)

उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय नाम से ज्ञात विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमत हो:-

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 है।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएँ :-

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) “विद्या परिषद्” और “कार्य परिषद्” से विश्वविद्यालय की क्रमशः विद्या परिषद् और कार्य परिषद् अभिप्रेत हैं;
- (ख) “मान्यता बोर्ड” से विश्वविद्यालय का मान्यता बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ग) “महाविद्यालय” से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या ऐसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है;
- (घ) “दूर शिक्षा पद्धति” से संचार के किसी माध्यम से यथा प्रसारण, दूर दृश्य प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमीनार, सम्पर्क कार्यक्रम अथवा ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की प्रणाली अभिप्रेत है;
- (ङ.) “वित्त समिति” से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (च) “अन्य पिछड़े वर्गों” से समय—समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं;

- (छ) "योजना बोर्ड" से विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ज) "विहित" से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (झ) "विद्यालय" से विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र अभिप्रेत हैं;
- (ज) "परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों" से विश्वविद्यालय के कमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;
- (ट) "विद्यार्थी" से विश्वविद्यालय का विद्यार्थी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसने विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु अपना नामांकन कराया है;
- (ठ) "अध्ययन केन्द्र" से विद्यार्थियों को सलाह देने या परामर्श देने या उनके द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता देने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त केन्द्र अभिप्रेत है;
- (ड) "क्षेत्रीय केन्द्र" से प्रदेश में स्थापित अध्ययन क्षेत्रों के कार्यों में समन्वय/निरीक्षण तथा अन्य कार्यों में सम्पादन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित क्षेत्रीय केन्द्र अभिप्रेत हैं;
- (ढ) "शिक्षक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिये विद्यार्थी का मार्गदर्शन करने या उसकी सहायता करने के लिये विश्वविद्यालय में शिक्षण देने के लिये नियोजित हो और इसके अन्तर्गत महाविद्यालय के प्राचार्य या निदेशक भी हैं;
- (त) "विश्वविद्यालय" से धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (थ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी अभिप्रेत है जिसमें शिक्षक तथा विश्वविद्यालय का अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द भी सम्मिलित है;
- (द) "कुलाधिपति तथा कुलपति" से विश्वविद्यालय के कमशः कुलाधिपति तथा कुलपति अभिप्रेत हैं।

अध्याय—2

विश्वविद्यालय एवं उसके उद्देश्य

3. विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन :—

- (1) "उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
- (2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय हल्द्वानी में होगा तथा वह राज्य में ऐसे अन्य स्थानों पर, जिन्हें वह उचित समझे, महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र स्थापित या अनुरक्षित कर सकेगा।
- (3) कुलपति, कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् के सदस्यों की हैसियत से विश्वविद्यालय में तत्समय में पदधारक, उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे।

- (4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा एक सामान्य मुद्रा (सील) होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लायेगा एवं उस पर वाद लाया जायेगा।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य :—

विश्वविद्यालय, दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से जिसमें किसी संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग भी है, अधिसंख्यक जनसमुदाय में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में अभिवृद्धि करेगा और अपने कियाकलापों को संचालित करने में अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ :—

विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्—

- (I) ज्ञान प्रौद्योगिकी वृत्तियों एवं व्यवसायों की ऐसी शाखाओं में जैसी विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाय, शिक्षण हेतु व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और प्रायोजित अनुसंधान की व्यवस्था करना;
- (II) उपाधियों, उपाधि—पत्रों, प्रमाण—पत्रों अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु शिक्षण पाठ्यक्रमों को योजित एवं विहित करना;
- (III) परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार, परीक्षाओं का आयोजन तथा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है या अनुसंधान किया है, उपाधियों, उपाधि—पत्रों अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें या मान्यतायें प्रदान करना;
- (IV) विहित रीति के अनुसार, मानद उपाधियों अथवा अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;
- (V) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में दूर शिक्षा का प्रायोजन करने की रीति का निर्धारण करना;
- (VI) शिक्षण देने के लिये या शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के लिये या ऐसे अन्य शैक्षणिक कियाकलापों का संचालन करने के लिये जिनके अन्तर्गत पाठ्यक्रमों के लिये मार्गदर्शन, उनकी रूपरेखा तैयार करना और उनका प्रस्तुतिकरण भी है, और छात्रों द्वारा किये गये कार्य के मूल्यांकन के लिये, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक से सम्बन्धित पद और अन्य शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;
- (VII) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं, वृत्तिक निकायों और संगठनों के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, सहयोग करना और उनका सहयोग प्राप्त करना;
- (VIII) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और योग्यता की मान्यता के लिये ऐसे अन्य पारितोषिक संस्थित करना और देना, जो विश्वविद्यालय ठीक समझे;
- (IX) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करना और बनाये रखना जो विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर अवधारित किये जायें;
- (X) विहित रीति से अध्ययन केन्द्र स्थापित करना और बनाये रखना या मान्यता देना;
- (XI) शैक्षणिक सामग्री जिसके अन्तर्गत फ़िल्में, कैसेट, टेप, विडियोकैसेट और अन्य सॉफ्टवेयर हैं, तैयार करने के लिये व्यवस्था करना;

- (XII) शिक्षकों, पाठ्यलेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालायें, विचार गोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना;
- (XIII) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों को, चाहे पूर्णतः या भागतः, विश्वविद्यालय में परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों के समतुल्य रूप में मान्यता देना और किसी भी समय ऐसी मान्यता को वापस लेना;
- (XIV) शैक्षिक प्रौद्योगिकी और सम्बन्धित विषयों में, अनुसंधान, प्रायोजित अनुसंधान तथा विकास के लिए व्यवस्था करना;
- (XV) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;
- (XVI) विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु संदान, दान और उपहार ग्रहण करना तथा न्यासीय और राजकीय सम्पत्ति सहित किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का उपार्जन, धारण, अनुरक्षण तथा निस्तारण करना;
- (XVII) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या अन्यथा, ऋण पर धन प्राप्त करना;
- (XVIII) संविदायें करना, उनको कार्यान्वित, परिवर्तित अथवा निरस्त करना;
- (XIX) अध्यादेशों द्वारा अधिकथित फीस और अन्य प्रभारों की मांग एवं प्राप्ति करना;
- (XX) छात्रों और सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों के बीच अनुशासन की व्यवस्था करना, नियंत्रण करना और उसे बनाये रखना और ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तों को जिनके अन्तर्गत उनकी आचरण संहिता भी हैं, अधिकथित करना;
- (XXI) संविदा पर या अन्यथा अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान कर सकें, नियुक्त करना;
- (XXII) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो अध्यादेश द्वारा अधिकथित की जाय, मान्यता लेना;
- (XXIII) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिये शर्ते विनिर्दिष्ट करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन और परीक्षण की कोई अन्य रीति है;
- (XXIV) कर्मचारियों के साधारण स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि के लिये प्रबन्ध करना;
- (XXV) परिनियमों में विहित रीति से किसी महाविद्यालय या किसी क्षेत्रीय केन्द्र को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;
- (XXVI) ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय को ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों के, जो आवश्यक हैं, प्रयोग से आनुषंगिक हों और विश्वविद्यालयों के सभी या किन्हीं उद्देश्यों के संप्रवर्तन में सहायक हों।

6. शक्तियों को प्रादेशिक प्रयोग :-

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय को अपनी शक्तियों के प्रयोग में, अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगी।

7. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों और पन्थों के लिये खुला होना :-

- (1) विश्वविद्यालय, वर्गों और पत्थों का विचार किये बिना, सभी व्यक्तियों के लिये, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिये ऐसे किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त करने या उसमें उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपयोग करने या प्रयोग का हकदार बनाने के लिये कोई भी धार्मिक विश्वास या मान्यता का मानदण्ड अपनाना, उस पर अधिरोपित करना विधिपूर्ण नहीं होगा।
- (2) उपधारा 1 की कोई बात विश्वविद्यालय को स्त्रियों का समाज के कमज़ोर वर्गों के व्यक्तियों, विशिष्टतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को नियुक्ति या प्रवेश के लिये विशेष उपबन्ध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

अध्याय –3

निरीक्षण तथा जांच

8. निरीक्षण तथा जांच :—

- (1) उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन रहते हुए कुलाधिपति को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दें, विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र जिसके अन्तर्गत उनके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी हैं, और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण करने या विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या ऐसे केन्द्रों के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के संबंध में उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।
- (2) कुलाधिपति प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा तथा विश्वविद्यालय को ऐसी सूचना की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अथवा कुलाधिपति द्वारा निर्धारित समय में, ऐसी जांच में, यदि आवश्यक समझे तो सम्मिलित होने का अधिकार होगा।
- (3) विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर, यदि कोई है, विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच करायेंगे जैसी कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट है।
- (4) कुलाधिपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा यदि कोई निरीक्षण या जांच की जानी है तो विश्वविद्यालय को एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा सुने जाने का अधिकार होगा।
- (5) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम में अपने विचार और उस पर कार्यवाही किये जाने के संदर्भ में, जो वह कहना चाहें और कुलपति को सम्बोधित कर सकेंगे। कुलाधिपति द्वारा सम्बोधित पत्र को कुलपति इस निरीक्षण अथवा जांच के परिणाम को तुरन्त कार्य परिषद् को संसूचित करेंगे और कुलाधिपति के विचार तथा परामर्श पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में बतायेंगे।

- (6) कार्य परिषद्, कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में सूचित करेंगे।
- (7) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय में कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप में कार्यवाही नहीं करते हैं तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी प्रत्यावेदन व स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जो वह उचित समझते हैं, जारी कर सकते हैं और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उन निदेशों को मागने के लिये बाध्य होंगे।
- (8) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की ऐसी कार्यवाहियों को निष्प्रभावी कर सकता है, जो कि अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के संगत न हों :
परन्तु ऐसा आदेश करने से पूर्व वह विश्वविद्यालय से यह कारण दर्शित करने के लिए कहेगा कि इस प्रकार का आदेश क्यों न किया जाय और यदि समुचित समय के अन्तर्गत कोई युक्तियुक्त कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।
- (9) कुलाधिपति की ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

अध्याय –4

विश्वविद्यालय के अधिकारी

09. विश्वविद्यालय के अधिकारी :-

विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे :-

- (क) कुलाधिपति;
- (ख) कुलपति;
- (ग) निदेशक;
- (घ) कुलसचिव;
- (ङ.) वित्त अधिकारी
- (च) परीक्षा नियंत्रक; और
- (छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

10. कुलाधिपति :-

- (1) राज्यपाल, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब वह उपस्थित हो तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा।
- (2) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगी।
- (3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करे।

- (4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जाये।

11. कुलपति :—

- (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा उस रीति से, उस अवधि के लिये और उन उपलब्धियों और अन्य सेवा शर्तों पर, जैसी कि विहित की जायें, नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

- (2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक व कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

- (3) यदि कुलपति के मतानुसार किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है तथा ऐसे विषय पर स्वयं द्वारा कृत कार्यवाही को ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को संसूचित करेगा :

परन्तु यह कि यदि संबंधित प्राधिकारी के मतानुसार ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी तो वह विषय को कुलाधिपति को निर्देशित कर सकता है जिसका उस विषय पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किये जाने के नब्बे दिनों के भीतर कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरि कार्य परिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकती है।

- (4) यदि कुलपति यह समझते हैं कि किसी प्राधिकारी का विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के परे है या यह है कि किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिये कह सकेगा और यदि प्राधिकारी अपने विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इन्कार करता है या साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर उसके द्वारा कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु संबंधित प्राधिकारी का विनिश्चय, यथास्थिति, प्राधिकारी या कुलाधिपति द्वारा इस उपधारा के अधीन ऐसे विनिश्चय के पुनर्विलोकन की अवधि के दौरान निलम्बित रहेगा।

- (5) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेश द्वारा विहित किये जायें।

12. निदेशक :—

प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति, ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, की जायेगी।

13. कुलसचिव :-

- (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- (2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने और अभिलेखों को अभिप्रामाणित करने का अधिकार होगा।

14. वित्त अधिकारी :-

वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

15. अन्य प्राधिकारी :-

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उनकी उपलब्धियां, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय—5

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

16. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी :-

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:-

- (क) कार्य परिषद्
- (ख) विद्या परिषद्
- (ग) योजना बोर्ड
- (घ) अध्ययन केन्द्र
- (ङ.) वित्त समिति; और
- (च) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिये घोषित किये जायें।

17. कार्य परिषद् :-

- (1) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा।
- (2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

18. विद्या परिषद् :-

- (1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के भीतर विद्या, शिक्षा, शिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा के स्तरमानों का नियन्त्रण और साधारण विनियमन करेगी और उनको बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य

शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसको प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।

- (2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

19. योजना बोर्ड :-

- (1) विश्वविद्यालय का एक योजना बोर्ड गठित किया जायेगा जो विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में उपदर्शित आधारों पर विश्वविद्यालय के विकास को निर्देशित करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।
- (2) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

20. अध्ययन केन्द्र :-

- (1) अध्ययन केन्द्र इतनी संख्या में होंगे जितनी विश्वविद्यालय समय—समय पर अवधारित करे।
- (2) अध्ययन केन्द्रों का गठन, शक्तियां और कार्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

21. वित्त समिति :-

वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

22. अन्य प्राधिकारी :-

अन्य प्राधिकारियों का जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय -6

विश्वविद्यालय निधि

23. विश्वविद्यालय निधि की स्थापना :-

विश्वविद्यालय द्वारा निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित की जायेगी।

24. निधि का गठन :-

विश्वविद्यालय निधि निम्नांकित तरीकों से प्राप्त धन से निर्मित होगी:-

- (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी निगमित निकाय द्वारा प्रदत्त ऋण, अंशदान अथवा अनुदान;
- (ख) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हो;
- (ग) विश्वविद्यालय की सभी स्रोतों से आय जिसमें फीस तथा प्रभार से आय भी सम्मिलित हैं;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशि।
- (ङ) विश्वविद्यालय निधि को, कार्य परिषद् के विवेक पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में

रखा जायेगा अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूतियों में विनिहित किया जायेगा।

- (च) इस धारा की कोई बात, किसी न्यास के प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित न्यास की घोषणा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार की गयी या उस पर अधिरोपित किसी बाध्यता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगी।

25. उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोग किया जायेगा :—

विश्वविद्यालय निधि निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयुक्त की जायेगी :—

- (क) इस अधिनियम व परिनियमों तथा अध्यादेश तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये ऋणों का भुगतान करने के लिए;
- (ख) विश्वविद्यालयों की उसके विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों तथा छात्रावासों की सम्पत्ति बनाये रखने के लिए;
- (ग) विश्वविद्यालय निधि की सम्परीक्षा की लागत का भुगतान करने के लिए;
- (घ) किसी वाद या कार्यवाही जिसका विश्वविद्यालय एक पक्षकार है, के व्यय के लिए;
- (ड.) विश्वविद्यालय उसके विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारीवृन्द के वेतन व भत्तों का भुगतान तथा इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों व उसके अधीन बनाये गये विनियमों के प्रयोजनों को अग्रसर करने व अन्य लाभाशां का भुगतान करने के लिए;
- (च) इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के किसी उपबन्ध के अनुसरण में प्राधिकारियों के सदस्यों के यात्रा भत्तों व अन्य भत्तों का भुगतान करने के लिए;
- (छ) विद्यार्थियों को अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों का भुगतान करने के लिए;
- (ज) इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों व उसके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा आगत अन्य खर्चों का भुगतान करने के लिए;
- (झ) ऐसे अन्य खर्चों का भुगतान जिनका उल्लेख पूर्ववर्ती खण्डों में नहीं किया गया परन्तु जिन्हें विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए खर्च किया जाना कार्य परिषद् आवश्यक समझती हो।

व्यय सीमा से अधिक न होना :—

कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित किसी वर्ष में आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय की सीमा से अधिक व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

26. व्यय अनुमोदन पर किया जाना :—

कार्य परिषद् की पूर्वानुमति के बिना बजट में उपबन्धित के सिवाय कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

अध्याय –7

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

27. परिनियम :-

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा, जो विशिष्टतः उसमें निम्नलिखित उपबन्ध किये जायेंगे:-

- (क) कुलपति की नियुक्ति की रीति, उसकी नियुक्ति की अवधि, उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें तथा शक्तियां और कृत्य जिनका उसके द्वारा प्रयोग और पालन किया जायेगा;
- (ख) निदेशकों, कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उपलब्धियां और उनकी सेवा की शर्तें, शक्तियां तथा कृत्य, जिनका उक्त ऐसे अधिकारियों में से प्रत्येक के द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा;
- (ग) कार्य परिषद और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों की पदावधियां व शक्तियां तथा कृत्य, जिनका प्रयोग और पालन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा;
- (घ) अध्यापकों तथा विश्वविद्यालयों के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें;
- (ङ.) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;
- (च) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्यवाही के विरुद्ध विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक, कर्मचारी या छात्र द्वारा किसी अपील या पुनर्विलोकन के लिये किसी आवेदन के संबंध में प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वह समय है, जिसके भीतर ऐसी अपील या पुनर्विलोकन के लिये आवेदन किया जायेगा;
- (छ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे के लिये प्रक्रिया;
- (ज) अन्य सभी विषय जो अधिनियम के अधीन परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हैं या किये जायें;
- (झ) प्रतिपादन व्यवस्था में दूरस्थ शिक्षा परिषद् के सिद्धान्तों का अनुपालन किया जायेगा।

28. परिनियम कैसे बनाये जायेंगे :-

- (1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर बनाये जायेंगे।
- (2) कार्य परिषद् नये और अतिरिक्त परिनियम समय—समय पर बना सकेगी, या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी:

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी, उसका संशोधन नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकारी को प्रस्थापित

परिवर्तनों पर अपनी राय विहित रूप में अभिव्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार न किया गया हो।

- (3) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या अपनी अनुमति विधारित कर सकेगा या उस पर अग्रेतर विचार करने के लिये कार्य परिषद् को भेज सकेगा।
- (4) कोई नया परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विद्यमान्य नहीं होगा, जब तक कुलाधिपति द्वारा उसकी अनुमति न दे दी गयी हो।
- (5) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के दौरान नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।
- (6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात कि होते हुए भी कुलाधिपति अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में कार्य परिषद् को निर्देश दे सकेगा कि परिनियम में उपबन्ध किया जाय और यदि कार्य परिषद् ऐसे निर्देश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसे निर्देश को कार्यान्वित करने में असमर्थ है तो कुलाधिपति, कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निर्देश का पालन करने में अपनी असमर्थता के लिये संसूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् परिनियम बना सकेगा या उनका यथोचित रूप में संशोधन कर सकेगा।

29. अध्यादेश :—

- (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा, अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किये जायें;
- (2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थातः—
 - (क) छात्रों का प्रवेश, पाठ्यक्रम और उनके लिए फीस, उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों और अन्य पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित अर्हताओं, अध्येतावृत्तियों, पारितोषकों और वैसी ही अन्य बातों की मंजूरी के लिए शर्तें;
 - (ख) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तर्गत परीक्षकों के निबन्धन और उनकी नियुक्ति भी है, और
- (3) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाये जायेंगे, और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश ऐसी रीति से जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्तित किये जा सकेंगे।

30. विनियम :—

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गयी समितियों, यदि कोई हों, के कार्य संचालन के लिए और जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है, ऐसी रीति से जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जायें, ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं।

अध्याय – 8

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा

31. वार्षिक प्रतिवेदन :–

- (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये उपाय होंगे।
- (2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलपति को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।
- (3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी, जो उसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

32. लेखा और लेखा परीक्षा :–

- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र, कार्य परिषद के निर्देशों के अध्यधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तरांचल या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें कुलाधिपति इस निमित प्राधिकृत करें, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर, उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी।
- (2) वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन के सम्प्रेक्षणों के साथ कुलाधिपति को, कार्य परिषद्, यदि कोई हो, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर से पूर्व प्रस्तुत की जायेगी। वार्षिक लेखा की एक प्रति लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी जो उसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।
- (3) वार्षिक लेखा पर कुलाधिपति द्वारा किए गए सम्प्रेक्षण कार्य परिषद के ध्यान में लाए जायेंगे।

33. अधिभार :–

- (1) धारा 9 के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ड.) तथा (च) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिये अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।
- (2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तनिर्हित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

अध्याय—9

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

34. कर्मचारियों की सेवा शर्तें :–

- (1) इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कर्मचारी जिसके अन्तर्गत अध्यापक भी हैं, लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया

जा सकेगा तथा ऐसी संविदा, इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों से असंगत नहीं होगी।

- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संविदा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की जानी होगी तथा उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

35. माध्यस्थम अधिकरण :—

- (1) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी या अध्यापक के बीच धारा-36 में निर्दिष्ट नियोजन की किसी संविदा से पैदा होने वाला कोई विवाद, किसी भी पक्ष के अनुरोध पर माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी या अध्यापक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अधिनिर्णयक होगा।
- (2) ऐसा प्रत्येक निर्देश माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थान्तर्गत इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम के लिए निवेदन समझा जायेगा।

36. भविष्य एवं पेंशन निधियाँ :—

- (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों एवं अध्यापकों के फायदे कि लिये ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाय, ऐसी भविष्य एवं पेंशन निधियों का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा, जैसी वह उचित समझे।
- (2) जहाँ ऐसी किसी भविष्य या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया हो, वहाँ राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबन्ध ऐसी निधि पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

अध्याय—10

प्रकीर्ण

37. विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद :—

यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो या उसका सदस्य होने का हकदार हैं, तो यह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

38. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना :—

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी, जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्त में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

39. रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना :—

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में कोई रिक्त या रिक्तियां होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

40. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण :—

कोई विवाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेश के उपबन्धों में से किसी अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी है या की जाने के लिये तात्पर्यर्थित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

41. विश्वविद्यालय के कर्मचारीवृन्द :—

- (1) विश्वविद्यालय उतनी संख्या में कर्मचारियों, जिसके अन्तर्गत शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द भी हैं, जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाये, को नियुक्त करेगा। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्ते ऐसी होंगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जायें।
- (2) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायें।

अध्याय—11

विविध एवं संक्रमणकालीन उपबन्ध

42. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :—

- (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।
- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

43. संक्रमणकालीन उपबन्ध :—

- (1) इस अधिनियम एवं परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी—
 - (क) प्रथम कुलपति, प्रथम कुलसचिव तथा प्रथम वित्त अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और उनकी सेवा शर्ते परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से शासित होंगी: परन्तु प्रथम कुलपति परिनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से दूसरी अवधि के लिये नियुक्ति का पात्र होगा।
 - (ख) प्रथम कार्य परिषद् में पन्द्रह से अनाधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।
 - (ग) प्रथम योजना बोर्ड में दस से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।
- (2) योजना बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त विद्या परिषद् की शक्तियों का प्रयोग तब तक करेगा जब तक कि इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन विद्या परिषद् का गठन नहीं किया जाता और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना बोर्ड ऐसे सदस्य को सहयोगित कर सकेगा, जो वह विनिश्चित करें।

44. परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना :—

- (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 23 क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी उत्तरांचल अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं, यदि राज्य विधान सभा, यथास्थिति, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत होती है या उन्हें अनुमोदित करने के लिए सहमत नहीं होती है तो ऐसा कोई उपान्तरण या निष्प्रभाव परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुसूची

(धारा-4 देखिये)

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

- 1 विश्वविद्यालय राज्य के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए जो राज्य की समृद्धि परम्पराओं पर आधारित हो राज्य की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय संसाधनों की उन्नति और अभिवृद्धि के लिए शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और विस्तारण के माध्यम से, प्रयास करेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह—
 - (क) नियोजन की आवश्यकताओं से सम्बन्धित तथा देश की अर्थव्यवस्था के, उसके प्राकृतिक और मानवीय साधनों के आधार पर, निर्माण के लिए आवश्यक उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें विविध प्रकार का बनायेगा;
 - (ख) जनता के बड़े भागों और विशिष्टतया सुविधारहित समूह को, जैसे कि वे समूह जो दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके अन्तर्गत श्रमजीवी जनता, घरेलू महिलायें और ऐसे वयस्क हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के माध्यम से ज्ञान बढ़ाने व अर्जित करने की इच्छा रखते हैं, उच्चतर शिक्षा तक उनकी पहुँच के लिये उपबंध करेगा;
 - (ग) शीघ्रता से विकसित और परिवर्तित होने वाले समाज में ज्ञान के अर्जन का संवर्धन करेगा और मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में नव-परिवर्तन, अनुसंधान, शोध के संदर्भ में ज्ञान, प्रशिक्षण और कुशलता बढ़ाने के लिये लगातार अवसर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करेगा;
 - (घ) ज्ञान के नये क्षेत्रों में विद्या की अभिवृद्धि करने और उसे विशिष्टतया प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विद्या के तरीकों और गति, पाठ्यक्रमों के मिश्रण, नामांकन की पात्रता, प्रवेश की आयु, परीक्षाओं के संचालन और कार्यक्रमों के प्रवर्तन के सम्बन्ध में सुनिश्चय और निर्बाध विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की नई प्रणाली के लिए उपबंध करेगा;
 - (ङ.) औपचारिक पद्धति की अनुपूरक अनौपचारिक पद्धति का उपबंध करके और विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित पाठों और अन्य सॉफ्टवेयर का व्यापक रूप से उपयोग करके गुणवत्ता के अन्तरण को और शिक्षण कर्मचारीवृन्द के विनिमय को प्रोत्साहित करके शैक्षणिक पद्धति के सुधार में सहयोग देगा;
 - (च) देश की विभिन्न कलाओं, शिल्पों और कुशलताओं में, उनकी गुणवत्ता में सुधार करके जनता के लिये उनकी उपलब्धता में वृद्धि करके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये उपबंध करेगा;
 - (छ) ऐसे कार्यकलापों या संस्थाओं के लिये अपेक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये उपबंध या प्रबन्ध करेगा;
 - (ज) अध्ययन के यथोचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये उपबंध करेगा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा;
 - (झ) अपने छात्रों के लिये परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए उपबंध करेगा; और
 - (ञ) अपनी नीति एवं कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता व मानव व्यक्तित्व के समन्वित विकास में वृद्धि करेगा।
- 2 विश्वविद्यालय दूर और अनुवर्ती शिक्षा के विविध माध्यमों से उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयास करेगा और उच्चतर शिक्षा के विद्यमान विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के सहयोग से कृत्य करेगा और नवीनतम ज्ञान का और नई शिक्षण प्रौद्योगिकी का ऐसी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिये जो समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप हो, पूर्ण उपयोग करेगा।

आज्ञा से,

यूसी० ध्यानी,
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग—6

अधिसूचना

09 जून, 2009 ई0

संख्या—69/उच्च शिक्षा विभाग—राज्यपाल, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 23 वर्ष, 2005) की धारा 31 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के लिए निम्नवत् प्रथम परिनियमावली बनाते हैं—

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

प्रथम परिनियमावली, 2009

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

- (1) इस परिनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 2009 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं :—

जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस परिनियमावली में:—

- (क) “अधिनियम” से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;
- (ख) “अध्यापक की आयु” से, संबंधित अध्यापक की जन्मतिथि जो कि अध्यापक की हाई स्कूल या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा के प्रमाण—पत्र में उल्लिखित है, संगणना की तारीख तक, संगणित अभिप्रेत है;
- (ग) “खण्ड” से परिनियम का वह खण्ड अभिप्रेत है, जिसमें उक्त पद आया है;
- (घ) “सरकार” से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
- (ङ.) “धारा” से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;
- (च) “विश्वविद्यालय” से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (छ) ऐसे शब्दों तथा पदों के जो अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु इस परिनियमावली में परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं।

अध्याय—दो

कुलाधिपति की शक्तियां

3. कुलाधिपति की शक्तियां – (धारा 10 (4)) :-

- (1) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर, जो उन्हें धारा 40 के अधीन निर्दिष्ट किया जाय, विचार करते समय विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिसे वह आवश्यक समझे, मांग सकते हैं, और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांग सकते हैं और ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं, जिसे वह उचित समझें।
- (2) निम्नलिखित किन्हीं परिस्थितियों में कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिए, जैसा वह विनिर्दिष्ट करें, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेंगे—
- (क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुल सचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जायेगी,
- (ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे परिनियम 3 के खण्ड (1) से खण्ड (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो,
- (ग) किसी अन्य आपात स्थिति में;
- परन्तु यह कि कुलाधिपति इस परिनियम के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय—समय पर बढ़ा सकेंगे, किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि, जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है, एक वर्ष से अधिक न हो।
- (3) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जानबूझकर अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।
- (4) परिनियम 2 के खण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाये,
- (क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे वह परिलक्षियां प्राप्त होती रहेगी, जिनके लिए वह अन्यथा, परिनियम 4 के खण्ड (8) के अधीन हकदार था।
- (ख) कुलपति के पद के कृत्यों का निर्वहन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

अध्याय—तीन

कुलपति

4. कुलपति की नियुक्ति, पदावधि, परिलिखियां और शक्तियां तथा कृत्य – (धारा – 11 (1))

- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा परिनियम 3 के खण्ड (2) या परिनियम 4 के खण्ड (5) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम परिनियम 4 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों।
- (2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी, अर्थातः—
- (क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रख्यात शिक्षाविद;
- (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव, जो सदस्य संयोजक होगा।
- (3) परिनियम 4 के अधीन, पदावधि की समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाए, ऐसी तारीख के पूर्व, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी, जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय ऐसे व्यक्तियों में से, जिनकी संस्तुति की गयी है, प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी, किन्तु वह उनमें कोई अधिमान कम उपदर्शित नहीं करेगी।
- (4) जहां कुलाधिपति ऐसे व्यक्तियों में से, जिनकी संस्तुति की गयी है या जिनकी समिति द्वारा सिफारिश की गयी है, किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझते हैं, अथवा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की गयी है उनमें से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो कुलाधिपति समिति से, परिनियमों के अनुसार, नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।
- (5) यदि समिति परिनियम 4 के खण्ड (3) या परिनियम 4 के खण्ड (4) में निर्दिष्ट दशा में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असमर्थ है, या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नामों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं, तो कुलाधिपति शिक्षा—क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्ति करेंगे, जो परिनियम 4 के खण्ड (3) के अनुसार नाम प्रस्तुत करेगी।
- (6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थीं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसके संबंध में बाद में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।
- (7) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा;

परन्तु यह कि कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा कुलपति किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपने पद पर नहीं बना रहेगा।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की परिलक्षियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(9) कुलपति अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के फायदे का हकदार न होगा;

परन्तु यह कि जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाये तो उसे उस भविष्य निधि में जिसका वह अभिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा, जिस सीमा तक वह उसके कुलपति नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा है।

(10) जब तक कि कोई कुलपति परिनियमावली के अधीन अपने पद का कार्यभार न संभाल ले, तब तक विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(11) कुलपति—

(क) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय की बैठकों और विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ;

(ख) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र समुचित दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(12) कुलपति धारा 16 के अधीन यथा उल्लिखित विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(13) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस परिनियम के अधीन मत देने का हकदार नहीं होगा।

(14) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 10 तथा 40 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उस निमित्त आवश्यक हों।

(15) कुलपति को कार्य परिषद्, योजना बोर्ड, विद्या परिषद् वित्त-समिति तथा सभी अन्य साविधिक समितियों की बैठकें बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी।

(16) जहां विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना तत्काल कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण प्रक्रिया में मामले के संबंध में कार्यवाही करते ;

परन्तु यह कि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा;

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलपति को निर्दिष्ट करेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित के रूप में प्रभावी होगी। किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तरण से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

परन्तु अग्रतर यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस परिनियमावली के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यक्ति हो, ऐसी कार्यवाही के उस तारीख से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के अन्दर कार्यपरिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्यपरिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्टि या उपान्तरित कर सकेगी या उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगी।

- (17) परिनियम 4 के खण्ड (6) में किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में न की गयी हो।
- (18) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्यादेश द्वारा अधिकथित की जाये।
- (19) कुलपति,—
 - (एक) अनुदेशकों, पाठ्यक्रम लेखकों, पटकथा लेखकों, काउन्सलरों, परामर्शदाताओं, प्रोग्रामरों, कलाकारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझा जायें,
 - (दो) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक समझे जायें, और अध्यादेशों में अधिकथित प्रक्रिया अनुसार चयनित हो, एक समय में छः मास से अनधिक की अवधि के लिए अल्पकालिक नियुक्तियां कर सकता है;
 - (तीन) समय—समय पर यथाअपेक्षित रूप से विभिन्न स्थानों पर अध्ययन केन्द्रों और प्रोग्राम केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण करेगा और विश्वविद्यालय अपने किसी कर्मचारी को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा जो उक्त केन्द्रों के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझी जायें;
 - (चार) विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और प्रशासकों की समिति या समितियां गठित करेगा, जो कि विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक हों।

अध्याय—चार

निदेशक, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारी

5. निदेशक — (धारा 12)

- (1) निदेशक, प्रत्येक विद्या शाखा से वरिष्ठता के आधार पर आचार्यों में से चक्रानुक्रम के अनुसार कुलपति द्वारा अधिकतम 3 वर्षों हेतु अथवा अधिवर्षता पूर्ण होने जो भी पहले हो तक नियुक्त किये जायेंगे। निदेशक विद्या शाखा के अन्तर्गत समस्त विभागों/विषयों में अकादमिक कार्यों में समन्वय स्थापित करेंगे।

(2) निदेशकों की सेवा की अन्य शर्तें एवं वेतन परिलक्षियाँ इत्यादि ऐसी होंगी जैसी कि विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग के लिए विहित हैं।

6. कुल सचिव की सेवा शर्तें, शक्तियां और कर्तव्य (धारा 13)

(1) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर की जायेगी। कुलसचिव के नियंत्रणाधीन उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव भी अन्य राज्य विश्वविद्यालय की तरह ही राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे;

परन्तु यह कि यदि किन्हीं कारणों से लोक सेवा आयोग कुलसचिव की नियुक्ति करने में असमर्थ रहता है अथवा यह पद रिक्त रहता है तो कुलपति राज्य सरकार से परामर्श कर विश्वविद्यालय के आचार्यों/उपाचार्यों में से किसी व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त कर सकेगा या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त करने का निर्देश ले सकेगा।

(2) कुलसचिव की परिलक्षियां ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाय।

(3) कुलसचिव की सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) के अधीन बनाई गयी उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी।

(4) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। कुलसचिव, कार्य—परिषद् योजना बोर्ड, विद्या परिषद् और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गठित प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें या कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय—समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह मत देने का हकदार न होगा।

(5) कुलसचिव को अधिनियम और परिनियमावली में यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जाएगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(6) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुलसचिव का अनुशासनिक नियंत्रण निम्नलिखित के सिवाय विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों पर होगा:—

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण;

(ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों या पारिश्रमिक वाले कोई पद धारण कर रहे हों या किसी अन्य हैसियत से, यथा परीक्षक या अंतरीक्षक (इनविजिलेटर) हों;

(ग) पुस्तकालयाध्यक्ष ;

(7) परिनियम 6 के खण्ड (6) में निर्दिष्ट अनुशासनिक नियंत्रण से सम्बन्धित किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, परिनियम 18 के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को कुल सचिव के माध्यम से अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(8) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव का निम्नलिखित कर्तव्य होगा:—

(क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होना जब तक कि कार्य—परिषद् द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो;

- (ख) विभिन्न प्राधिकारियों की बैठक से संबंधित प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिए समस्त सूचनायें जारी करना और ऐसे समस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखना;
- (ग) कार्य-परिषद्, विद्या-परिषद्, योजना बोर्ड और मान्यता बोर्ड का सरकारी पत्राचार;
- (घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना, जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो;
- (ङ.) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामें पर हस्ताक्षर करना, अभिवचनों का सत्यापन करना।

7. वित्त अधिकारी की सेवा शर्तें, शक्तियां और कर्तव्य (धारा (14))

- (1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा। वित्त अधिकारी की नियुक्ति वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों में से की जायेगी। उसकी परिलक्षियां और सेवा की अन्य शर्तें, राज्य सरकार के वित्त एवं लेखा सेवा के लेखाधिकारियों पर लागू नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगी। वित्त अधिकारी को संदेय परिलक्षियों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
- (2) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा, नाम-निर्दिष्ट किसी एक विद्या-शाखा निदेशक द्वारा किया जायेगा और यदि किसी कारण ऐसा करना साध्य न हो तो कुल सचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जायें।
- (3) वित्त अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे:—
 - (क) कार्य परिषद् में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा;
 - (ख) विश्वविद्यालयों के किया—कलापों से संबंधित ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करना, ऐसी सूचना को प्रस्तुत करना, जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक हों;
 - (ग) कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण;
 - (घ) यह सुनिश्चित करना, कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय, जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय; (ङ.) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जिससे अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन होता हो;
 - (च) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाए और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;
 - (छ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है;
 - (ज) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना;
 - (झ) किसी वित्तीय मामले में स्वतः या अपेक्षित होने पर उसका परामर्श देना ;
 - (ज) नकदी तथा बैंक में जमा राशि तथा विनिधान की स्थिति पर लगातार निगरानी रखना;

- (ट) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का संवितरण करना और उसके लेखे रखना ;
- (ठ) यह सुनिश्चित करना कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपभोज्य अन्य सामग्रियों के भण्डार (स्टॉक) की नियमित जांच की जाती है;
- (ड) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं जांच करना और समक्ष प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देना;
- (ढ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी मांगना, जिसे यह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे;
- (ण) विश्वविद्यालय के लेखों की निरन्तर आन्तरिक लेखा परीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करना, और उन बिलों की पूर्व लेखा परीक्षा करना, जो तत्संबंधी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हों;
- (त) वित्तीय मामलों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन, जो उसे कार्य—परिषद् अथवा कुलपति द्वारा सौंपे जायें;
- (थ) विश्वविद्यालय के लेखा और लेखा परीक्षा अनुभाग के सहायक कुलसचिव (लेखा), यदि कोई हो, से निम्न स्तर के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखना और उप—कुलसचिव, सहायक कुलसचिव (लेखा) और लेखाधिकारी, यदि कोई हो के कार्य का पर्यवेक्षण करना।
- (4) यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के संबंध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाये, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8. परीक्षा नियंत्रक की सेवा शर्त, शक्तियां और कर्तव्य

परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय की कार्य—परिषद् की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुत व्यक्ति विश्वविद्यालय के उपाचार्य से निम्न पंक्ति का नहीं होगा :

परन्तु यह कि यदि किन्हीं कारणों से पूर्णकालिक परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति न हो पाने की दशा में कुलपति विश्वविद्यालय के आचार्यों/उपाचार्यों में से किसी को तात्कालिक व्यवस्था के रूप में परीक्षा नियंत्रक नियुक्त कर सकेगा।

- (1) परीक्षा नियंत्रक की परिलक्षियां ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित की जायं।
- (2) परीक्षा नियंत्रक की सेवा की अन्य शर्त, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए इस परिनियमावली द्वारा विहित की गयी सेवा की शर्तों द्वारा शासित होंगी।
- (3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जायें या कार्य—परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय—समय पर अपेक्षित हों किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय, या विद्या—शाखा या

अध्ययन केंद्र से कोई सूचना, ऐसे विवरण प्रस्तुत करने या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(4) परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(5) कुलपति और परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्संबंधी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार स्वीकार्य के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

* परीक्षा नियंत्रक की नियुक्त की उपाचार्य जिसकी सेवा उपाचार्य पद पर पाँच वर्ष से कम न हो अथवा आचार्य में से की जायेगी।

- परीक्षा नियंत्रक की रिति को दो व्यापक परिचालन वाले समाचार पत्रों के साथ—साथ रोजगार में प्रकाशित किया जायेगा।

- परीक्षा नियंत्रक के पद हेतु चयन समिति निम्नवत् होगी:—

1. कुलपति	अध्यक्ष
2. कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
3. कार्य परिषद् द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
4. विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम् निदेशक	सदस्य
5. कुलपति द्वारा नामित अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक/महिला/शारीरिक रूप से अशक्त श्रेणी का एक प्रतिनिधि, बशर्ते इन श्रेणीयों के अभ्यर्थी हों तथा चयन समिति में इस श्रेणी का व्यक्ति सम्मिलित न हो।	

सदस्य

- परीक्षा नियंत्रक का कार्यालय 3 वर्ष का होगा जिसे कार्य परिषद के अनुमोदन से अग्रेत्तर 3 वर्षों के लिए विस्तार किया जा सकता है।

* सचिव कुलाधिपति के पत्रांक—1110/जी0एस0/शिक्षा—सी 7-6/2011 दिनांक 01 जुलाई, 2011 द्वारा प्राप्त संशोधन।

अध्याय—पांच

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

9. कार्य परिषद् का गठन उसकी पदावधि तथा कृत्य एंव शक्तियां (धारा 17)

(1) कार्य—परिषद् में निम्नलिखित होंगे:—

(क)	कुलपति	अध्यक्ष
(ख)	परिनियम 13 में उल्लिखित विद्या शाखा से ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो निदेशक;	सदस्य
(ग)	ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक आचार्य;	सदस्य
(घ)	ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक उपाचार्य;	सदस्य

- (ड.) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक प्राध्यापक; सदस्य
- (च) कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पन्द्रह नामों के पैनल (सूची) में से कुलाधिपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट किये जाने वाले चार व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं—
- | | |
|----------------------------------|-------|
| (एक) दो प्रख्यात शिक्षाविद | सदस्य |
| (दो) अग्रणी उद्योग से दो व्यक्ति | सदस्य |
- (छ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति या उसका नाम—निर्देशिती जो प्रति उप कुलपति से निम्न पद का न हो; सदस्य
- (ज) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि पदेन सदस्य
- (2) कुलपति के सिवाय कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए कार्य—परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा ;

परन्तु यह कि यदि इस परिनियम में (ख) से (ड) तक के पदेन सदस्यों में चक्रानुक्रम में चयन के लिए अन्य व्यक्ति उपलब्ध न हो तो ज्येष्ठता क्रम में ही पुनः किसी सदस्य को नियुक्त किया जा सकेगा ।

- (3) कार्य—परिषद् के सदस्यों की पदावधि का आरम्भ, चयन या नाम—निर्देशन के तिथि से प्रारम्भ होगा ।
- (4) कार्य—परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति, कार्य—परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा की जाएगी ।
- (5) परिनियम 9 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम—निर्देशित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह स्नातक न हो ।
- (6) कोई व्यक्ति परिषद् का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह या उसका संबंधी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल की आपूर्ति करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है;

परन्तु यह कि इस परिनियम की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी हॉल या छात्रावास के अधीक्षक या अभिरक्षक (वार्डन) अथवा कुलानुशासक (प्रॉफेटर) या उप शिक्षक (ट्यूटर) के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा विश्वविद्यालय के संबंध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी ।

पदावधि

- (7) पदेन सदस्यों से भिन्न, कार्य परिषद् के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी ।
- (8) कार्य—परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी और अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्—
- | |
|--|
| (एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना; |
| (दो) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से अध्यापकों और शिक्षणेत्तर पदों का सृजन करना; |
| (तीन) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को परिभाषित करना ; |

- (चार) यथारिथि, शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग की नियुक्तियों को अनुमोदित करना;
- (पांच) शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग की अस्थायी रिक्तियों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना;
- (छ:) अतिथि आचार्यों प्रतिष्ठित (इमेरिटस) आचार्य, कलाकारों और पाठ्यक्रम लेखकों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना और अध्यादेशों में विहित मानदेय के आधार पर ऐसी नियुक्तियों के निबन्धनों और शर्तों को अवधारित करना ;
- (सात) विश्वविद्यालय के ऐसे अतिरिक्त धन को ऐसी प्रतिभूतियों में जैसा वह ठीक समझे या विश्वविद्यालय के विकास के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति की खरीद में निवेश करना:
- परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन कोई कार्यवाही वित्त—समिति के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं की जायेगी।
- (आठ) अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के अनुसार अध्यापक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग में अनुशासन को विनियमित और प्रवर्तित करना;
- (नौ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से व्यक्ति अनुभव करें, शिकायतों का विचार करना, न्यायनिर्णीत करना, और शिकायतों को दूर करना;
- (दस) वित्त समिति के अनुमोदन से पाठ्यक्रम लेखकों, संविदा व्यक्तियों, परीक्षकों और अन्वेषकों को देय पारिश्रमिक, यात्रा एवं अन्य भत्तों को नियत करना;
- (ग्यारह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा के प्रयोग की व्यवस्था करना;
- (बारह) अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति संस्थित करना;
- (तेरह) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना और निरसित करना;
- (चौदह) विश्वविद्यालय के लिए बजट तैयार करना;
- (पन्द्रह) विभिन्न कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों और अन्य विषयों के लिए कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम फीस, परीक्षा फीस और अन्य फीस / प्रभार विहित करना—

10. विद्या परिषद् का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा—18)

- (1) विद्या—परिषद् में निम्नलिखित होंगे—
- | | |
|---|--------------|
| (एक) कुलपति | अध्यक्ष |
| (दो) विद्या—शाखाओं में सभी निदेशकगण | सदस्य |
| (तीन) ज्येष्ठताक्रम में चकानुक्रम में चयनित किये जाने वाले दो आचार्य, दो उपाचार्य और दो प्राध्यापक | सदस्य |
| (चार) पुस्तकालयाध्यक्ष | सदस्य |
| (पांच) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो | सदस्य |
| (छ:) ऐसी रीति में, जैसा विद्या—परिषद् उचित समझे, सहयोजित किये जाने वाले शिक्षा के क्षेत्र में पांच व्यक्ति | सदस्य |
| (सात) कुलसचिव | सदस्य / सचिव |
- (2) किसी बैठक की गणपूर्ति विद्या—परिषद् के आठ सदस्यों द्वारा होगी।
- (3) कुलपति के सिवाय, कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए विद्या—परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा।

- (4) कोई भी सदस्य दो से अधिक क्रमवर्ती पदावधि के लिये नामित नहीं किया जायेगा।
- (5) विद्या—परिषद् की अन्य शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे—
- (क) विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और अनुदेश की पद्धतियों या शैक्षणिक मानकों में सुधार के संबंध में निर्देश देना;
 - (ख) योजना बोर्ड या विद्या शाखा या कार्य—परिषद् से किसी निर्देश पर या स्वप्रेरणा से सामान्य हित के मामलों पर विचार करना ; और
 - (ग) शिक्षा संबंधी सभी विद्या—संबंधी मामलों पर कार्य—परिषद् को परामर्श देना।

11. योजना बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा 19)

- (1) योजना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे—
- (एक) कुलपति अध्यक्ष;
 - (दो) अध्यापकवर्ग में से; ज्येष्ठता क्रम में, कुलपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट चार व्यक्ति;
 - (तीन) विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक व्यक्ति को विशेषज्ञता के लिए कार्य—परिषद् द्वारा नाम—निर्दिष्ट किये जाने वाले पांच व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों—
 - (क) वाणिज्यिक प्रबंधन;
 - (ख) विद्वतापूर्ण वृत्तियां ;
 - (ग) विज्ञान / मानविकी / समाज विज्ञान / पर्यावरण;
 - (घ) दूरस्थ शिक्षा; और
 - (ङ.) वाणिज्य तथा उद्योग। - (2) योजना बोर्ड के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।
 - (3) (क) कुलपति और प्रतिकुलपति के सिवाय कोई भी व्यक्ति दो से अधिक क्रमवर्ती अवधि के लिए योजना बोर्ड का सदस्य नहीं होगा।
 (ख) योजना बोर्ड की बैठक ऐसे अंतराल पर होगी, जैसा वह समीचीन समझे, किन्तु इसकी वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें होगी।
 (ग) बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति योजना बोर्ड के छः सदस्यों द्वारा होगी।
 - (4) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय हेतु समुचित कार्यक्रम और क्रियाकलापों को अभिकल्पित और तैयार करेगा और विषय पर जिसे वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे, उसे कार्य—परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा;
 परन्तु यह कि किसी विषय पर शिक्षा—परिषद् और योजना बोर्ड के मध्य मतभेद होने की दशा में उसे कार्य—परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

12. मान्यता बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा 2 (ख))

- (1) —मान्यता बोर्ड निम्नवत संरचित होगा—
- | | |
|-------------------------------------|---------|
| (एक) कुलपति | अध्यक्ष |
| (दो) प्रत्येक विद्या—शाखा का निदेशक | सदस्य |

- (तीन) कुलपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट किये गये विद्या परिषद के दो सदस्य
सदस्य
- (चार) कुलपति द्वारा नाम— निर्दिष्ट योजना बोर्ड का एक सदस्य
सदस्य
- (पांच) कार्य—परिषद् द्वारा नाम—निर्दिष्ट किया गया कार्य—परिषद् का एक सदस्य
सदस्य
- (छ:) कुलसचिव सदस्य सचिव
- (2) मान्यता बोर्ड की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे—
- (क) विद्या—परिषद् और कार्य—परिषद् के अनुमोदन से संस्थाओं की मान्यता के लिए मानक निर्धारित करना;
 - (ख) कुलपति द्वारा उसको निर्दिष्ट किये गये संस्थाओं की मान्यता हेतु आवेदनों का परीक्षण करना और अपनी संस्तुतियों को विद्या—परिषद् को प्रस्तुत करना;
 - (ग) ऐसी संख्या में, जैसी आवश्यक हो, समितियां नियुक्त करना;
 - (घ) ऐसे कृत्यों का निष्पादन करना, जो उसे विद्या—परिषद् द्वारा सौंपे जायें।

13. अध्ययन केन्द्र (विद्या शाखा), बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा 20)

- (1) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित विद्या शाखाएँ होंगे; अर्थात्—
- (क) मानविकी
 - (ख) समाज विज्ञान
 - (ग) प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य
 - (घ) विज्ञान
 - (ड) कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान
 - (च) भाषा विज्ञान
 - (छ) पर्यटन, होटल प्रबन्धन एवं खाद्य प्रोद्योगिकी (फूड टैक्नोलाजी)
 - (ज) ऐसे अन्य पाठ्यक्रम/विद्या शाखा, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जायेय परन्तु यह कि कार्य—परिषद् द्वारा अनुमोदित तिथि से विद्या शाखा कार्य करना आरम्भ करेंगे।
- (2) कार्य—परिषद्, कुलपति की संस्तुति से विद्या शाखा को एक या अधिक विषय सौंप सकती है, जैसा कि कृत्यों के उचित निर्वहन के हित में हो।
- (3) प्रत्येक विद्या शाखा का एक बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित होंगे—
- (क) विद्या शाखा का निदेशक अध्यक्ष
 - (ख) विद्या शाखा के सभी आचार्य सदस्य
 - (ग) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो उपाचार्य सदस्य
 - (घ) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो प्राध्यापक सदस्य
- (4) कुलपति के सिवाय विद्या शाखा बोर्ड के सदस्यों की अवधि दो वर्ष होगी।

- (5) 3 (क) तथा 3 (ख) के सिवाय, कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए विद्या शाखा बोर्ड का सदस्य नहीं रह सकेगा।
- (6) विद्या शाखा बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:-
- (एक) विद्या शाखा में अनुसंधान कार्यों का संवर्धन;
 - (दो) शैक्षिक परिषद् के निर्देशों के अनुसार विद्या शाखा के शैक्षिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम के ढांचे को अनुमोदित करना;
 - (तीन) कुलपति द्वारा गठित विशेषज्ञ—समिति (समितियों) के परामर्श पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार पाठ्यक्रम का अनुमोदन;
 - (चार) विद्या शाखा को समनुदेशित विधाओं के आचार्यों के परामर्श से तैयार किये गये विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, अध्ययन केन्द्र में निदेशक के प्रस्ताव पर, पाठ्यक्रम लेखकों, परीशकों और अनुसंगकों (मॉडरेटर) के नामों को कुलपति को संस्तुत करना और;
 - (पांच) अन्य विद्या शाखा के सहयोग से पाठ्यक्रम लेखकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
 - (छ) उप शिक्षकों (ट्यूटरों) और परामर्शियों के लिए कार्यक्रमों/पुनश्चर्या/ग्रीष्म कालीन पाठ्यक्रमों अथवा संगोष्ठियों के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
 - (सात) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए सामान्य अनुदेश तैयार करना;
 - (आठ) विद्या शाखा के समनुदेशित विधाओं के पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सामग्री की तैयारी के लिए अपनायी गयी कार्य—प्रणालियों की समीक्षा करना, शैक्षिक सामग्री का मूल्यांकन करना, और विद्या परिषद् को उपयुक्त संस्तुतियां करना;
 - (नौ) पहले से प्रयोग में चल रहे पाठ्यक्रमों का समय—समय पर, यदि आवश्यक हो तो, बाहरी विशेषज्ञों की सहायता से समीक्षा करना और पाठ्यक्रमों में ऐसे परिवर्तन करना, जो अपेक्षित हों;
 - (दस) अध्ययन/सम्पर्क/कार्यक्रम केन्द्रों की सुविधाओं और प्रयोगशाला/क्षेत्र कार्य के लिए सुविधाओं की नियत कालिक रूप से, जैसा कि विद्या शाखाओं द्वारा अवधारित किया जाय, समीक्षा करना;
 - (यारह) ऐसे समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें, और सभी ऐसे विषयों पर विचार करना जो उसे कार्य परिषद्, विद्या परिषद, योजना बोर्ड या कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किये जायें, और
 - (बारह) ऐसी सामान्य या विशिष्ट शक्तियों को, जो समय—समय पर विद्या शाखा द्वारा विनिश्चित की जाय, निदेशक बोर्ड के या किसी अन्य सदस्य या किसी समिति को प्रत्यायोजित करना।

(7) से (13)

* (कुलाधिपति के पत्र सं 4208/जी0एस0/शिक्षा—सी 7–13/2014, दिनांक 28 मार्च, 2014 द्वारा अनुमोदित विद्याशाखाये)

क्र0सं0	विद्याशाखा का नाम	क्र0 सं0	अनुमोदित विद्याशाखाये
01.	मानविकी	01.	मानविकी
01.	समाज विज्ञान	02.	समाज विज्ञान
02.	प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य	03.	प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य
03.	विज्ञान	04.	विज्ञान
04.	कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान	05.	कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान
05.	भाषा विज्ञान	06.	व्यवसायिक अध्ययन

07.	पर्यटन, आतिथ्य सेवा, होटल प्रबन्ध एवं खाद्य प्रौद्योगिकी	07.	पर्यटन, आतिथ्य सेवा, होटल प्रबन्ध एवं खाद्य प्रौद्योगिकी
08.	कृषि	08.	कृषि
09.	ग्रामीण स्वास्थ्य विज्ञान	09.	ग्रामीण स्वास्थ्य विज्ञान
10.	शिक्षाशास्त्र	10.	शिक्षाशास्त्र
		11.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
		12.	पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन
		13.	विधि

* विद्या शाखाओं के अधीन इकाईयों के गठन निम्नवत् प्रस्थापित किया जाता है।

विद्याशाखा का नाम वर्तमान में सम्मिलित इकाईयाँ अनुमोदित पुनर्गठन

विद्याशाखा का नाम	सम्मिलित इकाईयाँ	प्रथम संशोधन के फलस्वरूप प्रतिस्थापित इकाईयाँ *	द्वितीय संशोधन के फलस्वरूप प्रतिस्थापित इकाईयाँ *
मानविकी	संस्कृत और प्राकृत भाषा, दर्शनशास्त्र, हिन्दी और आधुनिक भारतीय मनोविज्ञान, भाषाएं, अंग्रेजी और आधुनिक पत्रकारिता यूरोपीय भाषाएं, दर्शनशास्त्र, एवं जनसंचार मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, प्राच्य संगीत, नाटक, विद्या, पत्रकारिता एवं लोकगीत, नृत्य, जनसंचार, उर्दू, पुस्तकालय एवं कला और सूचना विज्ञान	दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, पत्रकारिता एवं जनसंचार, संगीत, नाटक, लोकगीत, नृत्य एवं कला	<ul style="list-style-type: none"> • अंग्रेजी एवं विदेशी भाषायें विभाग • हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषायें विभाग • वैदिक ज्योतिष विभाग • भारतीय कर्मकाण्ड विभाग • संगीत, नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग • दर्शन विभाग • संस्कृत एवं प्राकृत भाषायें विभाग • उर्दू विभाग
समाज विज्ञान	राजनीति शास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्वविज्ञान, मध्ययुगीन और आधुनिक इतिहास, समाज कार्य एवं लोक प्रशासन,	राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, समाज कार्य, लोक प्रशासन, भूगोल, विधि, भारतीय ज्योतिष, कर्मकाण्ड, अर्थशास्त्र	<ul style="list-style-type: none"> • अर्थशास्त्र विभाग • इतिहास विभाग • राजनीति विभाग • मनोविज्ञान विभाग लोक प्रशासन विभाग • समाज कार्य विभाग • समाज शास्त्र विभाग • हिमालयी अध्ययन केन्द्र • गांधी अध्ययन एवं शांति केन्द्र
प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य	वाणिज्य, प्योर एंड एप्लाइड इकोनोमिक्स (विशुद्ध एवं व्यावहारिक अर्थशास्त्र), व्यवसाय प्रशासन और व्यवसाय प्रबंधन, वित्तीय विश्लेषण एवं लेखाशास्त्र	वाणिज्य, प्रबंध अध्ययन एवं रोजगारपरक अध्ययन*	<ul style="list-style-type: none"> • प्रबंध अध्ययन विभाग • वाणिज्य विभाग • मानवीय मूल्य एवं नैतिकता विभाग

विज्ञान	रसायन, भौतिकी, गणित, वनस्पति, वानिकी, प्राणि विज्ञान, भूगोल	रसायन, भौतिकी, गणित, वनस्पति, प्राणि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान एवं भूगोल	<ul style="list-style-type: none"> • वनस्पति विज्ञान विभाग • रसायन विज्ञान विभाग • वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग • भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन विभाग गणित विभाग भौतिकी विज्ञान विभाग प्राणि विज्ञान विभाग • भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं दूर संवेदी अनुप्रयोग विभाग
कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान	कम्प्यूटर अनुप्रयोग एवं कम्प्यूटर अभियांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी	कम्प्यूटर अनुप्रयोग एवं कम्प्यूटर अभियांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान	<ul style="list-style-type: none"> • कम्प्यूटर उपयोग विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
भाषा विज्ञान	—	संस्कृत और प्राकृत भाषा, हिन्दी और आधुनिक भारतीय भाषाएं, अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपीय भाषाएं, प्राच्य विद्या, उर्दू	भाषा विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत सम्मिलित इकाईयों को मानविकी विद्याशाखा में निहित कर भाषा विज्ञान विद्याशाखा समाप्त की गयी।
व्यवसायिक अध्ययन	—	—	व्यवसायिक पाठ्यक्रम विभाग
पर्यटन, आतिथ्य सेवा, होटल प्रबन्ध एवं खाद्य प्रौद्योगिकी	पर्यटन, आतिथ्य सेवा, होटल मैनेजमेंट एवं खाद्य प्रौद्योगिकी	पर्यटन, आतिथ्य सेवा एवं होटल मैनेजमेंट	<ul style="list-style-type: none"> • पर्यटन एवं आतिथ्य विभाग • होटल प्रबन्धन विभाग
कृषि	—	उद्यान विज्ञान, पुष्प विज्ञान, वानिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी	<ul style="list-style-type: none"> • कृषि विभाग(पादप रक्षण, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन) • उद्यान विभाग(सब्जी विज्ञान, पुष्प उत्पादन विज्ञान व फल उत्पादन विज्ञान) • विकास अध्ययन विभाग (कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रसार)
ग्रामीण स्वास्थ्य विज्ञान	—	आयुर्वेद, मेडिकल साइंस, खाद्य एवं पोषण, योग, आयुष, पर्यावरण विज्ञान	<ul style="list-style-type: none"> • आयुर्वेद विभाग • चिकित्सा विज्ञान एवं स्वास्थ्य देखभाल विभाग • योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग • गृह विज्ञान विभाग
शिक्षाशास्त्र	—	शिक्षाशास्त्र	<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षाशास्त्र विभाग • शिक्षक शिक्षा विभाग • विशिष्ट शिक्षा विभाग

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	—	—	• पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन	—	—	• पत्रकारिता विभाग • मीडिया अध्ययन विभाग
विधि	—	—	• नागरिक कानून विभाग • आपराधिक कानून विभाग • मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून विभाग

*(सचिव कुलाधिपति के पत्र सं0 2762/ जी0एस0/ शिक्षा—सी 7-13/ 2014, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 द्वारा शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा के अधीन द्वितीय संशोधन द्वारा किये गये प्रतिस्थापन में सम्मिलित इकाईयों में से शिक्षक प्रशिक्षण विभाग के स्थान पर शिक्षक शिक्षा विभाग प्रतिस्थापित किया गया है।)

वित्त समिति और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा 21)

14 (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे—

- | | |
|--|-------------|
| (क) कुलपति | अध्यक्ष |
| (ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी | सदस्य |
| (ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव | |
| या उसका नामित अधिकारी | सदस्य |
| (च) कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ऐसा व्यक्ति | |
| जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी न हो | सदस्य |
| (घ) वित्त अधिकारी | सदस्य सचिव' |

* सचिव कुलाधिपति के पत्र संख्या 3942/ जी0एस0/ शिक्षा –सी7-1/ 2010 दिनांक 3 फरवरी, 2011 द्वारा प्राप्त संशोधन के अनुसार।

(2) वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

- (3) वित्त समिति, कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बंधित विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनर्रक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद पर बाध्यकर होगी।
- (4) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्य परिषद् उस पर कोई निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्यपरिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वो निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपने असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापिस करेगी और यदि कार्यपरिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

- (5) यदि कार्यपरिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात् बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करें, जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय अन्तर्गत हो, तो कार्य परिषद् वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेंगी।
- (6) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ और तत्पश्चात् कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
- (7) वित्त समिति के सदस्य उसके किसी विनिश्चय से सहमत न हो तो असहमति टिप्पणी अभिलिखित करने का अधिकार होगा।
- (8) लेखाओं की जांच करने तथा व्यय के प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का प्रति वर्ष कम से कम दो बार बैठक होगी।

परीक्षा समिति

- 15 (1) परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे,

(एक) कुलपति	अध्यक्ष
(दो) शैक्षिक शाखाओं के सभी निदेशक	सदस्य
(तीन) शैक्षिक परिषद् का एक सदस्य	सदस्य
(चार) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्य परिषद का एक सदस्य	सदस्य
(पांच) परीक्षा नियंत्रक	सदस्य सचिव

 (2) परिनियम 15(1) के (तीन) एवं (चार) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।
 (3) परीक्षा समिति की बैठकें कुलपति द्वारा, जैसे और जब आवश्यक हो, बुलायी जायेगी।
 (4) परीक्षा समिति विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसीमन तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी, और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का सम्पादन करेंगी, अर्थात्:—
 (क) अध्ययन बोर्ड की सिफारिश पर परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;
 (ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय—समय पर पुनर्विलोकन करना और अनुमोदन के लिए उसे विद्या परिषद् को प्रस्तुत करना;
 (ग) शैक्षिक परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम की घोषणा करना;
 (घ) परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए विद्या परिषद् से सिफारिश करना।
 (5) परीक्षा समिति परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से संबंधित मामलों के संबंध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने के लिए उत्तरी उपसमितियां नियुक्त कर सकेंगी, जितनी वह ठीक समझे।
 (6) इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, परीक्षा समिति या उपसमिति को, जिसे परीक्षा समिति के परिनियम 15 के खण्ड (5) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति प्राधिकृत की हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करने की शक्ति होगी।

अन्य प्राधिकारी

- 16 (1) एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य प्राधिकारी होंगे—
 (2) प्रत्येक विषय में एक अध्ययन बोर्ड होगा, जिसका गठन, शक्तियां और कृत्य नीचे दिये गये हैं:—

(एक) अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

- (क) अध्ययन बोर्ड के सभी आचार्य;
- (ख) चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता के आधार पर, एक वर्ष के लिए दो उपाचार्य;
- (ग) चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता के आधार पर, एक वर्ष के लिए दो प्राध्यापक;
- (घ) बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये छ: नामों की नामिका (पैनल) में से विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ।

परन्तु यह कि यदि अध्ययन बोर्ड या विद्या परिषद् विशेषज्ञों के नामों को प्रस्तुत करने में विफल रही है, तो कुलपति तीन विशेषज्ञों को नामनिर्दिष्ट करेगा।

(दो) अध्ययन बोर्ड को निम्नलिखित कृत्यों के निष्पादन की शक्ति होगी:—

- (क) विषय में प्रदान किये जाने वाले पाठ्यक्रम तैयार कर निर्माण करना और उसे विद्या शाखा के बोर्ड को उसके विचार के लिये सौंपना, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा;
 - (ख) अध्ययन केन्द्र के बोर्ड द्वारा यथावांछित पाठ्यक्रम लेखकों, समीक्षकों और विशेषज्ञों की पहचान करना;
 - (ग) शिक्षा सत्र के कार्यों के लिये परीक्षकों व अनुसीमकों की नामिका (पैनल) तैयार करना;
 - (घ) कुलपति द्वारा अनुमोदित किसी अभिकरण की माध्यम से नामावली या परीक्षा परिणामों की कम्प्यूटरीकृत निर्मिति को प्राधिकृत करना;
 - (ड) ऐसे विषय से संबंधित कोई अन्य मामला, जो कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो;
- (3) अध्ययन बोर्ड की कार्यवाही अध्ययन—शाखा के बोर्ड के माध्यम से विद्या—परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी।

विशेषज्ञ समितियां

- 17 (1) कुलपति उतनी संख्या में विशेषज्ञ समितियों का गठन कर सकता है, जितनी वह उचित समझे और विषय विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है, जो अध्ययन बोर्ड के सदस्य न हों।
- (2) इस परिनियमावली के अधीन नियुक्त कोई समिति अध्ययन बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किसी विषय के संबंध में कार्यवाही कर सकती है।
- (3) विशेषज्ञ समिति की कार्यवाही अध्ययन केन्द्रों के बोर्ड के माध्यम से विद्या—परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी।

अनुशासनिक समिति

- 18 (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उचित समझे, एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी, जिसमें कुलपति और उसके समिति द्वारा या कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे;
- परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद् समीचीन समझे तो वह विभिन्न मामलों या विभिन्न श्रेणियों के मामलों पर विचार करने के लिए ऐसी एक से अधिक समिति गठित कर सकती है।
- (2) ऐसा कोई भी अध्यापक, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला निलम्बित हो, किसी अनुशासनिक समिति के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।
- (3) कार्य परिषद् कोई मामला किसी भी अवस्था में एक अनुशासनिक समिति से किसी दूसरी अनुशासनिक समिति आन्तरित कर सकती है।
- (4) अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—

- (क) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी अपील पर विनिश्चय करना;
- (ख) ऐसे मामलों में जांच करना, जिसमें विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकालयाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अन्तर्गत हो;
- (ग) उपर्युक्त खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने की संस्तुति करना, जिसके विरुद्ध जांच विचाराधीन हो ;
- (घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसे समय—समय पर कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जायं।
- (5) समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा।
- (6) अनुशासनिक समिति का विनिश्चय या उसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र कार्य परिषद् के समक्ष रखी जायेगी, जिससे कार्य परिषद् मामले में निर्णय ले सकें।

विषय समिति

- 19 (1) विश्वविद्यालय में विद्या शाखा की प्रत्येक इकाई में एक विषय समिति होगी, जो इस परिनियम के अधीन नियुक्त विद्याशाखा के निदेशक की सहायता करेगी।
- (2) विषय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—
- | | |
|--------------------------|---------|
| (क) विद्याशाखा का निदेशक | अध्यक्ष |
| (ख) इकाई के समस्य आचार्य | सदस्य |
- परन्तु जहां किसी इकाई में, कोई आचार्य न हो, इकाईयों के समस्त उपाचार्य
- | |
|-------|
| सदस्य |
|-------|
- परन्तु यह और कि किसी ऐसी इकाई में, जहां आचार्य और उपाचार्य दोनों न हों, वहां दो वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के चक्रानुक्रम में दो प्राध्यापक
- | |
|-------|
| सदस्य |
|-------|

परन्तु यह भी कि किसी ऐसी इकाई में जिसमें उपाचार्य और प्राध्यापक दोनों हों, वहां एक प्राध्यापक और दो उपाचार्य और किसी इकाई में जिसमें कोई उपाचार्य न हो, तो वहां ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से दो वर्ष की अवधि के लिए दो प्राध्यापक;

परन्तु अग्रत्तर यह कि किसी मामले में विनिर्दिष्ट तथा किसी विषय या विशेषज्ञता के संबंध में, उस विषय या विशेषज्ञता के ज्येष्ठतम् अध्यापक को, यदि पहले से पूर्वकथित पूर्ववर्ती शीशों में सम्मिलित न हो, मामले के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा।

- (3) विद्याशाखा बोर्ड के अनुज्ञा के अधीन रहते हुए, विषय समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:—
- | |
|---|
| (क) इकाई के अध्यापकों के मध्य अध्यापक कार्य के वितरण के संबंध में संस्तुतियां करना; |
| (ख) इकाई के अनुसंधान और अन्य क्रिया—कलापों के समन्वय के संबंध में सुझाव देना; |
| (ग) इकाई के सामान्य और शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करना। |
- (4) समिति की क्रम से क्रम तीन माह में एक बार बैठक होगी। समिति की बैठकों का कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्याय—छः

विश्वविद्यालय के अध्यापक

अध्यापकों का वर्गीकरण

20 विश्वविद्यालय में अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे:—

- (क) आचार्य;
- (ख) उपाचार्य;
- (ग) प्राध्यापक

विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की अर्हता

21 प्राध्यापक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय—समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु प्राध्यापकों/असिस्टेन्ट प्रोफेसर की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।

उपाचार्य की अर्हता और नियुक्ति

22 उपाचार्य के लिए समय—समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु उपाचार्य/एसोसिएट प्रोफेसर की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।

आचार्य के लिए अर्हताएं

23. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय—समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु आचार्यों/प्रोफेसर की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।

रिक्तियों का अवधारण

24 कुलसचिव वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा तथा प्रवृत्त नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसे अनुमोदन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा।

रिक्तियों का विज्ञापन

25 (1) कुलसचिव, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चर्स्पा कराकर और दो व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्रों में और रोजगार समाचार में विज्ञापन देकर, रिक्तियां अधिसूचित करेगा।

(2) आचार्य, उपाचार्य और प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होगी। चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:—'

- | | |
|---|---------|
| 1. कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. विश्वविद्यालय के समबन्धित वैधानिक निकाय अर्थात् कार्य परिषद् एवं कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय के 3 विशेषज्ञ— सदस्य | |
| 3. विद्या शाखा का निदेशक— | सदस्य |
| 4. संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष— | सदस्य |
| 5. कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद— | सदस्य |

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/ महिला/शारीरिक रूप से अशक्त के प्रतिनिधि के रूप में एक शिक्षाविद वशर्ते कि इन श्रेणीयों के अभ्यार्थी हों तथा चयन समिति में इस श्रेणी का व्यक्ति सम्मिलित न हो।

नोट— चयन समिति की गणपूर्ति 4 सदस्यों से होगी बशर्ते कि उसमें 2 वाह्य विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हों।

* सचिव कुलाधिपति के पत्र संख्या—366/जी0एस0/शिक्षा/सी 7-4/2011 दिनांक 22 अप्रैल, 2011 द्वारा प्राप्त अनुमोदनानुसार।

- (4) चयन समिति द्वारा की गयी कोई संस्तुति, तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन के लिए सहमत न हो।
- (5) यदि कार्य—परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को स्वीकार में असमर्थ है तो ऐसी अस्वीकृति के लिए, कारणों को अभिलिखित करते हुए, अंतिम आदेशों के लिए मामले को कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।
- (6) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए, चयन समिति की बैठक कुलपति के आदेशों के अधीन, बुलायी जायेगी।
- (7) साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- (8) (क) चयन समिति, नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थियों की संस्तुत कर सकती है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनके नामों को श्रेष्ठताक्रम में व्यवस्थित करेगी।
(ख) चयन समिति यह संस्तुति कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायेगा।
- (9) चयन समिति की बैठक साधारणतया विश्वविद्यालय के मुख्यालय में होगी। विशेष परिस्थितियों में, कुलाधिपति के पुर्वानुमोदन से, चयन समिति की बैठक अन्यत्र की जा सकती है।
- (10) चयन समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना कम से कम पन्द्रह दिन दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने के तारीख से की जायेगी। नोटिस की तामीली व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।
- (11) अभ्यर्थियों को चयन समिति की बैठक सूचना कम से कम पन्द्रह दिन से पूर्व दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने के तारीख से की जायेगी। सूचना कमी तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।
- (12) चयन समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान, अध्यादेशों में विहित दरों पर किया जायेगा।
- (13) अ. चयन के लिए अंको का निर्धारण।

1) सहायक प्राध्यापक पद के लिये

- 1.1 सहायक प्राध्यापक अथवा समकक्ष पद के लिये न्यूनतम अर्हता हेतु दिनांक 31/05/2009 तक पीएच0डी0 उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिये NET/SLET की अनिवार्यता नहीं होगी।
- 1.2 दिनांक 31/05/2009 के उपरान्त पीएच0डी0 प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता यथावत लागू होगी।
- 1.3 उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के कार्य—क्षेत्र विषयक ज्ञान एवं बौद्धिक—स्तर के आंकलन के लिये निर्धारित मापदण्डों को निम्नवत निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है:-

क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा दिये गये मानकों के अनुरूप शैक्षिक उपलब्धियों तथा शोध कार्य के लिये 50 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं। इन 50 प्रतिशत अंकों का वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित है:-

i) शैक्षिक उपलब्धियों के लिये 30 प्रतिशत अंक रहेंगे, जिनका विभाजन निम्नवत होगा :

1 स्नातक स्तर	— 5 प्रतिशत।
2 परास्नातक स्तर	— 5 प्रतिशत।
3 नेट (NET/SLET)	— 6 प्रतिशत।
4 एम. फिल. (M.Phil)	— 5 प्रतिशत।
5 पीएचडी (Ph.D)	— 9 प्रतिशत।
योग	— 30 प्रतिशत

ii) शोध कार्यों के लिये उपर्युक्तानुसार स्वीकार किये गये विभाजन के अनुसार 20 प्रतिशत अंक निर्धारित होंगे, जिनका वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित है:-

- राज्य-स्तरीय/राष्ट्रीय संस्था से स्वीकृत एवं वित्त पोषित शोध-परियोजना में शोध-अध्येता (आर0 ए0) के रूप में कार्य करने पर 5 प्रतिशत अंक।
- शोध-पत्रों के लिये अधिकतम 15 प्रतिशत अंक, जिनका विभाजन निम्नवत होगा :
 - 1 एक शोध-पत्र के लिये 4 प्रतिशत अंक।
 - 2 दो से तीन शोध-पत्रों के लिये 12 प्रतिशत अंक।
 - 3 चार तथा चार से अधिक शोध-पत्रों के लिये 15 प्रतिशत अंक।

विशेष टिप्पणी : केवल उन्हीं शोध-पत्रों को इस गणना में सम्मिलित किया जायेगा जो सदर्भित (*Refereed*) जर्नल्स अथवा प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हों। जर्नल्स के स्तर का आंकलन संबंधित विभाग की *Screening Committee* के द्वारा किया जायेगा। *Articles, Book Reviews* तथा *Study Material* को भी *Screening Committee*. जिसमें कुलपति द्वारा नामित दो वाहय विशेषज्ञ भी होंगे, के द्वारा उपयुक्त *weightage* दिया जायेगा।

यदि शोध-पत्र संयुक्त लेखन में हैं, तो प्राप्य अंकों को तदनुरूप विभाजित कर दिया जायेगा।

ख. विषय का ज्ञान तथा अध्यापन क्षमताओं के आंकलन के लिये निर्धारित कुल 30 प्रतिशत अंकों का विभाजन निम्नवत होगा;

i) Seminar, Workshop, Symposium, FDP, MDP, Refresher, इत्यादि के लिये 10 प्रतिशत अंक। इन अंकों को सम्बन्धित अभ्यर्थी की उक्त कार्यक्रमों में सहभागिता के आधार पर सम्बन्धित विभाग की *Screening Committee* के द्वारा निर्धारित किया जायगा।

ii) इस वर्ग में शेष 20 प्रतिशत अंकों के निर्धारण के लिये Demo Lecture की विधि अपनाई जायेगी तथा इस कार्य के लिये अंक सम्बन्धित Screening Committee के द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

ग. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन

समिति के सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20–20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे।

2) सह-प्राध्यापक अथवा उसके समकक्ष के पद के लिये

- 2.1 शैक्षिक उपलब्धियों की गणना हेतु उपाचार्य पद के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये हैं। इन 20 प्रतिशत अंकों का वर्गीकरण निम्नवत् प्रस्तावित हैः—
- | | |
|-----------------------|--------------|
| क. स्नातक स्तर | — 7 प्रतिशत। |
| ख. परास्नातक स्तर | — 8 प्रतिशत। |
| ग. पीएचडी/कार्य अनुभव | — 5 प्रतिशत। |
| योग | — 20 प्रतिशत |
- 2.2 शोध कार्यों एवं प्रकाशन की गुणवत्ता के लिये बनाये गये। इच्छा को इसी रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा तथा इस हेतु 40 प्रतिशत अंक निर्धारित है, अर्थात्। इच्छा का अंश केवल 40 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।
- 2.3 विषय का ज्ञान तथा अध्ययन-अध्यापन क्षमताओं के आंकलन के लिये जो 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं उनका विभाजन निम्नवत् होगा —
- परिसर के विभिन्न कार्यों, दायित्वों एवं प्रशासनिक पदों पर की गयी सहभागिता के लिये 10 प्रतिशत अंक।
 - Demo Lecture के लिये 10 प्रतिशत अंक
- 2.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20–20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे।

विशेष टिप्पणी: परिसर के जीवन में सहभागिता का उपयुक्त प्रमाण देना होगा तथा इस सहभागिता एवं Demo Lecture के लिये संबंधित विभाग की **Screening Committee**, जिसमें कुलपति द्वारा नामित दो वाह्य विशेषज्ञ भी होंगें, द्वारा अंक प्रदान किये जायेंगे।

3) प्राध्यापक/आचार्य पद के लिये

- 3.1 प्राध्यापक पद के लिये 400 API अंक निर्धारित किये गये हैं जो यथावत रहेंगे किन्तु चयन समिति की प्रक्रिया में निर्धारित 100 अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा:-
- शैक्षिक उपलब्धियों के आंकलन के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये हैं इनका वर्गीकरण निम्नवत् प्रस्तावित हैः—
- | | | |
|------------------------|---|------------|
| • स्नातक स्तर | — | 7 प्रतिशत। |
| • परास्नातक स्तर | — | 8 प्रतिशत। |
| • पीएचडी/नेशनल फेलोशिप | — | 3 प्रतिशत। |
| • डीलिटो | — | 2 प्रतिशत। |
| योग | — | 20 प्रतिशत |

- ii) शोध कार्यों इत्यादि के लिये API लिया जायेगा जिसके लिये 40 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं।
- iii) विषय का ज्ञान, अध्ययन—अध्यापन क्षमताओं के आकलन के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं जिनका वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित हैः—
 - परिसर के विभिन्न कार्यदायित्वों एवं प्रशासनिक पदों पर की गयी सहभागिता के लिये 10 प्रतिशत अंक।
 - Demo Lecture के लिये 10 प्रतिशत अंक
- iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20—20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे।

विशेष टिप्पणी: परिसर के जीवन में सहभागिता का उपयुक्त प्रमाण देना होगा तथा इस सहभागिता एवं **Demo Lecture** के लिये संबंधित विभाग की **Screening Committee**, जिसमें कुलपति द्वारा नामित दो वाहय विशेषज्ञ भी होंगें, द्वारा अंक प्रदान किये जायेंगे।

(14) स. विज्ञापन तथा अन्य प्रक्रिया

1. विज्ञापन परिनियमावली के परिनियम 25 के अनुरूप किये जायेंगे।
2. प्रत्येक पद के लिए प्राप्त आवेदनों का सारणीयकरण कर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा परीक्षण किया जायेगा जो साक्षात्कार के लिए आधारभूत अभिलेख होगा।
3. एक पद के लिये उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों में से अधिकाधिक 8 (1:8) अभ्यर्थी को स्क्रीनिंग के आधार पर शैक्षिक एवं अन्य वांछनीय अर्हताओं के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जायं। जहाँ आवेदकों की संख्या 8 से कम हों तथा आवेदक निर्धारित अर्हता रखते हों वहाँ सभी अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाना अभीष्ट होगा।
4. यदि किसी पद विशेष के लिये मात्र एक आवेदन प्राप्त होता है तो पद को पुनर्विज्ञापित किया जायेगा, परन्तु यदि पुनर्विज्ञापन के उपरान्त भी एक ही आवेदन प्राप्त होता है तथा संबंधित अभ्यर्थी वांछित अर्हता रखता हो तो साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा।

* सचिव कुलाधिपति के पत्रांक—417/जी0एस0/शिक्षा—बी 1—151/2010 दिनांक 04 मई, 2011 के माध्यम से प्राप्त संशोधन।

अध्यापक वर्ग की सेवा के निबंधन और शर्तें

26 परिनियम 4 के खण्ड (19) अधीन, कुलपति में निहित शक्तियों के सिवाय, प्रत्येक अध्यापक इस परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य—परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

परिवीक्षा

- 27 (1) प्रत्येक अध्यापक एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
 - (2) कार्य—परिषद्, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकती है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक की अवधि बढ़ायी जाये;
- परन्तु यह कि किसी भी परिस्थिति में, परिवीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी;

परन्तु यह और कि कार्य-परिषद्, कारणों को अभिलिखित करते हुए, परिवीक्षा अवधि की शर्तों को छोड़ सकती है;

परन्तु यह और भी कि यदि किसी मामले में कार्य-परिषद् कोई कार्यवाही करने से विफल रहती है, तो अध्यापक, परिवीक्षा की अवधि के पश्चात्, स्थायी समझा जायेगा।

- (3) (क) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या कार्य-परिषद् द्वारा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा।
(ख) कुलसचिव कार्य-परिषद् के समक्ष स्थायीकरण के लिए अध्यापकों की सूची, उनकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत करेगा।
(ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय;
- (4) कोई अध्यापक, लिखित रूप में, उचित माध्यम से, कार्य-परिषद् को तीन मास की सूचना देते हुए किसी भी समय त्याग-पत्र दे सकता है;
परन्तु, यह कि कार्य-परिषद् अपने विवेक से सूचना अवधि की बाध्यता को समाप्त कर सकती है।
- (5) विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों का वेतन और भत्ता वहीं होंगे, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायं।
- (6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक से, परिशिष्ट 'क' में दिये गये प्रपत्र में, एक लिखित संविदा पर, हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी।
- (7) विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता का पालन करेगा।
- (8) परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन, परिनियम 27 के खण्ड (9) उपखण्ड (ख) के अर्थान्तर्गत अवचार समझा जायेगा।
- (9) अध्यापक को निम्नलिखित कारणों से, पदच्युत या उसके पद से हटाया जा सकता है:-
(क) कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा,
(ख) अवचार,
(ग) सेवा संविदा की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन,
(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में बेर्झमानी,
(ङ.) अपवादजनक आचरण या नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिए दोषसिद्ध;
(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता ;
(छ) अक्षमता;
(ज) पद की समाप्ति।

- (10) परिनियम 27 के खण्ड (4) में की गयी व्यवस्था के सिवाय, कम से कम तीन मास का नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दिया जाय, तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो इनमें भी अवधि अधिक हो) दिया जायेगा या नोटिस के बदले में, तीन मास (या ऐसी उपर्युक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया जायेगा;

परन्तु, यह कि जहां विश्वविद्यालय खण्ड (9) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करें या हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करें या कोई अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी किसी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करें, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी;

परन्तु यह और कि दोनों पक्षकार परस्पर समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

- (11) परिनियम 27 के खण्ड (7) में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा, नियुक्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए कुलसचिव के यहां सुरक्षित रखी जायेगी।
- (12) परिनियम 27 के खण्ड (9) में उल्लिखित किसी कारण से, विश्वविद्यालय के किसी प्राध्यापकों को पदच्युत करने या उसको सेवा से हटाने का कोई आदेश (सिवाय ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, सिद्ध दोष होने पर पद समाप्त किये जाने की स्थिति में) तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उसके विरुद्ध आरोप न लगाया गया हो और जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, उसके विवरण सहित उसकी सूचना उसे न दे दी जाय, और उसको—
- (क) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का;
- (ख) व्यक्तिगत सुनवाई का यदि वह ऐसा चाहे;
- (ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का; जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय:
- परन्तु कार्य-परिषद् या जांच करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।
- (13) कार्य-परिषद् किसी समय, जांच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से साधारणतया दो मास के भीतर, संबंधित अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या पद से हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें पदच्युत करने, पद से हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे।
- (14) प्रस्ताव की सूचना सम्बंधित अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी।
- (15) कार्य-परिषद्, अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने के बजाय, तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यापक का वेतन कम करके या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धियां रोक कर या अध्यापक को उसके निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हो, वेतन से वंचित कर अपेक्षाकृत हल्का दंड देने का प्रस्ताव पारित कर सकती है।
- (16) यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जांच चल रही है या जांच प्रारम्भ करने का विचार हो तो परिनियम 18 में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिनियम 27 के खण्ड (9) के उपखण्ड (क) से (ड.) तक में उल्लिखित आधारों पर निलम्बित करने की सिफारिश कर सकती है यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश पारित किया जाय कि अध्यापक के विरुद्ध जांच करने का विचार है तो निलम्बन आदेश उसके प्रवर्तन के चार सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त हो जायेगा, जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय, जिनके बारे में जांच कराने का विचार था।
- (17) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को—
- (क) यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध की स्थिति में, उसे 48 घंटे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया जाये और उसे इस प्रकार दोषसिद्ध के परिणाम स्वरूप परन्तु पदच्युत या सेवा से हटाया न जाये तो उसकी दोषसिद्ध के दिनांक से,
- (ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाये, चाहे निरोध किसी अपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि तक के लिए, निलम्बित समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण:- ऊपर निर्दिष्ट 48 घंटे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ होने से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की सविराम अवधि पर भी, यदि कोई हो, विचार किया जायेगा।

- (18) जहां विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने का या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या इस परिनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप या अन्यथा अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरुद्ध अग्रतर जांच करे का विनिश्चय करें, वहां यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाने के ठीक पूर्व निलम्बित था, तो यह समझा जायेगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युत या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और दिनांक से प्रवृत्त है।
- (19) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन की अवधि में, समय—समय पर यथासंशोधित, वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड—2 के भाग—2 के अध्याय—8 के उपबन्धों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।
- (20) परिनियम 27 के खण्ड (12) एवं (13) और खण्ड (16) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में उस अवधि को, जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रवर्तन में हो, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (21) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी कलेण्डर वर्ष में, विश्वविद्यालय में किसी परीक्षा या परीक्षाओं के संबंध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिए, उस विशिष्ट कलेण्डर वर्ष में अपने औसत वेतन का 1/6 या तीस हजार रुपये, इसमें जो भी कम हो, से अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।
- (22) इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी—
 - (क) विश्वविद्यालय को कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा।
 - (ख) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन के तारीख के पहले ही विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण कर रहा, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम निर्देशन के तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उस पर नहीं रह जायेगा।
 - (ग) कार्य—परिषद उन दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी, जिनके दौरान ऐसे अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों के लिए विश्वविद्यालय में उपलब्ध होंगे;

परन्तु, यह कि जहां विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायेगा, जो उसे देय हो और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

कैरियर अभिवर्धन योजना

- 28 (1) विश्वविद्यालय का कोई प्राध्यापक वरिष्ठ वेतन में नियोजन के लिए पात्र होगा। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) को प्राध्यापक (चयन वेतनमान) या उपाचार्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) की श्रेणी में रखे जाने के लिए पात्रता, प्राध्यापक पद पर न्यूनतम सेवा की अवधि, पी—एच0डी0 की उपाधि के साथ चार वर्ष, एम0फिल0 की उपाधि के साथ पांच वर्ष अन्य के लिए छः वर्ष होगी और प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य की श्रेणी में रखे जाने के लिए पात्रता, प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान के रूप में न्यूनतम सेवा की अवधि, समान रूप से पांच वर्ष होगी।
- (2) उपाचार्य और आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता का मानदण्ड पी—एच0डी0 या उसके समकक्ष प्रकाशित कृतियां होगी।
- (3) केवल वही उपाचार्य आचार्य के रूप में नियुक्त हेतु विचार किये जाने के लिए पात्र होगा, जिसने उक्त श्रेणी में न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा की हो,

- (4) प्राध्यापक (चयन वेतनमान) उपाचार्य और आचार्य के लिए चयन समिति का गठन परिनियम 25 के खण्ड (2) के अधीन किया जाएगा ;

परन्तु यह कि उक्त परिनियम 28 के अन्तर्गत कैरियर अभिवर्धन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय—समय पर निर्धारित पात्रता एवं समयावधि को लागू किया जायेगा ।

वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति का गठन

- 29 (1) वरिष्ठ वेतनमान में नियोजन ऐसी संवीक्षा समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) संबंधित विद्या—शाखा का निदेशक	सदस्य
(ग) दो विषय विशेषज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट किया जायेगा	सदस्य
(घ) संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य

प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान)

- (2) वरिष्ठ वेतनमान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;

प्राध्यापक (चयन वेतनमान)

- (3) चयन वेतनमान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;

उपाचार्य (पदोन्नति)

- (4) उपाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;

उपाचार्य पदोन्नति हेतु चयन समिति का गठन

- (5) उपाचार्य के रूप में पदोन्नति एक ऐसी चयन समिति की चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी, जिसका गठन परिनियम 25 के खण्ड(2) के उपबन्ध के अनुसार किया जाएगा ।

आचार्य (पदोन्नति)

- (6) आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;

- (7) परिनियम 25 के खण्ड (2) के अधीन कैरियर अभिवर्धन/ पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति परिनियमावली के अधीन उसके समक्ष रखे जाने वाली सभी सुसंगत सामग्री और अभिलेखकों पर विचार करेगी ।

- (8) संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियां कार्य—परिषद् को विनिश्चय के लिए प्रस्तुत की जाएगी । यदि कार्य—परिषद्, संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियों से सहमत न हो तो कार्य—परिषद् ऐसी असहमति के कारणों के साथ, मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा । यदि कार्य—परिषद् संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियों पर, ऐसी समिति के अधिवेशन के दिनांक से चार माह की अवधि के अन्दर कोई निर्णय नहीं लेती है तो भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट हुआ समझा जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

- (9) यदि कोई पदधारी प्राध्यापक, वरिष्ठ वेतनमान/प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य (पदोन्नति) हेतु सम्यक् रूपेण गठित संवीक्षा/चयन समिति द्वारा प्रथमतः उपयुक्त पाया जाता है और तदनुसार अगले वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान/उपाचार्य/ आचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए उसकी

सिफारिश की जाती है, तो उसे उच्चतर वेतनमान अर्हता के तारीख से अनुमन्य होगा, परन्तु उसे पदनाम (यदि कोई हो) कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से दिया जायेगा।

- (10) यदि पदधारी, प्रथमतः परिनियम 29 के खण्ड (9) के अधीन उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो वह प्रत्येक एक वर्ष के बाद ऐसी पदोन्नति हेतु अपने को पुनः प्रस्तुत कर सकता है और उस पर वह संवीक्षा/चयन समिति द्वारा ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जायेगा, जो उस समय तक पात्र हो चुके हैं। यदि उसकी द्वितीय या पश्चातवर्ती प्रयासों में पदोन्नति के लिए संस्तुत किया जाती है, तो उसे यथास्थिति प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान/प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य (पदोन्नति)/आचार्य (पदोन्नत) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से वेतनमान और पदनाम प्रदान किया जायेगा।
- (11) उपाचार्य या आचार्य के ऐसे पदों को, जिस पर पदोन्नति की गयी हो, पदधारी की सेवानिवृत्ति तक, यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के संवर्ग में उतने पदों को वृद्धि समझी जाएगी और उसके पश्चात् पद अपने मौलिक रूप में प्रतिवर्तित हो जाएंगे।
- (12) वर्तमान परिनियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व, सीधी भर्ती द्वारा या व्यक्तिगत पदोन्नति द्वारा या कैरियर अभिवर्धन द्वारा शिक्षण पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए सम्यक् रूप से गठित चयन समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक के, किसी भी चयन पर वर्तमान परिनियमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके पास उस समय यथा विहित न्यूनतम अपेक्षित योग्यता रही हो।
- (13) संवीक्षा/चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से समिति की गणपूर्ति होगी परन्तु अध्यक्ष और कम से कम एक विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक होगी।
- (14) संवीक्षा/चयन समिति द्वारा की गयी किसी संस्तुति को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ चयन से सहमत न हों।
- (15) चयन समिति के सदस्यों को बैठक से पहले कम से कम 15 दिन पूर्व नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसी नोटिस के प्रेषण की तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।
- (16) अभ्यर्थियों को, चयन समिति के बैठक से पहले, कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसी नोटिस के प्रेषण होने के तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।
- (17) ऐसे प्राध्यापकों का कार्यभार, जिन्हें कैरियर अभिवर्धन स्कीम के अधीन चयन वेतनमान या उपाचार्य पदोन्नत या आचार्य पदोन्नत पद पर नियोजित किया गया है, अपरिवर्तित रहेगा।

अध्यापकों की ज्येष्ठता

- 30 (1) इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व से विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह इसके पश्चात आये परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के संबंध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे।
- (3) विद्या-शाखा के निदेशकों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विद्या-शाखा के निदेशक के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा;
परन्तु जब दो या इससे अधिक निदेशकों का उक्त पद पर सेवाकाल समान अवधि का हो, तो आयु में ज्येष्ठ निदेशक को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।
- (4) विद्या-शाखा के विभागाध्यक्षों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण, उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा:

परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों, तो आयु में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।

31— ज्येष्ठता अवधारण:-

- (1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा:-
- (क) किसी आचार्य को प्रत्येक उपाचार्य से ज्येष्ठ समझा जायेगा, और किसी उपाचार्य को प्रत्येक प्राध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायेगा;
- (ख) एक ही संवर्ग में पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता, ऐसे संवर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी;
- परन्तु, यह कि जहां सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियां एक ही समय में की गयी हों, और यथास्थिति, चयन समिति या कार्य-परिषद् द्वारा अधिमान्यता या योग्यता का क्रम इंगित किया गया हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियंत्रित होगी;
- परन्तु यह और कि जहां एक से अधिक नियुक्तियां एक ही बार में पदोन्नति द्वारा की गयी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वहीं होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धारित पद पर थी।
- (ग) यदि (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न) किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय के किसी संस्थान में चाहे वह उत्तराखण्ड या उत्तराखण्ड से बाहर स्थित हो, मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक, विश्वविद्यालय में तत्त्वानी पद या श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाये, तो अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उक्त श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा अवधि को उसके सेवाकाल में सम्मिलित किया जायेगा।
- (घ) यदि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक चाहे इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त किया जाये तो अध्यापक की ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा अवधि की आधी अवधि को उसकी सेवा-अवधि में सम्मिलित किया जायेगा।
- (2) जहां एक ही संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत् सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहां ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जाएगी:-
- (क) आचार्यों के मामले में, उपाचार्य के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा;
- (ख) उपाचार्यों के मामले में, प्राध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा;
- (ग) उन आचार्यों की स्थिति में, जिनकी उपाचार्य के रूप में भी सेवा अवधि उतनी ही हो तो प्राध्यापक के रूप में उनकी सेवा अवधि पर विचार किया जायेगा।
- (3) जहां एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है तो ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता, आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी।
- (4) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्य परिषद्-

- क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हों, और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय, ऐसे अध्यापकों का योग्यता क्रम अवधारित करेगी;
- (ख) चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हों और परिनियम 25 के उपर्युक्त (5) के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करे तो कुलाधिपति उन मामलों में, जहां एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अन्तर्गत हो, ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता क्रम अवधारित करेगा।
- (5) ऐसे योग्यताक्रम की जिसमें खण्ड (4) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जायें, सूचना संबंधित अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी।
- (6) कुलपति समय—समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे। जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में स्वयं कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट किये जाने वाले दो विद्या—शाखाओं के निदेशक होंगे;
- परन्तु यह है कि ऐसे विद्या—शाखा का निदेशक, जिसके अध्यापक की वरिष्ठता विवादित हो, उपर्युक्त ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा;
- परन्तु यह और कि यदि निदेशक, नियुक्त न होने के कारण या पदों का सृजन न होने के कारण, उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय से या उससे बाहर से दो आचार्यों को नाम—निर्दिष्ट कर सकता है।
- (7) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद, ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारणों को उल्लिखित करते हुए, उसे विनिश्चित करेगी।
- (8) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के अंदर कार्य परिषद को अपील कर सकता है। यदि कार्यपरिषद समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी।

आकस्मिक छुट्टी

- 32 (1) आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी जो एक मास में सात दिन अथवा एक सत्र से चौदह दिन से अधिक नहीं होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलायी नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को त्याग सकता है।

विशेषाधिकार छुट्टी *

- (2) एक सत्र में दस कार्य—दिवस तक की विशेषाधिकार छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी, और यह 60 कार्य दिवस तक संचित की जा सकती है।

* सचिव कुलाधिपति के पत्र संख्या 4208/ जी0एस0/ शिक्षा –सी7-13/2014 दिनांक 28 मार्च, 2014 द्वारा विशेषाधिकार अवकाश पर निम्न प्रकार प्रतिस्थापन कर दिया गया है—

(2) विश्वविद्यालय में परम्परागत विश्वविद्यालय की भाँति ग्रीष्म एवं शीतकालीन अवकाश का प्राविधान न होने से शिक्षकों को राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की भाँति वर्ष भर में 30 दिनों का उपर्युक्त अवकाश देय होगा।

कर्तव्य (ड्यूटी) छुट्टी:-

- (3) विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के, जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो या जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालित करने के लिए 15 कार्य दिवस तक की कर्तव्य (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी।

दीर्घकालीन छुट्टी

- (4) किसी एक सत्र में एक मास के लिए दीर्घ कालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी, और जो बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से यथा लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन या निवृत्तिक पूर्वता के लिए दी जा सकती है:

परन्तु, यह कि लम्बी बीमारी की स्थिति में छुट्टी, कार्य परिषद के विवेकानुसार छः मास से अनधिक अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है। ऐसी छुट्टी, लम्बी बीमारी को छोड़कर, केवल पांच वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् दी जा सकती है;

परन्तु यह और कि ऐसे अध्यापकों को, जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापक अध्येतावृत्ति के लिए या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद् या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय या किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण अथवा अन्य के लिए चयन किया जाता है तो उन्हे अध्येत्तावृत्ति, शिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायं, छुट्टी दी जा सकती है।

असाधारण छुट्टी

- (5) असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से जिन्हें कार्य परिषद् उचित समझे, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दी जा सकती है, किन्तु परिनियम 28 के खण्ड (22) में उल्लिखित परिस्थितियों के सिवाय, यह विशेष परिस्थितियों के अधीन दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।

स्पष्टीकरण: (1) अध्यापक जो कोई स्थायी पद धारण करता हो या जो निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति से, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए स्वीकृत की गयी असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय—मान में अपनी वेतनवृद्धि के लिए गणना किये जाने का हकदार होगा ;

परन्तु यह कि उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों को सम्मिलित किया जा सकेगा—

(क) संबंधित शिक्षक उच्चतर अध्ययन के लिए प्रदेश में या प्रदेश से बाहर जा रहा हो, जिसके लिए विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् एवं शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो। यदि पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है, तो ऐसा अवकाश देय नहीं होगा।

(ख) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन का आशय अन्यत्र सेवा करना नहीं है। (सामान्यतः शिक्षक उच्चतर वेतनमान में सेवारत होने के उपरान्त एक या दो शोध पत्र सेमिनार आदि में प्रस्तुत करते हैं, जिसे वे उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन मानते हैं।)

(ग) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन पूर्णतः वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन होना चाहिए। यह अवकाश स्वीकृत करने के लिए आशय नहीं होनी चाहिए।

(घ) यदि कोई अभ्यर्थी विदेश में उच्च वेतनमान में सेवा आदि करता है, साथ ही एक या दो शोध पत्र अथवा पुस्तक भी लिखता है, तो यह उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन नहीं समझा जायेगा।

(2) राज्य सरकार की सहमति कोई अध्यापक, जो अस्थायी पद धारण करता हो, और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गयी हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर, फाइनेंसियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से भाग 4 के मूल नियम 27 के अनुसार अपना वेतन समयमान में ऐसी अवस्था पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह छुट्टी पर न गया होता, परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिए छुट्टी स्वीकृत की गयी थी, लोकहित में रहा हो।

प्रसूति छुट्टी

- (6) अध्यापिकाओं को पूर्ण वेतन सहित 135 दिनों की अवधि तक प्रसूति छुट्टी दी जा सकेगी: परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका को अस्थायी सेवा सहित, यदि कोई हो, सम्पूर्ण सेवा अवधि में दो बार से अधिक नहीं दी जायेगी।
- (7) छुट्टी अधिकार स्वरूप नहीं मांगी जा सकती है। तात्कालिक की आवश्यकता को देखते हुए, स्वीकर्ता अधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है और पहले से स्वीकृत की गयी छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।

बीमारी की छुट्टी

- (8) किसी पंजीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी या लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी 14 दिनों से अधिक हो तो कुलपति ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का, जो उसके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण पत्र मांगने के लिए सक्षम होगा।
- (9) दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर, जो कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायेगी, के सिवाय, छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी कुलपति होगा।

अधिवर्षिता की आयु *

- 33 (1) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी ; परन्तु, यह कि यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून को न हो तो वह अध्यापक शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और वह अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा।
- (2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की सेवानिवृत्ति की तारीख ऐसे अध्यापक के साठवें जन्म तारीख के ठीक पूर्व की तारीख होगी।

* सचिव कुलाधिपति के पत्र संख्या 4208/ जी0एस0/ शिक्षा –सी7–13/2014 दिनांक 28 मार्च, 2014 द्वारा अधिवर्षिता आयु का निम्न प्रकार प्रतिस्थापन कर दिया गया है—

- 33 (1) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु 65 वर्ष होगी ; परन्तु, यह कि यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून को न हो तो वह अध्यापक शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और वह अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा।
- (2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की सेवानिवृत्ति की तारीख ऐसे अध्यापक के पैसठवें जन्म तारीख के ठीक पूर्व की तारीख होगी।

अन्य उपबन्ध

- 34 (1) इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा, अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार और परिशिष्ट 'क' और परिशिष्ट 'ख' में दिये प्रपत्र की शर्तों के अनुसार उपांतरित समझी जायेगी।
- (2) परिनियम 27 के खण्ड (9) के प्रस्तर (ख), (ग), (घ), (ङ.) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायेगा।

- (3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा।
- (4) कुलपति को प्रस्तुत करने से पूर्व मूल रिपोर्ट, निदेशक से भिन्न अध्यापक की दशा में संबंधित निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जायेगी।
- (5) किसी शिक्षा सत्र के संबंध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने के एक मास के अन्दर, इनमें जो भी बाद में हो, दी जायेगी।
- (6) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के संबंध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।
- (7) जहां अधिनियम या इस परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस तामील करना अपेक्षित हो, और ऐसा अध्यापक मुख्यालय पर न हो, वहां ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक से भेजी जा सकता है।

अध्याय—सात

कर्मचारी वर्ग ,अध्यापक से भिन्नद्वं की सेवा के निबन्धन और शर्तें

पुस्तकालयाध्यक्ष(धारा 30(ध))

- 35 (1) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।
- (2) पुस्तकालयाध्यक्ष, का चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् –
- | | |
|--|---------|
| (क) कुलपति | अध्यक्ष |
| (ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे | सदस्य |
- (3) जब तक खण्ड (2) के अधीन नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पद का कार्यभार न सम्भाले तब तक कार्य परिषद् ऐसी अवधि, के लिए, जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।
- (4) पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होंगी जैसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय—समय पर विहित की जायें।
- (5) पुस्तकालयाध्यक्ष की परिलक्षियां ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित की जायें।
- (6) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी सेवाओं को ऐसी रीति से जो अध्यापन कार्य तथा अनुसंधान कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक हो, संगठित करना पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य होगा।
- (7) पुस्तकालयाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेगा; परन्तु यह कि उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरुद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा।

- (8) पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी अध्यादेश में अधिकथित की जाएँ।
- (9) अन्य अधिकारियों और शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति और सेवा के निबन्धन और शर्तें और आचार संहिता, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा के निबन्धनों और शर्तों और आचार संहिता, जैसा कि अध्यादेश में अधिकथित है, द्वारा शासित होंगी।
- (10) खण्ड (9) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारी वर्गों की परिलब्धियां ऐसी होंगी, जैसी समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

अध्याय—आठ

उपाधियों और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना

मानद उपाधि प्रदान करना (धारा 5 (चार))

- 36 (1) ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शन शास्त्र, कला, संगीत, चित्रकारी अथवा कला संकाय को सौंपे गये किसी अन्य विषय की प्रगति में पर्याप्त रूप से योगदान किया हो, अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिए उल्लेखनीय सेवा की हो, डाक्टर आफ लेटर्स (डी०लिट०) अथवा महामहोपाध्याय की मानक उपाधि प्रदान की जा सकेगी।
- (2) ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किसी शाखा के अभिवर्धन अथवा नियोजन या देश में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थाओं के संगठन या विकास में पर्याप्त रूप से योगदान किया हो, डॉ० आफ साइन्स (डी०एस०सी०) की मानक उपाधि प्रदान की जा सकेगी।
- (3) ऐसे व्यक्ति को, जो प्रख्यात वकील, न्यायाधीश, ज्यूरी, राजनयिक है अथवा जनहित में उल्लेखनीय कार्य किया है, डा० ऑफ लॉ (एल०एल०डी०) की मानक उपाधि प्रदान की जा सकेगी।
- (4) कार्य परिषद् स्वप्रेरण से अथवा विद्या परिषद् की सिफारिश पर, जो उसकी कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा की जाय, मानक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति को पुष्टि के लिए प्रस्तुत कर सकती है;

परन्तु, यह कि किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य हो, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

- (5) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण—पत्र को वापस लेने के लिए कोई कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्पष्ट करने के लिए, अवसर दिया जायेगा। कुल सचिव उसके विरुद्ध निर्मित आरोपों की सूचना पंजीकृत डाक से भेजेगा और सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षा की जायेगी कि वह आरोपों की प्राप्ति से कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि के अन्दर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
- (6) मानक उपाधि को वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी।

अध्याय—नौ

किसी उच्च शिक्षा संस्था की मान्यता

- 37 (1) कार्य—परिषद् द्वारा मान्यता बोर्ड की सिफारिश पर संबंधित विद्याशाखा बोर्ड की सहमति और विद्या परिषद् की संस्तुति के पश्चात् किसी संस्था को, संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकेगी तथा प्रदत्त मान्यता, संबंधित विद्याशाखा बोर्ड की सहमति से विद्या परिषद् की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा प्रत्याहरित की जा सकती है।
- (2) मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रबन्धन निम्नलिखित में निहित होगा –
- (क) संस्था का अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा नियुक्त प्रबन्ध समिति या अन्य समकक्ष निकाय में, जिसके गठन की सूचना कार्य परिषद् को दी जायेगी, या
- (ख) संस्था का अनुरक्षण करने वाले निकाय या व्यक्ति द्वारा नियुक्त निदेशक।
- (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में शोध कार्य का मार्गदर्शन संस्था के निदेशक और अन्य अध्यापकों द्वारा किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय की डी०लिट० या डी०एस—सी० या एल—एलडी० या डी०फिल० उपाधियों हेतु मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक या सलाहकार हैं, द्वारा निर्देशन कार्य किया जायेगा।
- (4) संस्था के निदेशक और अन्य अध्यापक, यदि वे ऐसे सहमत हों, संबंधित विभागाध्यक्ष की सहमति से विश्वविद्यालय के शोध छात्रों के लिए उच्च व्याख्यानमाला उपलब्ध करा सकते हैं।
- (5) कोई भी व्यक्ति, जो आवश्यक अर्हता रखता है और विश्वविद्यालय की शोध उपाधि हेतु संस्थान में शोध कार्य करने का इच्छुक हो, कुलसचिव को संस्था के निदेशक के माध्यम से आवेदन करेगा। प्राप्त प्रार्थना—पत्र, अध्यादेशों के अन्तर्गत गठित शोध उपाधि समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, के अनुमोदनोपरान्त आवेदक को अध्यादेशों द्वारा विहित ऐसे शुल्क का भुगतान कर, जो अध्यादेश द्वारा विहित हो, कार्य प्रारम्भ करने के लिये अनुमति दी जाएगी।

अध्याय—दस

दीक्षान्त समारोह

- 38 (1) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करने के लिये वर्ष में एक बार ऐसे तारीख को और ऐसे समय, जैसा कार्य परिषद् इस निमित नियत करे, एक दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।
- (2) कुलाधिपति के पुर्वानुमोदन से, विश्वविद्यालय द्वारा कोई विशेष दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।
- (3) दीक्षान्त समारोह में धारा 3 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे, जिनसे विश्वविद्यालय का निगमित निकाय गठित हो।
- (4) प्रत्येक संस्था या अध्ययन केन्द्र में ऐसी तारीख को और ऐसे समय, जैसा प्राचार्य कुलपति के लिखित पुर्वानुमोदन से नियत करे, स्थानीय दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।
- (5) दो या दो अधिक संस्थाएं या अध्ययन केन्द्रों के लिये, संयुक्त दीक्षान्त समारोह, परिनियम 38 के खण्ड (4) में विहित रीति से, आयोजित किया जा सकता है।
- (6) इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षान्त समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और इससे संबंधित अन्य विषय ऐसे होंगे, जैसा अध्यादेशों में निर्धारित हो।
- (7) जहां विश्वविद्यालय या किसी संस्था या अध्ययन केन्द्र के दीक्षान्त समारोह आयोजित करना सुविधाजनक न हो वहां उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टता सम्बद्ध अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

अध्याय—ग्यारह

अधिभार

अधिभार (धारा 36)

39 (1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अध्याय में—

(क) "परीक्षक का तात्पर्य" परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड सरकार से है।

(ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है।

(ग) "विश्वविद्यालय का अधिकारी" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ख) से (छ) तक के किसी भी खंड में उल्लिखित अधिकारी और इस परिनियमावली के अधीन इस रूप में घोषित अधिकारियों से है।

(2) किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें परीक्षक की राय हो कि किसी अधिकारी की उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति को हानि, अपव्यय या दुरुपयोग, जिसके अन्तर्गत दुर्विनियोग या अनुचित व्यय भी है, हुआ है तो वह अधिकारी से लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है कि क्यों न उस पर ऐसी धनराशि की हानि, धन के अपव्यय या दुरुपयोग के लिए या ऐसी धनराशि के लिए, जो सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के बराबर हो, अधिभार लगाया जाये, और ऐसा स्पष्टीकरण ऐसी अपेक्षा के संसूचित किये जाने के तारीख से दो मास से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा;

परन्तु, यह कि कुलपति से भिन्न किसी भी अधिकारी से स्पष्टीकरण कुलपति के माध्यम से मांगा जायेगा।

टिप्पणी— (1) परीक्षक द्वारा या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रारम्भिक जांच के लिए अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की जाएगी या समस्त संबंधित पत्रादि आदि और अभिलेख अधिकारी द्वारा या (यदि ऐसी सूचना, पत्रादि या अभिलेख उक्त अधिकारी से भिन्न व्यक्ति के पास हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा) दो सप्ताह से अनधिक युक्त युक्त समय के अन्दर दिखाए जाएंगे।

(2) खण्ड (1) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परीक्षक निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण मांग सकता है:—

(क) जहां व्यय, इस परिनियमावली या अधिनियम या अध्यादेश या इसके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया है।

(ख) जहां हानि, पर्याप्त अभिलिखित कारणों के बिना, कोई उच्चतर निविदा स्वीकार करने से हुई हो,

(ग) जहां विश्वविद्यालय को देय कोई धनराशि इस नियमावली, अधिनियम, अध्यादेशों या इनके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रेषित की गई हो,

(घ) जहां विश्वविद्यालय को अपने देयों को वसूल करने में उपेक्षा के कारण हानि हुई हो,

(ङ.) जहां विश्वविद्यालय की निधि या सम्पत्ति को ऐसे धन या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये युक्तियुक्त सावधानी न बरतने के कारण हानि हुई हो।

(3) उस अधिकारी की लिखित मांग पर, जिससे स्पष्टीकरण मांगा गया हो, विश्वविद्यालय उसे संबंधित अभिलेखों या निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधाएं देगा। परीक्षक सम्बद्ध अधिकारी के आवेदन—पत्र पर उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए समय की युक्तियुक्त अवधि बढ़ा सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि आरोपित अधिकारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण अपने नियंत्रण से परे कारणों में नहीं कर सका।

स्पष्टीकरण—अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी परिनियमावलियों, अध्यादेशों का उल्लंघन करके, की गई कोई नियुक्ति, अवचार करना समझा जायेगा और ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण

सम्बद्ध व्यक्ति को वेतन या अन्य देयों का भुगतान विश्वविद्यालय के धन की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग समझा जायेगा।

- (3) विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् और स्पष्टीकरण पर, यदि समय के भीतर प्राप्त हो, विचार करने के पश्चात्, परीक्षक अधिकारी पर सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के लिये, जिसके लिये ऐसा अधिकारी उसकी राय में उत्तरदायी हो, अधिभार लग सकता है:

परन्तु, यह कि यदि दो या अधिक अधिकारियों की उपेक्षा या अवचार के परिणाम स्वरूप हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग हो तो प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयुक्तः और पृथक्तः देनदार होगा;

परन्तु यह भी कि कोई भी अधिकारी किसी ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग होने की तारीख दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके ऐसा अधिकारी न रह जाने के तारीख से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इसमें जो भी बाद हो, किसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी न होगा।

- (4) परीक्षक द्वारा पारित अधिभार संबंधी आदेश से व्यक्ति अधिकारी, उस मण्डल के आयुक्त को, जिसमें विश्वविद्यालय स्थित हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के अंदर अपील कर सकता है। आयुक्त परीक्षक द्वारा दिये गये आदेश को पुष्टि कर सकता है, उसे विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार दिया गया आदेश अन्तिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

- (5) अधिकारी, जिस पर अधिभार लगाया गया हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनों से साठ दिन या ऐसे अग्रेत्तर समय के अन्दर, जो उक्त दिनांक से एक वर्ष से अधिक न हो, जैसी परीक्षक द्वारा अनुमति दी जाये, अधिभार की धनराशि का भुगतान करेगा;

परन्तु, यह कि यदि परिनियम 39 के खण्ड (4) के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गई हो तो अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से धनराशि की वसूली के लिए समस्त कार्यवाहियां आयुक्त द्वारा रोकी जा सकती हैं, जब तक कि अपील का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाय।

- (6) यदि अधिभार की धनराशि का भुगतान खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाएं तो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकेगी।

- (7) जहां अधिभार के किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद संस्थित किया जाये और ऐसे वाद में परीक्षक या राज्य सरकार प्रतिवादी हों, वहां वाद का प्रतिवाद करने में उपगत समस्त खर्चों का भुगतान, विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह बिना किसी विलम्ब के उसका भुगतान कर दे।

अध्याय—बारह वार्षिक प्रतिवेदन

वार्षिक प्रतिवेदन (धारा 34(2))

- 40 अधिनियम की धारा 34 के अनुसार तैयार की गई वित्तीय वर्ष विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के 30 सितम्बर को या उसके पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

अध्याय—तैरह अध्यादेश और विनियम

अध्यादेशों और विनियमों की विरचना(धारा 32 और धारा 33)

- 41 (1) प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जाएंगे।
- (2) इस परिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कार्य परिषद् समय—समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या परिनियम 41 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों का संशोधन या निरसन कर सकेगी;
- परन्तु यह कि ऐसा कोई अध्यादेश बनाया, संशोधित या निरसित नहीं किया जायेगा, जिससे—
- (क) छात्रों के प्रवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जानी वाली परीक्षायें अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रवेश के लिए और अधिक अर्हताओं को प्रभावित करें,
- (ख) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्तव्यों तथा परीक्षाओं या संबंधित शाखा के प्रस्ताव के सिवाय और जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो, किसी पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या
- (ग) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा परिलक्षियां अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जब तक कि उसका प्रारूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।
- (3) कार्य परिषद् को परिनियम 41 के खण्ड (2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे विद्या परिषद् को पूर्णतः अथवा भागतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधनों के साथ वापस कर सकेगी, जिसका कार्य परिषद् सुझाव दे।
- (4) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जैसा वह निर्देश दे और यथाशीघ्र कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (5) कुलाधिपति किसी समय कार्य परिषद् को परिनियम 41 के खण्ड (2) के परन्तुक खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों की अस्वीकृति से सूचित कर सकेगा और कार्य परिषद् को ऐसी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त होने की तारीख से ऐसे अध्यादेश शून्य हो जायेंगे।
- (6) कुलाधिपति यह निर्देश दे सकेगा कि परिनियम 41 के खण्ड (2) के परन्तुक खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक निलम्बित रहेगा जब तक उसे अध्यादेश को अस्वीकृत करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस परिनियम के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

विनियमों का बनाया जाना

- 42 (1) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगा:—
- (क) बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना,
- (ख) ऐसे समस्त विषयों का प्राविधान करना, जो अधिनियम, परिनियमों या, अध्यादेशों में विनियमों द्वारा विहित किये जाने हो।

- (2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये विनियमों में, उसके सदस्यों को बैठकों की तारीख, और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसी बैठकों में किये जाने वाले कामकाज का अभिलेख रखने का भी प्राविधान किया जाएगा।
- (3) कार्य परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को यह निर्देश दे सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को रद्द कर दे या उनमें ऐसे रूप में संशोधन कर दे, जैसा निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाए, और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी तदनुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा;
- परन्तु, यह कि यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का समाधान किसी ऐसे निर्देश से न हो तो वह कुलाधिपति को अपील कर सकता है, जो कार्य परिषद के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात ऐसा आदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- (4) आध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विद्या परिषद विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए संबंधित विद्या शाखा बोर्ड के द्वारा उसके प्रारूप प्रस्तावित किये जाने के पश्चात ही विनियम बना सकेगी।
- (5) विद्या परिषद को परिनियम 42 के खण्ड (4) के अधीन विद्या शाखा के बोर्ड द्वारा प्रस्तावित, किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ विचार करने के लिए वापस कर सकेगी।

आज्ञा से,

(अंजली प्रसाद)

सचिव।

मैनुअल संख्या : 6

ऐसे दस्तावेजों के, जो उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का वितरण.

विश्वविद्यालय में समस्त कार्यों का निर्वहन कुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय एवं वित्त नियंत्रक कार्यालय द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में धारित पत्रावलियों का विवरण निम्न प्रकार है –

कुलपति कार्यालय –

S.N.	File Name	File No.
1.	V.C Office Orders/Notices	OUU/VC/2010/01
2.	OUU Office Orders/Notices	OUU/VC/2010/02
3.	Order/Notice Issued by OSD	OUU/VC/2010/03
4.	Correspondence with H.E Governor/ Chancellor	OUU/VC/2010/04
5.	Correspondence with Other Universities/Institutions	OUU/VC/2010/05
6.	Correspondence with Government	OUU/VC/2010/06
7.	Correspondence with Higher Education	OUU/VC/2010/07
8.	Correspondence with Hon'ble C.M Uttarakhand	OUU/VC/2010/08
9.	DEC Correspondence	OUU/VC/2010/09
10.	Outgoing orders of Hon'ble V.C	OUU/VC/2010/10
11.	Guard File (outgoing)	OUU/VC/2010/11
12.	शिकायती पत्रों से सम्बन्धित पत्रावली	OUU/VC/2010/12
13.	Progress reports	OUU/VC/2010/13
14.	UGC Notice (Rules & Regulations)	OUU/VC/2010/14
15.	Minutes of Meeting (External and Internal)	OUU/VC/2010/15
16.	Imprest file	OUU/VC/2010/16
17.	Miscellaneous file	OUU/VC/2010/17
18.	Confidential File	OUU/VC/2010/18
19.	National Festival	OUU/VC/2010/19
20.	VIP's Visit Program	OUU/VC/2010/20
21.	V.C/Officers Mobile payment	OUU/VC/2010/21
22.	Offer/Order of Consultant	OUU/VC/2010/22
23.	Establishment of Computers in Universities	OUU/VC/2010/23
24.	Miscellaneous	OUU/VC/2010/24
25.	शासन को पदों की स्वीकृति हेतु पत्राचार	OUU/VC/2010/25
26.	National Bureau of Accreditation	OUU/VC/2010/26
27.	V.C conference (July 12,13 2010)	OUU/VC/2010/27
28.	CIQA क्याख्यान पत्रावली (अक्टूबर 2010)	OUU/VC/2010/28
29.	Condolence File	OUU/VC/2010/29
30.	V.C Personal File	OUU/VC/2010/30
31.	V.C Tour File	OUU/VC/2010/31
32.	V.C Income tax File	OUU/VC/2010/32
33.	Daily Program of V.C	OUU/VC/2010/33
34.	Meeting Notice	OUU/VC/2010/34
35.	Biodata	OUU/VC/2010/35
36.	Camp Office	OUU/VC/2010/36
37.	Recognition of courses	OUU/VC/2010/37

38.	Temporary file	UOU/VC/2010/38
39.	correspondence with U.P. Rajshree Tondon Open University	UOU/VC/2010/39
40.	Release of Books At Raj Bhawan	UOU/VC/2010/40
41.	Udaan (University News Letter)	UOU/VC/2010/41
42.	Condolence File	UOU/VC/2010/42
43.	ODL System	UOU/VC/2010/43
44.	Programs attended by V.C	UOU/VC/2010/44
45.	Unit Writing	UOU/VC/2011/45
46.	RNI	UOU/VC/2011/46
47.	Seminar and Conferences	UOU/VC/2011/47
48.	Correspondence with AICTE	UOU/VC/2011/48
49.	Tata Motors	UOU/VC/2011/49
50.	Centre for Tribal Studies in Uttarakhand	UOU/VC/2011/50
51.	विश्वविद्यालय के भूमि पूजन एवं शिलान्यास	UOU/VC/2011/51
52.	file related to Court Cases	UOU/VC/2011/52
53.	Orientation of Programmes	UOU/VC/2011/53

कुलसचिव कार्यालय –

Sl. No.	File Name	File No.
1.	MEETING	UOU/R1/MEETING/200/2010
2.	STUDY CENTRE	UOU/R1/SC/201/2010
3.	CONFERENCES	UOU/R1/CONFERENCE/202/2010
4.	TOUR OF REGISTRAR	UOU/R1/T.R./203/2010
5.	EXECUTIVE COUNCIL	UOU/R1/E.C./204/2010
6.	ACADEMIC COUNCIL	UOU/R1/A.C./205/2010
7.	PLANNING BOARD	UOU/R1/P.B./206/2010
8.	BOARD OF STUDIES	UOU/R1/BOS/207/2010
9.	R.T.I (PUBLIC INFORMATION OFFICER)	UOU/R1/RTI/208/2010
10.	R.T.I. (APPLEATE AUTHORITY)	UOU/R1/R.T.I.(A)/209/2010
11.	CORRESPONDENCE WITH UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (UGC)	UOU/R1/UGC/210/2010
12.	DISTANCE EDUCATION COUNCIL (DEC)	UOU/R1/DEC-04/211/2010
13.	MOU (IGNOU)	UOU/R1/MOU(IGNOU)/212/2010
14.	MOU (VMOU)	UOU/R1/MOU(VMOU)/213/2010
15.	CORRESPONDENCE OF COURT CASES	UOU/R1/COURT/214/2010
16.	LAXMI PUBLICATIONS	UOU/R1/MOU(L.P)/215/5/2010
17.	TRANSFER OF LAND	UOU/R1/LAND/216/2010
18.	CORRESPONDENCE RELATED TO SANCTION OF POSTS	UOU/R1/POST/217/2010
19.	INDIAN KNOWLEDGE CORPORATION	UOU/R1/IKC/218/2010
20.	समतुल्यता एवं प्रवेश अर्हता	UOU/R1/ /219/2010
21.	MOU WITH OTHER COLLABORATORS	UOU/R1/MOU(C)/220/2010
22.	CORRESPONDENCE WITH STATE GOVT.	UOU/R1/S.G./221/2010 ~~~~~~
23.	MISCELLANEOUS	UOU/R1/MISC/222/1020
24.	OFFICE ORDER	UOU/R1/ORDER/223/2010
25.	M.B.A. ENTRANCE EXAM	UOU/R1/MBA(E.T.)/224/2010
26.	PROJECTS	UOU/R1/PROJECT/225/2010
27.	यौन उत्पीड़न निवारण समिति	UOU/R1/ SH/226/2010
28.	GAZETTEE NOTIFICATION	UOU/R1/G.N./227/2010
29.	MINUTES OF THE MEETING	UOU/R1/MOM/228/2010
30.	CORRESPONDENCE WITH COURSE WRITERS	UOU/R1/C.W. /229/2010
31.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली – 2010 के अनुसार कार्यवाही	UOU/R1/U.G.C. REGU. ½;w0th0lh0 fu0½/230/2010
32.	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 47(2) में संशोधन के संबंध में।	UOU/R1/ACT. AMEND.(vf/k0 la”kks)/231/2010
33.	विश्वविद्यालय की विद्या शाखाओं के निदेशक नामित किये जाने	UOU/R1/S0S/232/2010

	के संबंध में।	
34.	BOARD OF RECOGNITION (मान्यता बोर्ड)	UOU/R1/B.O.R./233/2010
35.	CAMP / TRAINING PROGRAMME FILE	UOU/R1/CAM-TRA/234/2010
36.	परिनियमावली में संशोधन के सम्बन्ध में	UOU/R1/ST. AMEND./235/2010
37.	DIFFERENT DEGREE/ DIPLOMA/ CERTIFICATE PROGRAMMES OF THE UNIVERSITY	UOU/R1/PROG./236/2010
38.	SIM PURCHASE FROM IGNOU	UOU/R1/SIM(IGNOU)/237/2010
39.	Smart Skills & Tata Motors	UOU/R1/S.S&T.M/238/2010
40.	INQUIRY	UOU/R1/INQUIRY/239/2010
41.	शैक्षणिक पदों पर आरक्षण रोस्टर निर्धारण	UOU/R1/POST (R.R.)/240/2010
42.	CORRESPONDENCE WITH IGNOU	UOU/R1/IGNOU/241/2010
43.	BAPP, BACP AND BACPP पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में।	UOU/R1/PRE.PRO./242/2010
44.	पुस्तक लेखन का सम्पादन कार्य देय राशि	UOU/R1/243/2010
45.	S.C. S.P. Plan	UOU/R1/SCSP/244/2010
46.	GENERAL FILE	UOU/R1/GEN/245/2010
47.	Constitution of School of Studies	UOU/R1/SOS(C)/246/2010
48.	भवन निर्माण समिति	UOU/R1/Cons. Of Buil/247/2010
49.	विभिन्न बैठकों की तिथियों के सम्बन्ध में।	UOU/R1/बैठो / 248/2011
50.	MOU (BHOJ)	UOU/R1/MOU(BHOJ)/249/2011
51.	चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में	UOU/R1/Selection.Proce./250/2011
52.	Legal Opinion	UOU/R1/Legal Opi/251/2011
53.	Running of University Canteen	UOU/r1/canteen/252/2010
54.	letters/circulars/notices received from various organizations/institutions	UOU/R1/253/2010
55.	Exemption of Custom Duty & Excise	UOU/R1/CD&CE/254/2010
56.	ICSSR Fellowship	UOU/R1/ICSSR/255/2010
57.	विद्या शाखा के अन्तर्गत इकाई के स्थान पर विभाग किये जाने के सम्बन्ध में।	UOU/R1/Dept./256/2010
58.	विशेषज्ञ समिति के गठन के संबंध में	UOU/R1/257/2010
59.	Association of Indian Universities	UOU/R1/AIU/258/2010
60.	Entrepreneurship Development Institute of India	UOU/R1/EDII/259/2010
61.	Stock Verification of University Store	UOU/R1/Sto.verfi./260/2011
62.	शिक्षणित्तर पदों की चयन प्रक्रिया विषयक	UOU/R1/262/2011
63.	K.K. Handique State Open University MOU	UOU/R1/KKHSOU/263/2011
64.	HILTRON, DEHRADUN	UOU/R1/HILTRON/264/2011
65.	Indian Knowledge Corporation – Programmes	UOU/R1/IKC-Programmes/265/2011
66.	शोध उपाधि अध्यादेश	UOU/R1/266/2011
67.	अध्यादेश संशोधन/ नये अध्यादेश	UOU/R1/Amend. Ordinance/267/2011
68.	माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं के लिये नियुक्त अधिवक्ताओं के बिलों के भुगतान सम्बन्धी पत्रावली	UOU/R1/Advocate. Pay./268/2011
69.	Jitendra Singh Vs UOU	UOU/R1/C.C. 1381(2008)/269/2011
70.	Writ No. WP No.141 of 2011 (S/B)	UOU/R1/C.C. 141/270/2011
71.	Writ No. WP No.152 of 2011 (S/B)	UOU/R1/C.C. 152/271/2011
72.	RECOGNITION CELL	UOU/R1/Recog. Cell/273/2011
73.	अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में।	UOU/R1/SC.ST Com/274/2011
74.	प्रशासनिक भवन निर्माण प्रथम चरण	UOU/R1/Administrative Block /275/2011
75.	Imprest	UOU/R1/Imprest/276/2011
76.	Gandhian Studies	UOU/R1/G.S./277/2011
77.	विभिन्न कार्यकलापों के संचालन हेतु अतिरिक्त कार्य दायित्व	UOU/R1/A.C/278/2011
78.	Correspondence with Governor Secretariat	UOU/R1/G.S/279/2011
79.	Community Radio project	UOU/R1/CRP/280/2011
80.	विश्वविद्यालय स्थापना दिवस	UOU/R1/UFD/281/2011
81.	कार्य परिषद के चार सदस्यों का कुलाधिपति द्वारा मनोन्यन	UOU/R1/App. Of E.C. Members by Chancellor/282/2011
82.	Registrar's Desk – Pers	UOU/R1/Desk-Pers/283/2011
83.	Matter related to All India Survey of Higher Education - MHRD	UOU/R1/AISHE/284/2011

84.	उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि०	UOU/R1/ अवस्थापना / 285 / 2011
85.	Material Production & Distribution Division – Prefabricated Building	UOU/R1/Pre-Buil/286/2011
86.	Rajeev Kumar Writ petition no. 127 of 2012 (s/s) Tarai Beej Nigam Ltd.	UOU/R1/W.P. 127/287/2012
87.	Bhupal Singh Bora Vs. V.C. UOU	UOU/R1/36-2008/288/2012
88.	M.Ed. programme	UOU/R1/M.Ed/289/2012
89.	Internal Road Construction File	UOU/R2/IRC/290/2012
90.	11/0.44 KU Sub Station	UOU/R1/Sub Sta/291/2012
91.	Website File	UOU/R1/Website/ 292/2012
92.	Personal Files	Total - 79
93.	File related to establishment of Regional Centres & Study Centres	Total - 239

वित्त नियन्त्रक कार्यालय –

S.N.	File Name	File No.
1.	Payment	UOU/FIN/12-13
2.	Budget	UOU/FIN/700/Budget/12-13
3.	PLA	UOU/FIN/PLA/12-13
4.	Chartered Accountant	UOU/Fin/C.A. / 2011-12
5.	Income Tax Files	UOU/Income Tax/2012-13
6.	Reconcile	UOU/Fin/DEC-State-Fees/12-13

मैनुअल संख्या : 7

किसी व्यवस्था की विशिष्टयां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।

प्रत्यक्ष रूप से जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। सूचना प्राप्त करने के लिए शिविर कार्यालय के बाहर एक सूचना पट रखा गया है जिस पर लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी के नाम एवं दूरभाष दर्शाए गए हैं।

मैनुअल संख्या : ८

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

(1)–कार्य परिषद (Executive Council) –

- | | |
|--|---------|
| 1. प्रोफेसर नागेश्वर राव,
कुलपति, | अध्यक्ष |
| 2. प्रोफेसर अख्तरुल वासे,
निदेशक, इस्लामिक अध्ययन विभाग,
जामियां मिलियां इस्लामिया, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 3 प्रोफेसर जे०एम० परख,
प्राध्यापक मानवीकी विद्याशाखा,
इगनू नई दिल्ली। | सदस्य |
| 4. श्री राजीव बेरी,
19 / 1, प्लीसेन्ट वेली, राजपुर रोड़,
देहरादून। | सदस्य |
| 5. श्री वी०के० धवन,
अध्यक्ष,
सारा ग्रुप इण्डट्रीज, 7 / 1, प्रीतम रोड देहरादून। | सदस्य |
| 6. प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि। | सदस्य |
| 7. कुलपति,
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि। | सदस्य |
| 8. प्रो० बी०एस० पठानिया,
रि० डीन ऑफ लैग्वेज,
हिमांचल प्रदेश यूनिवर्सिटी,
समर हिल शिमला,—171005
वेस्ट व्यू भवन,
केल्स्टोन स्टेट, शिमला— 171001 | सदस्य |
| 9. प्रो० के०एन० पाठक,
पूर्व कुलपति,
पंजाब यूनिवर्सिटी— चंडीगढ़, | सदस्य |

382, सेक्टर— 38ए,
चंडीगढ़,— 160014,

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 10. | श्री मनोज सिंघल,
एफ— 1204, चितरंजन पार्क,
नई दिल्ली— 110019, | सदस्य |
| 11. | श्री राकेश भारती मित्तल,
मैनेजिंग डारेक्टर— भारती एयरटेल,
कुतुब एम्बेंसी, एच-5 / 12, महरौली रोड़,
नई दिल्ली— 110030 | सदस्य |
| 12. | प्रोफेसर दुर्गेश पन्त,
निदेशक, कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्यौगिकी विद्या शाखा,
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी । | सदस्य |
| 13. | प्रोफेसर गोविन्द सिंह,
निदेशक, पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्या शाखा,
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी । | सदस्य |
| 14. | प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे,
निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी । | सदस्य |
| 15. | प्रोफेसर आर. सी. मिश्र,
निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन
एवं वाणिज्य एवं पर्यटन एवं
होटल प्रबंध विद्या शाखा,
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी । | सदस्य |
| 16. | डा० हरीश चन्द्र जोशी,
सहायक प्राध्यापक, वानिकी,
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी । | सदस्य |
| 17. | वित्त अधिकारी । | आमंत्रित सदस्य |
| 18. | कुलसचिव । | सदस्य सचिव |

(2)– विद्या परिषद –

- | | | |
|-----|--|---------|
| 1. | प्रोफेसर नागेश्वर राव,
कुलपति
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी । | अध्यक्ष |
| 2. | प्रोफेसर आर०सी० पंत,
पूर्व कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल । | सदस्य |
| 3. | प्रोफेसर भारत भूषण,
कार्यकारी निदेशक,
दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली । | सदस्य |
| 4. | प्रोफेसर नागेश्वर राव,
उपकुलपति,
इग्नू मैदान गढ़ी, नई दिल्ली । | सदस्य |
| 5. | डॉ जयश्री जेठवानी,
प्रोफेसर एवं प्रोग्राम निदेशक,
भारतीय जनसंचार संस्थान, जे.एन.यू.,
अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली । | सदस्य |
| 6. | प्रोफेसर बी०एस० सारस्वत,
आचार्य, रसायनशास्त्र,
इग्नू मैदान गढ़ी, नई दिल्ली । | सदस्य |
| 7. | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा
नामित एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो । | सदस्य |
| 8. | प्रोफेसर एच.पी. शुक्ल,
निदेशक, मानवीकी एवं भाषा विज्ञान
विद्या शाखा, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी । | सदस्य |
| 9. | प्रोफेसर आर०सी० मिश्र,
निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य
विद्या शाखा, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी । | सदस्य |
| 10. | प्रोफेसर गोविन्द सिंह,
निदेशक, पत्रकारिता एवं जनसंचार
विद्या शाखा, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी । | सदस्य |
| 11. | प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे,
कुलसचिव / निदेशक, समाज विज्ञान
विद्या शाखा, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी । | सदस्य |

12.	प्रोफेसर दुर्गश पन्त, निदेशक, कम्पयूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी ।	सदस्य
13.	डॉ० देवेश कुमार मिश्र, सहायक प्राध्यापक, संस्कृत	सदस्य
14.	डॉ० सूर्यभान सिंह, सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र	सदस्य
15.	कुलसचिव	सदस्य सचिव

(3)–वित्त समिति –

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी	सदस्य
3.	राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी	सदस्य
4.	(कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी न हो)	सदस्य
5.	वित्त नियन्त्रक,	सदस्य सचिव

(4)– मान्यता बोर्ड

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	समस्त विद्या शाखाओं के निदेशक	सदस्य
3.	कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किये गये विद्या परिषद के दो सदस्य	सदस्य
4.	कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट योजना बोर्ड से एक सदस्य	सदस्य
5.	कार्यपरिषद द्वारा नाम— निर्दिष्ट किया गया कार्य परिषद का एक सदस्य	सदस्य
6.	कुलसचिव	सदस्य सचिव ।

(5)– योजना बोर्ड

1.	प्रोफेसर नागेश्वर राव, कुलपति, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी ।	अध्यक्ष
----	--	---------

- | | |
|---|-------|
| 2. श्री निरंजन पन्त, | सदस्य |
| फ्लैट बी0, 07 फ्लोर, टावर 09 न्यू
मोतीबाग, नई दिल्ली—110021 | |
| 3. डा0 आनन्द कुमार | सदस्य |
| जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटि,
नई दिल्ली—110067 | |
| 4. श्री हेम पाण्डे, (आई.ए.एस) | सदस्य |
| एडी0 सेक्रेट्री पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
भारत सरकार, पर्यावरण भवन
सी0जी0ओ0 कॉम्प्लैक्स, प्रगति विहार,
नई दिल्ली—110003 | |
| 5. श्री के0 रवि कान्त, | सदस्य |
| ई0एम0पी0सी0
इन्दिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटि
मैदान गर्ही, नई दिल्ली—110068 | |
| 6. श्री देवेन्द्र सिंह मन्न, | सदस्य |
| परी महल,32 सर्जन रोड देहरादून—248001 | |
| 7. प्रो0 आर0सी0 मिश्रा, | सदस्य |
| उत्तराखण्ड ओपन यूनिवर्सिटी। | |
| 8. प्रो0 एच0पी0 शुक्ल, | सदस्य |
| उत्तराखण्ड ओपन यूनिवर्सिटी। | |
| 9. प्रो0 गिरिजा पाण्डे, | सदस्य |
| उत्तराखण्ड ओपन यूनिवर्सिटी। | |
| 10. प्रो0 गोविन्द सिंह, | सदस्य |
| उत्तराखण्ड ओपन यूनिवर्सिटी। | |

(6)– भवन निर्माण समिति

1.	प्रोफेसर नागेश्वर राव, कुलपति उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	अध्यक्ष
2.	श्री सी०के० सकलानी, परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० मेडिकल कालेज शाखा, हल्द्वानी ।	सदस्य
3.	ई० सी०एस० पाण्डे, सहायक अभियन्ता (नामित अधिशाषी अभियन्ता) निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी ।	सदस्य
4.	प्रोफेसर ज्योति प्रसाद, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, जी०बी०पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर ।	सदस्य
5.	श्री प्रसून जटोला, वास्तुकार	सदस्य
6.	प्रोफेसर गोविन्द सिंह, निदेशक पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी ।	सदस्य
7.	प्रोफेसर पी०डी० पन्त, परीक्षा नियन्त्रक, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी ।	सचिव
8.	श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियंत्रक, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी ।	सचिव
9.	श्रीमती लीला रावत, सहायक कुलसचिव, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी ।	सदस्य
10.	प्रोफेसर आर०सी० मिश्र कुलसचिव	सदस्य सचिव

(7)–परीक्षा समिति

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	शैक्षिक शाखाओं के सभी निदेशक	सदस्य
3.	शैक्षिक परिषद का एक सदस्य	सदस्य
4.	कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्य परिषद का एक सदस्य	सदस्य
5.	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य सचिव

मैनुअल संख्या : 9

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी निर्देशिका

नाम	पदनाम	ई-मेल	मोबाइल नं०
अधिकारी			
प्रोफेसर नागेश्वर राव	कुलपति	vc@ouu.ac.in	05946263014
प्रोफेसर आर०सी० मिश्र	कुलसचिव	registrar@ouu.ac.in	9410715093
श्रीमती आभा गर्खाल	वित्त नियन्त्रक	gabha@ouu.ac.in	9456727137
प्रोफेसर पी०डी० पन्त	परीक्षा नियन्त्रक	pdpant@ouu.ac.in	9411597995
श्री खेमराज भट्ट	सहायक कुलसचिव	khatt@ouu.ac.in	9837336098
श्रीमती लीला रावत	सहायक कुलसचिव	leelarawat@ouu.ac.in	9720438344
डॉ० राकेश रयाल	जनसम्पर्क अधिकारी	rrayal@ouu.ac.in	9410967600
श्री विमल कुमार	आशुलिपिक ग्रेड-१	vchauhan@ouu.ac.in	9012582488
प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक			
प्रोफेसर आर०सी० मिश्र	प्राध्यापक	rcmishra@ouu.ac.in	9410715093
प्रोफेसर एच०पी० शुक्ल	प्राध्यापक	hpshukla@ouu.ac.in	9410715100
प्रोफेसर दुर्गेश पंत	प्राध्यापक	dpant@ouu.ac.in	9412375384
प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे	प्राध्यापक	gpande@ouu.ac.in	9412351759
प्रोफेसर गोविंद सिंह	प्राध्यापक	govindsingh@ouu.ac.in	9410964787
डॉ० मंजरी अग्रवाल	सहायक प्राध्यापक	magarwal@ouu.ac.in	9897033596
डॉ० गगन सिंह	सहायक प्राध्यापक	gsingh@ouu.ac.in	9410377546
डॉ० दीपक पालीवाल	सहायक प्राध्यापक	dpaliwal@ouu.ac.in	9412906869
डॉ० सूर्यभान सिंह	सहायक प्राध्यापक	sbhansingh@ouu.ac.in	9415936096
डॉ० दिनेश कुमार	सहायक प्राध्यापक	dineshkumar@ouu.ac.in	9837875234
डॉ० मदन मोहन जोशी	सहायक प्राध्यापक	mmjoshi@ouu.ac.in	9412924858
डॉ० विरेन्द्र कुमार	सहायक प्राध्यापक	vkumar@ouu.ac.in	9412355175
डॉ० जटाशंकर आर पी तिवारी	सहायक प्राध्यापक	jtewari@ouu.ac.in	9058011339
डॉ० हेमन्त कांडपाल	सहायक प्राध्यापक	hkandpal@ouu.ac.in	9456365244
डॉ० देवेश कुमार मिश्र	सहायक प्राध्यापक	dkmishra@ouu.ac.in	9794265167
डॉ० शशांक शुक्ल	सहायक प्राध्यापक	sshukla@ouu.ac.in	9917157035
डॉ० हरीश चन्द्र जोशी	सहायक प्राध्यापक	hcjoshi@ouu.ac.in	9411107767
डॉ० सुचित्रा अवस्थी	सहायक प्राध्यापक	sawasthi@ouu.ac.in	9410112792
डॉ० भानू प्रकाश जोशी	सहायक प्राध्यापक	bhanujoshi@ouu.ac.in	9411163102
श्री जीतेन्द्र पाण्डे	सहायक प्राध्यापक	jpande@ouu.ac.in	9927050094
प्रवीण कुमार तिवारी	सहायक प्राध्यापक	pktiwari@ouu.ac.in	8765352833
डॉ० कमल देवलाल	सहायक प्राध्यापक	kdeolal@ouu.ac.in	9411525595
डॉ० नीरजा सिंह	सहायक प्राध्यापक	neerjasingh@ouu.ac.in	7499376903
सुश्री ममता कुमारी	सहायक प्राध्यापक	mtamta@ouu.ac.in	9997457463
डॉ० भावना पलड़िया	सहायक प्राध्यापक	bpalariya@ouu.ac.in	9412131194
श्री सुमित प्रसाद	सहायक प्राध्यापक	sprasad@ouu.ac.in	9557183796

क) मैनुअल संख्या : 10

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक / अधिकारी एवं कार्मिकों के स्वीकृत अस्थाई पदों के सापेक्ष नियुक्ति का विवरण—

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मासिक वेतन/मानदेय (₹0)	वेतन निर्धारण का स्वरूप
1.	प्रो० नागेश्वर राव	कुलपति	1,90,759.00	नियत वेतन तथा उस पर देय महँगाई भत्ता
3.	प्रो० पी०डी० पन्त	परीक्षा नियंत्रक	1,43,517.00	वेतनमान के अनुसार
2.	श्रीमती आभा गर्हाल	वित्त अधिकारी	1,07,589.00	वेतनमान के अनुसार
3.	प्रो० एच.पी.शुक्ल	निदेशक, मानविकी विद्या शाखा	1,73,630.00	वेतनमान के अनुसार
4.	प्रो० दुर्गेश पन्त	निदेशक, कम्प्यूटर एवं विज्ञान विद्याशाखा	1,51,861.00	वेतनमान के अनुसार
5.	प्रो० आर०सी० मिश्र	निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा	1,73,630.00	वेतनमान के अनुसार
6.	प्रो० गोविन्द सिंह	निदेशक, पत्राचार एवं जनसंचार विद्या शाखा	1,48,720.00	वेतनमान के अनुसार
7.	श्रीमती लीला रावत	सहायक कुलसचिव	36,751.00	वेतनमान के अनुसार
8.	श्री खेमराज भट्ट	सहायक कुलसचिव	32,971.00	वेतनमान के अनुसार
9.	डॉ० राकेश रयाल	जनसम्पर्क अधिकारी	50,609.00	वेतनमान के अनुसार
10.	डॉ० मंजरी अग्रवाल	सहायक प्राध्यापक प्रबंध अध्ययन	61,587.00	वेतनमान के अनुसार
11.	डॉ० गगन सिंह	सहायक प्राध्यापक वाणिज्य	61,587.00	वेतनमान के अनुसार
12.	डॉ० दीपक पालीवाल	सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र	61,587.00	वेतनमान के अनुसार
13.	डॉ० सूर्यभान सिंह	सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र	61,587.00	वेतनमान के अनुसार
14.	डॉ० दिनेश कुमार	सहायक प्राध्यापक	61,587.00	वेतनमान के

		शिक्षाशास्त्र		अनुसार
15.	डॉ० एम०एम० जोशी	सहायक प्राध्यापक इतिहास	61,587.00	वेतनमान के अनुसार
16.	डॉ० विरेन्द्र कुमार	सहायक प्राध्यापक कृषि	61,587.00	वेतनमान के अनुसार
17.	डॉ० जटाशंकर आर० तिवारी	सहायक प्राध्यापक होटल मैनेजमेंट	61,587.00	वेतनमान के अनुसार
18.	डॉ० हेमन्त काण्डपाल	सहायक प्राध्यापक आयुर्वेद	61,587.00	वेतनमान के अनुसार
19.	डॉ० देवेश कुमार मिश्र	सहायक प्राध्यापक संस्कृत	61,587.00	वेतनमान के अनुसार
20.	डॉ० शशांक शुक्ल	सहायक प्राध्यापक हिन्दी	61,587.00	वेतनमान के अनुसार
21.	डॉ० एच०सी० जोशी	सहायक प्राध्यापक वानिकी	61,587.00	वेतनमान के अनुसार
22.	डॉ० सुचित्रा अवस्थी	सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी	61,587.00	वेतनमान के अनुसार
23.	डॉ० भानु प्रकाश जोशी	सहायक प्राध्यापक योग	61,587	वेतनमान के अनुसार
24.	जितेन्द्र पांडे	सहायक प्राध्यापक कम्प्यूटर साइंस	61,587	वेतनमान के अनुसार
25.	डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी	सहायक प्राध्यापक शिक्षाशास्त्र	59,876.00	वेतनमान के अनुसार
26.	डॉ० कमल देवलाल	सहायक प्राध्यापक भौतिकी	58,214.00	वेतनमान के अनुसार
27.	डॉ० नीरजा सिंह	सहायक प्राध्यापक एम०एस०डब्लू	58,214.00	वेतनमान के अनुसार
28.	सुश्री ममता कुमारी	सहायक प्राध्यापक शिक्षाशास्त्र	58,214.00	वेतनमान के अनुसार
29.	डॉ० भावना पलड़िया	सहायक प्राध्यापक शिक्षाशास्त्र	58,214.00	वेतनमान के अनुसार
30.	श्री सुमित प्रसाद	सहायक प्राध्यापक प्रबंध अध्ययन	58,214.00	वेतनमान के अनुसार
31.	डॉ० भूपेन सिंह	सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता	55,034.00	वेतनमान के अनुसार
32.	डॉ० अखिलेश सिंह	सहायक प्राध्यापक, पर्यटन	55,034.00	वेतनमान के अनुसार
33.	श्री विमल कुमार	आशुलिपिक ग्रेड-1	28,989.00	वेतनमान के अनुसार

संविदा / प्रतिनियुक्ति के आधार पर सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्त—

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वेतन	वेतन निर्धारण का स्वरूप
1.	श्री जितेन्द्र कुमार द्विवेदी	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	49,230.00	संविदा के आधार पर देय राशि
2.	श्री राजेश आर्या	हार्डवेयर इंजिनियर	49,230.00	संविदा के आधार पर देय राशि
3.	श्री पी.एस. परिहार	प्रशासनिक अधिकारी	32,085.00	संविदा के आधार पर देय राशि
4.	श्री विनीत पौडियाल	हार्डवेयर इंजिनियर / मल्टीमीडिया केटेंट डिजायनर	49,230.00	संविदा के आधार पर देय राशि
5.	श्री संजय भट्ट	आशुलिपिक	19,200.00	संविदा के आधार पर देय राशि
6.	श्री राजेन्द्र नाथ गोस्वामी	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	49,230.00	संविदा के आधार पर देय राशि
7.	श्री मोहित रावत	नैटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर	49,230.00	संविदा के आधार पर देय राशि

बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से पूरित किये जाने हेतु सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्ति

क्रम	नाम	पद जिसके सापेक्ष नियोजित है	कार्य भार ग्रहण करने की तिथि	देय राशि
1.	श्री रमन लोशाली	कम्प्यूटर लिट्रेट पी०ए०	01/05/2011	9907/-
2.	श्री हर्षवर्धन लोहनी	कम्प्यूटर लिट्रेट लेखाकार	01/05/2011	9907/-
3.	श्रीमती बबीता दास	कम्प्यूटर लिट्रेट स्टेनो	01/05/2011	9907/-
4.	श्री राकेश पपनै	वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर	01/05/2011	9907/-
5.	श्री पार्थ जोशी	नैटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	09/12/2014	9907/-
6.	श्रीमती रेखा बिष्ट	कोऑर्डिनेटर	01/05/2011	8778/-
7.	कु० रंजना जोशी	कोऑर्डिनेटर	01/05/2011	8778/-
8.	श्री नन्द सिंह अधिकारी	कोऑर्डिनेटर	01/05/2011	8778/-
9.	श्री मोहन चन्द्र पाण्डे	कोऑर्डिनेटर	01/05/2011	8778/-
10.	कु० दीपा फुलारा	कोऑर्डिनेटर	01/05/2011	8778/-
11.	श्री अजय कुमार सिंह	कोऑर्डिनेटर	01/09/2011	8778/-
12.	श्री विनय जोशी	कोऑर्डिनेटर	01/05/2011	8778/-
13.	श्री निर्मल सिंह धौनी	कोऑर्डिनेटर	08/10/2015	8778/-
14.	कु० कमला राठौर	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	01/05/2011	8778/-
15.	श्री योगेश मिश्रा	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	01/05/2011	8778/-
16.	श्री पंकज बिष्ट	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	01/05/2011	8778/-
17.	श्री मनोज कुमार शर्मा	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	01/05/2011	8778/-
18.	श्री संतोष ढौड़ियाल	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	01/05/2011	8778/-
19.	श्री बसंत बल्लभ कांडपाल	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	01/05/2011	8778/-
20.	श्री चारू चन्द्र जोशी	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	01/05/2011	8778/-
21.	श्री गोपाल सिंह	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	01/05/2011	8778/-
22.	श्री मनमोहन त्रिपाठी	कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क	02/04/2012	8778/-
23.	श्री कुन्दन सिंह	क्लर्क कम टाइपिस्ट	01/05/2011	8778/-
24.	श्रीमती मधु डोगरा	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	01/05/2011	8778/-
25.	श्री अनिल कुमार पन्त	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	01/05/2011	8778/-
26.	श्री राकेश पन्त	लाइब्रेरी कैटालॉगर	01/05/2011	8778/-
27.	कु० मीतु गुप्ता	लाइब्रेरी कैटालॉगर	01/05/2011	8778/-

28.	कु0 पूनम खोलिया	कम्प्यूटर ऑपरेटर	14/08/2015	8778 /-
29.	श्री मनीष बुंगला	लैब असिस्टेंट	11/08/2015	7600 /-
30.	श्री बलबन्त राम	स्टोरमेट	21/08/2015	6599 /-
31.	श्री दीपक चन्द्र उप्रेती	बुक लिप्टर	20/08/2013	6599 /-
32.	श्री देवेन्द्र प्रसाद	प्लम्बर	08/10/2015	7600 /-
33.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	हेल्पर	20/08/2013	6599 /-
34.	श्री दिनेश पाल सिंह	इलैक्ट्रीशियन	01/05/2011	8778 /-
35.	श्री मनीष कुमार सिंह	वाहन चालक	01/05/2011	8778 /-
36.	श्री हेम चन्द्र	अनुसेवक	01/05/2011	6599 /-
37.	श्री व्यास सिंह	अनुसेवक	01/05/2011	6599 /-
38.	श्री चन्द्र शेखर सुयाल	अनुसेवक	01/05/2011	6599 /-
39.	श्री चेत बहादुर	अनुसेवक	01/05/2011	6599 /-
40.	कु0 नीमा उप्रेती	अनुसेवक	01/05/2011	6599 /-
41.	श्री नवीन चन्द्र जोशी	अनुसेवक	24/09/2011	6599 /-
42.	कु0 उषा देवी	अनुसेवक	01/05/2011	6599 /-
43.	श्री दलीप	स्वीपर	01/05/2011	6599 /-
44.	मनोज कुमार	अनुसेवक	09/11/2012	6599 /-
45.	श्री कैलाश राम	अनुसेवक	01/05/2011	6599 /-
46.	श्री सी0एस0 जोशी	सुरक्षाकर्मी	01/05/2011	8278 /-
47.	श्री जे0एस0 पांगती	सुरक्षाकर्मी	01/05/2011	8278 /-
48.	श्री धन सिंह (गनर)	सुरक्षाकर्मी	19/09/2012	8278 /-
49.	श्री प्रेम बल्लभ	सुरक्षाकर्मी	02/04/2013	8278 /-
50.	गोपाल सिंह	सुरक्षाकर्मी	01/07/2013	8278 /-
51.	श्री तेज सिंह	सुरक्षाकर्मी	01/07/2011	8278 /-
52.	श्री देवेन्द्र सिंह (गनमैन)	सुरक्षाकर्मी	01/07/2011	8278 /-
53.	श्री राजेन्द्र सिंह	सुरक्षाकर्मी	-	8278 /-

नियत मानदेय के आधार पर नियोजित कार्मिकों का विवरण—

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	नियोजन का स्वरूप	विविहि में पदभार ग्रहण करने की तिथि	मानदेय (प्रति माह)
1.	हेम चन्द्र	लिपिक	30-03-2006	10,164
2.	त्रिलोचन पाटनी	लिपिक	30-03-2006	10,164
3.	रविन्द्र कुमार कोहली	लिपिक	03-07-2006	10,164
4.	बृजमोहनसिंह खाती	कम्प्यूटरऑप०	28-03-2006	10,164
5.	फिरोज खान	लिपिक	01-07-2006	10,164
6.	महबूब आलम	कम्प्यूटरऑप०	19-06-2006	10,164
7.	सतेन्द्र सिंह रावत	लिपिक	12-03-2006	10,164
8.	भारत नैनवाल	लिपिक	06-07-2006	10,164
9.	राहुल बिष्ट	लिपिक	01-08-2006	10,164
10.	मोहनचन्द्र बवाडी	लिपिक	22-05-2006	10,164
11.	देवेन्द्र सिंह नेगी	वा० चालक	05-12-2005	10,164
12.	मोहन चन्द्र पाण्डे	वा० चालक	21-07-2006	10,164
13.	शेखर उप्रेती	वा० चालक	01-03-2006	10,164
14.	दिनेश कुमार	लिपिक	01-11-2006	10,164
15.	अजय पटवाल	अनुसेवक	01-08-2006	8,402
16.	दिनेश चन्द्र फुलेरा	अनुसेवक	02-02-2006	8,402
17.	जगत सिंह बंगारी	अनुसेवक	01-07-2006	8,402
18.	छाया देवी	स्वच्छक	01-09-2007	8,402

विश्वविद्यालय में अल्पकालिक व्यवस्था के अन्तर्गत (छ: माह से अनधिक अवधि) नियोजित अकादमिक एसोसिएट / तकनीकी परामर्शदाता तथा परामर्शदाता का विवरण—

क्र0 सं0	विद्याशाखा	विषय	कार्यरत् कार्मिक का नाम	मानदेय	कार्यभार ग्रहण की तिथि
1.	शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा	बी0एड0(विशिष्ट शिक्षा)	डॉ० सिद्धार्थ पोखरियाल	22000/-	10/11/2015
2.	शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा	(शिक्षाशास्त्र)	श्रीमती मनीषा पंत	22000/-	10/11/2015
3.	विज्ञान विद्याशाखा	कृषि	श्री विनोद बिरखानी	22000/-	10/11/2015
4.	विज्ञान विद्याशाखा	वनस्पति विज्ञान	डॉ० पूजा जुयाल	25000/-	10/11/2015
5.	विज्ञान विद्याशाखा	जन्तु विज्ञान	डॉ० श्याम सिंह कुंजवाल	22000/-	10/11/2015
6.	विज्ञान विद्याशाखा	रसायन विज्ञान	डॉ० चारु चन्द्र पंत	25000/-	16/11/2015
7.	विज्ञान विद्याशाखा	वानिकी/पर्यावरण	डॉ० एन०पी० मेलकानिया	37500/-	10/11/2015
8.	विज्ञान विद्याशाखा	भूगोल	डॉ० रंजू जोशी पाण्डे	25000/-	10/11/2015
9.	समाज विज्ञान विद्याशाखा	अर्थशास्त्र	सुश्री नेहा अत्री	20000/-	16/11/2015
10.	समाज विज्ञान विद्याशाखा	लोकप्रशासन	डॉ० घनश्याम जोशी	27500/-	10/11/2015
11.	समाज विज्ञान विद्याशाखा	विधि	श्री नरेन्द्र जगौड़ी	22000/-	10/11/2015
12.	समाज विज्ञान विद्याशाखा	मनोविज्ञान	सुश्री तन्ची शर्मा	18000/-	10/11/2015
13.	मानविकी विद्याशाखा	ज्योतिष कर्मकाण्ड	डॉ० नन्दन कुमार तिवारी	27500/-	10/11/2015
14.	मानविकी विद्याशाखा	हिन्दी	डॉ० राजेन्द्र सिंह कैड़ा	27500/-	10/11/2015
15.	मानविकी विद्याशाखा	संगीत	श्री द्विजेश उपाध्याय	25000/-	16/11/2015
16.	मानविकी विद्याशाखा	उर्दू	मो० अफजल हुसैन	20000/-	16/11/2015
17.	स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा	फूड एण्ड न्यूट्रीशियन (गृह विज्ञान)	डॉ० प्रीति बोरा	25000/-	10/11/2015
18.	स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा	फूड एण्ड न्यूट्रीशियन (गृह विज्ञान)	श्रीमती मोनिका द्विवेदी	22000/-	02/04/2016
19.	व्यवसायिक अध्ययन विद्याशाखा	व्यावसायिक अध्ययन	सुश्री अमनदीप कौर	18000/-	10/11/2015
20.	कम्प्यूटर विज्ञान विद्याशाखा	आई०टी० एण्ड कम्प्यूटर साइंस	श्री बालम सिंह डफौटी	22000/-	10/11/2015
21.	पत्रकारिता एवं जनसंचार विद्याशाखा	पत्रकारिता एवं जनसंचार	श्री राजेन्द्र सिंह क्वीरा	18000/-	10/11/2015
22.	प्रबंध अध्ययन विद्याशाखा	प्रबंध अध्ययन	श्रीमती प्रिया महाजन	25000/-	10/11/2015
23.	प्रबंध अध्ययन विद्याशाखा	पर्यटन	डॉ० सुभाष रमोला	27500/-	10/11/2015

क्र० सं०	पदनाम	अनुभाग	कार्यरत् कार्मिक का नाम	मानदेय	कार्यभार ग्रहण की तिथि
1.	प्रशासनिक परामर्शदाता	कुलपति कार्यालय	श्री पूरन चन्द्र पपनै	पे—पेंशन के आधार पर	09 / 11 / 2015
2.	प्रशासनिक परामर्शदाता	परीक्षा अनुभाग	श्री विपिन चन्द्र तिवारी	पे—पेंशन के आधार पर	09 / 11 / 2015
3.	प्रशासनिक परामर्शदाता	कुलसचिव कार्यालय	श्री महेश चन्द्र जोशी	पे—पेंशन के आधार पर	09 / 11 / 2015
4.	प्रशासनिक परामर्शदाता	लेखा अनुभाग	श्री पूरन चन्द्र डालाकोटी	पे—पेंशन के आधार पर	09 / 11 / 2015
5.	प्रशासनिक परामर्शदाता	प्रवेश अनुभाग	श्री हरीश चन्द्र पाण्डे	पे—पेंशन के आधार पर	09 / 11 / 2015
6.	प्रशासनिक परामर्शदाता	परीक्षा अनुभाग	डॉ० दयाकृष्ण मथेला	पे—पेंशन के आधार पर	09 / 11 / 2015
7.	प्रशासनिक परामर्शदाता	निदेशालय	श्री कमल किशोर पाण्डे	उपनल की उच्च दरों की आधार पर—28500/-	09 / 11 / 2015
8.	तकनीकी परामर्शदाता (आई०सी०टी०)	आई०सी०टी० अनुभाग	श्री प्रदीप चन्द्र पाठक	45000/-	10 / 11 / 2015
9.	तकनीकी परामर्शदाता (डाटा प्रोसेसिंग)	परीक्षा अनुभाग	श्री नवनीत कुमार	25000/-	10 / 11 / 2015
10.	वरिष्ठ परामर्शदाता	एडुसैट परियोजना	श्रीमती श्रुति ढौढ़ियाल	25000/-	03 / 11 / 2015
11.	तकनीकी परामर्शदाता (रेडियो)	कम्यूनिटी रेडियो	श्री अनिल नैलवाल	15000/-	15 / 03 / 2016

बाह्य सेवा प्रदाता (डेस रोजगार डॉट कॉम) के माध्यम से दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत् कार्मिकों का विवरण—

क्र0सं0	कार्यरत् कार्मिक का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती पूजा चौबे हेडिया	लिपिक
2.	श्री गुणनिधि सिंह बिष्ट	लिपिक
3.	श्री दीपक पन्त	लिपिक
4.	श्री राहुल नेगी	लिपिक
5.	श्री उमाशंकर नेगी	लिपिक
6.	श्री हेमचन्द्र	लिपिक
7.	श्री प्रमोद चन्द्र जोशी	लिपिक
8.	श्रीमती लक्ष्मी धामी	लिपिक
9.	कु0 दीपिका रैकवाल	लिपिक
10.	श्री उमेश सिंह खनवाल	लिपिक
11.	श्रीमती वैदेही गुरुरानी	लिपिक
12.	श्री धनेश्वर नेगी	लिपिक
13.	श्री ललित मोहन	योग प्रशिक्षक
14.	श्री मोहन जोशी	लिपिक
15.	श्रीमती चन्द्रा बिष्ट	लिपिक
16.	श्रीमती अपर्णा कुकरेती	लिपिक
17.	श्री भुवन चन्द्र पलड़िया	चतुर्थ श्रेणी
18.	श्री भीम आर्या	चतुर्थ श्रेणी
19.	श्री अनिल कुमार	स्वच्छक
20.	श्री सतीश	स्वच्छक
21.	श्री धीरेन्द्र रावत	सुरक्षा गार्ड
22.	श्री दीपक रत्नौजी	सुरक्षा गार्ड
23.	श्री सुरेश प्रसाद	सुरक्षा गार्ड

मैनुअल संख्या : 11

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आंबटित बजट.

सरकार एवं दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनुदानों तथा व्यय का वर्षवार विवरण निम्नवत् हैः—

(अ) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा व्यय का वर्ष वार विवरणः—

DETAIL OF GRANT RECEIVED & SPENT FROM STATE GOVERNMENT FOR THE YEAR 2005-2006 TO 2015-2016

2005-06

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि		कुल व्यय	अवशेष धनराशि
1	101/XXIV(7)/2006/ शिक्षा अनुभाग— 07	3/24 /2006	2005—06		491,000.00	बुलेरो कार्य करने हेतु	1,620,005.00	10,218,995.00
2	321/XXIV(7)2 006/ शिक्षा अनुभाग—07	3/24 /2006	2005—06		9,431,000.00	सामान्य कार्य		
3	750/XXIV(7)/2006 शिक्षा अनुभाग—07	12/21 /2005	2005—06		1,400,000.00	सामान्य कार्य		
4	49/XXIV(7)/2 005	1/25 /2006	2005—06		441,000.00	कुलपति हेतु कार काय		
5	112/XXIV(7)/2005	2/22 /2006	2005—06		76,000.00	कुलपति हेतु कार काय		
कुल योग				0	11,839,000.00		1,620,005.00	10,218,995.00

2006-07

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि		कुल व्यय	अवशेष धनराशि
1	851/XXIV(7)/2006/ शिक्षा अनुभाग—07	10/16 /2011	2006—07	10,218,995.00	20,000,000.00	सामान्य कार्य	15,518,672.00	14,700,323.00
कुल योग				10,218,995.00	20,000,000.00		15,518,672.00	

2007-08

क्र0 सं0	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि		कुल व्यय	अवशेष धनराशि
1.	20/XXIV(6)/2008/ शिक्षा अनुभाग—06	1/17 /2008	2007—08	14,700,323.00	6,000,000.00	सामान्य कार्य	9,913,658.00	10,786,665.00
कुल योग				14,700,323.00	6,000,000.00		9,913,658.00	

2008-09

क्र० सं०	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि		कुल व्यय	अवशेष धनराशि
1	NIL		2008-09	10,786,665.00	0	सामान्य कार्य	7,954,816.00	2,831,849.00
			कुल योग	10,786,665.00	.		7,954,816.00	

2009-10

क्र० सं०	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि		कुल व्यय	अवशेष धनराशि
1.	60/XXIV(6) /2009/ शिक्षा अनुभाग— 06	5/ 15/ 2009	2009-10		91,000.00	आयोजनागत पक्ष में	7,276,795.00	4,429,054.00
2.	60/XXIV(6) 2009/ शिक्षा अनुभाग— 06	8/ 11/ 2009	2009-10		183,000.00	आयोजनागत पक्ष में		
3.	39/XXIV(6) /2010/ शिक्षा अनुभाग— 06	1/ 28/ 2010	2009-10		8,600,000.00	आयोजनागत पक्ष में		
	कुल योग			2,831,849.00	8,874,000.00		7,276,795.00	

2010-11

क्र० सं०	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि		कुल व्यय	अवशेष धनराशि
1	192/XXIV/(6)/2010 शिक्षा अनुभाग— 06	7/ 6/ 2010	2010-11		5,000,000.00	आयोजनेत्तर पक्ष में	38,954,129.00	3,496,265.00
2	230/XXIV/(6)/2010 शिक्षा अनुभाग— 06	9/ 16/ 2010	2010-11		550,500.00	कुलपति हेतु वाहन		
3	192/XXIV/(6)/2010 शिक्षा अनुभाग— 06	11/ 3/ 2010	2010-11		5,000,000.00	आयोजनेत्तर पक्ष में		
4	193/XXIV(6)/2010 शिक्षा अनुभाग— 06	12/ 20/ 2010	2010-11		2,000,000.00	एस०सी०एस०पी० योजनान्तर्गत		
5	193/XXIV(6)/2010 शिक्षा अनुभाग— 06	12/ 20/ 2010	2010-11		3,500,000.00	एस०सी०एस०पी०		
6	70/XXIV(6)/2011 शिक्षा अनुभाग— 06	2/ 15/ 2011	2010-11		12,270,840.00	वि०वि० वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु।		
7	00/XXIV(6)/2011 शिक्षा अनुभाग— 06	3/ 9/ 2011	2010-11		9,700,000.00	आयोजनेत्तर पक्ष में		
	कुल योग			4,429,054.00	38,021,340.00		38,954,129.00	3,496,265.00

2011-12

क्र० सं०	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि		कुल व्यय	अवशेष धनराशि
1	22/XXIV(6) /2011 शिक्षा अनुभाग-06	5/2/2011	2011-12		5,000,000.00	आयोजनेत्तर पक्ष में	36,103,659.00	4,189,394.00
2	57/XXIV(6) /2011 शिक्षा अनुभाग- 06	5/19/2011	2011-12		5,000,000.00	बन भूमि की चाहरदीवारी हेतु		
3	22/XXIV/(6)/2011शिक्षा अनुभाग- 06	9/19/2011	2011-12		5,000,000.00	आयोजनेत्तर पक्ष में		
4	57/XXIV/(6)/ 2011शिक्षा अनुभाग-06	10/10/2011	2011-12		2,418,000.00	बन भूमि की चाहरदीवारी हेतु		
5	22/XXIV(6) /2011 शिक्षा अनुभाग-06	11/9/2011	2011-12		6,000,000.00	आयोजनेत्तर पक्ष में		
6	225/XXIV(6)2011	12/19/2011	2011-12		5,000,000.00	प्रशासनिक भवन एवं एकेडमिक भवनों के लिये		
कुल योग				3,496,265.00	28,418,000.00		36,103,659.00	4,189,394.00

2012-13

क्र० सं०	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि		कुल व्यय	अवशेष धनराशि
1	48/XXIV(6)/2012 शिक्षा अनुभाग- 06	4/24/2012	2012-13		6,667,000.00	आयोजनेत्तर पक्ष में	4,37,26,303.00	24,41,807.00
2	13/XXIV(6)/2012 शिक्षा अनुभाग- 06	08/06/2012	2012-13		13,33,000.00	आयोजनेत्तर पक्ष में		
3	43(4)/ XXIV(6)/2013 शिक्षा अनुभाग- 06	03/21/2013	2012-13		15,25,000.00	आयोजनागत पक्ष में		
4	40(4)12/ XXIV(6)/2013	03/31/2013	2012-13		2,71,24,000.00	आयोजनागत पक्ष में		
	कुल योग				4,86,49,000.00			

2013-14

क्र० सं०	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि	प्रयोजन	कुल व्यय	अवशेष धनराशि
01	42(4)12 / xxiv(6) /2013	21.05.2013	2013-14	---	1,00,00,000	आयोजनेतर पक्ष में	1,00,00,000	शून्य
02	1044 / xxiv / (6) /2012 / 42(4)/2012	16.08.2013	2013-14	---	3,00,00,000	आयोजनेतर पक्ष में	3,00,00,000	शून्य
03	1745 / xxiv(6)/2 013/44(4)2012	06.01.2014	2013-14	---	1,68,26,000	प्रशासनिक भवन एवं एकेडमिक भवन के लिए	1,68,26,000	शून्य
04	567 / xxiv(6)/20 14/40(4)2012	31.03.2014	2013-14	---	6,26,000	प्रशासनिक भवन एवं एकेडमिक भवन के लिए (आयोजनागत मद)	6,26,000	शून्य
05	534 / xxiv(6)/20 14/44(4)2012	28.03.2014	2013-14	---	6,00,000	आयोजनेतर (अनुदान 20) पैट्रोल व स्टेशनरी मद में	6,00,000	शून्य
कुल योग					5,80,52,000			

2014-15

क्र० सं०	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि	प्रयोजन	कुल व्यय	अवशेष धनराशि
01	664/xxiv(6)/2014-42(4)2012	25.04.2014	2014-15	---	2,00,00,000	आयोजनेतर पक्ष में	2,00,00,000	शून्य
02	1449 / xxiv(6)/2014-42(4)2012	11.11.2014	2014-15	---	1,30,00,000	आयोजनेतर पक्ष में	1,30,00,000	शून्य
03	1443 / xxiv(6)/2014/42(4)2012	19.11.2014	2014-15	---	10,00,000	आयोजनेतर अवचनबद्ध मद अनुदान 20	10,00,000	शून्य
04	303 / xxiv(6)/2014/42(4)2012	04.03.2015	2014-15	---	10,00,000	आयोजनेतर अवचनबद्ध मद अनुदान 20	10,00,000	शून्य
	486 / xxiv(6)/2015/40(4)12 शिक्षा 0अनु 6 उ0शि0	30.03.2015	2014-15	---	1,00,00,000	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन (द्वितीय चरण) हेतु आयोजनागत पक्ष में प्रथम किस्त	1,00,00,000	शून्य
कुल योग					4,50,00,000			

2015-16

क्र० सं०	पत्रांक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	गत वर्ष का शेष	धनराशि	प्रयोजन	कुल व्यय	अवशेष धनराशि
10	555 / xxiv(6)/20 15-42(4)2012	17.04.2015	2015-16	—	2,00,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष में(अनुदान 43 वेतनादि मद)	2,00,00,000	शून्य
11	202 / xxiv(6)/20 15-42(4)2012	21.09.2015	2015-16	—	1,30,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष में(अनुदान 43 वेतनादि मद)	1,30,00,000	शून्य
12	151 / xxiv(6)/2016-42(4)2012	05.02.2016	2015-16	—	10,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष में (अनुदान 20)	10,00,000	शून्य
13	127 / xxiv(6)/2016-42(4)2012	10.03.2016	2015-16	—	40,00,000	आयोजनेत्तर पक्ष में(अनुदान 43 वेतनादि मद)	40,00,000	शून्य
कुल योग					3,80,00,000			

(ब) दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनुदान तथा व्यय का वर्ष वार विवरणः—

DETAIL OF GRANT RECEIVED & SPENT FROM

DISTANCE EDUCATION COUNCIL, NEW DELHI

SL. NO.	FINANCIAL YEAR	AMOUNT RECEIVED	TOTAL AMOUNT	AMOUNT SPENT
1.	2005-2006	25.00 lakh	55.00 lakh	283495.00
2.	2005-2006	5.00 lakh		
3.	2005-2006	25.00 lakh		
4.	2006-2007	3.00 lakh	173.00 lakh	10223413.00
5.	2006-2007	50.00 lakh		
6.	2006-2007	50.00 lakh		
7.	2006-2007	70.00 lakh		
8.	2007-2008	50.00 lakh	53.00 lakh	4299866.00
9.	2007-2008	3.00 lakh		
10.	2008-2009	3.00 lakh	83.00 lakh	5560779.00
11.	2008-2009	80.00 lakh		
12.	2009-2010	250.00 lakh	253.00 lakh	203.85 lakh
13.	2009-2010	3.00 lakh		
14.	2010-2011	300.00 lakh	303.00 lakh	2,94,94,966.00
15.	2010-2011	3.00 lakh		
16.	2011-12	540.69 lakh	540.69 lakh	3,46,36,574.00
17.	2012-13	19432426.00*	4.00cr.	-
18-	2012-13	2,05,67,574.00		2,40,93,521.00

2013-14 to 2015-16

SL. No.	Financial Year	Amount Sanctioned Letter No.	Amount Sanctioned	Order No. & Date	Amount Received	Total Amount	Amount Spent
1.	2013–14		3,87,00,000		3,87,00,000	3,87,00,000	3,36,51,280
2.	2014–15	UGC/DEB/SOU/ DevGr/14-15 Date-Nov 2014	3,40,00,000	UGC/DEB/SOU/ 89 DevGr/14- 15/1368) Date 01/01/2015	2,38,00,000	2,38,00,000	2,35,07333
3.	2015–16	5-9(UOU)/ 2015(DEB- IV)/179 Date 13/01/2016	2,50,00,000	F.5- 9(UOU)/2015(D EB-IV)/245 Date 28/03/2016	1,75,00,000	1,75,00,000	-----

डैब से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्राविधानित धनराशि वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को खाते में प्राप्त हुआ।

मैनुअल संख्या : 12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें रीति आंबटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित है.

उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को आयोजनागत मद में अनुदान/राजसहायता के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। उक्त धनराशि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के सामान्य कार्यकलापों एवं वेतन भत्तों हेतु तथा निर्माण कार्यों के मद में व्यय की जाती है। निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि सीधे निर्माण एजेंसी को उपलब्ध करा दी जाती है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा भवन निर्माण समिति का गठन किया गया है जिसका स्वरूप निम्नवत है :—

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	लोक निर्माण विभाग के प्रमुख द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
3.	अभियांत्रिकी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा सिविल क्षेत्र से नामित 02 विशेषज्ञ	सदस्य
4.	वित्त नियन्त्रक	सदस्य
5.	विश्वविद्यालय के विद्या शाखा के निदेशकों से नामित आचार्य	सदस्य
6.	कुलसचिव	सदस्य सचिव

उक्त समिति द्वारा समय—समय पर निर्माण कार्य की देखरेख की जाती है। निर्माण एजेंसी द्वारा प्रयुक्त की जा रही सामग्री का पंतनगर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ से परीक्षण कराया जाता रहा है।

मैनुअल संख्या : 13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां.

उक्त के सम्बन्ध में अधिनियम एवं परिनियम में विश्वविद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है।

मैनुअल संख्या : 14

किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।

विश्वविद्यालय की अधिकांश जानकारी बेवसाइट पर अपलोड की जाती है। इलैक्ट्रोनिक मोड में वर्तमान में उपलब्ध जानकारियाँ निम्नवत् हैं—

1. विश्वविद्यालय सम्बन्धी सूचना जिसमें प्रस्तावना एवं उद्देश्य उल्लिखित हैं— हिन्दी तथा अंग्रेजी में।
2. विश्वविद्यालय में स्थापित विद्याशाखायें।
3. विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, प्राध्यापक एवं शोध एवं डिजाइन सेल के सम्बन्ध में सूचना— हिन्दी तथा अंग्रेजी में।
4. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश अर्हता, अवधि आदि की सूचना
5. क्षेत्रीय निदेशकों एवं केन्द्रों के सम्बन्ध में सूचना।
6. विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के सम्बन्ध में सूचना जिसमें उन्हें आवंटित पाठ्यक्रम एवं कोर्स आदि उल्लिखित है के सम्बन्ध में सूचना।
7. विश्वविद्यालय का शैक्षिक कलेपड़र।
8. विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्गत विज्ञाप्तीयाँ।
9. विश्वविद्यालय विवरणिका।
10. आवश्यक प्रपत्र।
11. प्रेस कवरेज।

12. फोटो गैलरी।
13. परीक्षा विषयक सूचना एवं परीक्षाफल।
14. निविदायें।
15. संयुक्त पाठ्यक्रमों तथा सहयोगियों की सूचना।
16. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित अधिकारियों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अध्ययन केन्द्रों के टेलीफोन एवं ई-मेल पता लाइव सपोट सिस्टम/ऑन लाइन काउन्सलिंग।

मैनुअल संख्या : 15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है.

सूचना प्राप्त करने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की व्यवस्थाओं के अनुसार प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जाता है।

मैनुअल संख्या : 16

लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ

लोक सूचना अधिकारी का नाम — श्री खेमराज भट्ट

पद नाम — सहायक कुलसचिव
मोबाइल न0 9837336098
ई—मेल — kbhatt@ouu.ac.in

सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम — श्रीमती लीला रावत

पद नाम — सहायक कुलसचिव
मोबाइल न0 9720438344
ई—मेल — leelarawat@ouu.ac.in

प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम — प्रो0 आर. सी. मिश्र

पद नाम — कुलसचिव
मोबाइल न0 9412034574
ई—मेल — registrar@ouu.ac.in

विश्वविद्यालय का पता — उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
तीनपानी बाई पास रोड़,
ट्रान्सपोर्टनगर के समीप,
पो0 ओ0 — इन्डस्ट्रीयल स्टेट,
हल्द्वानी (नैनीताल) — 263139,
उत्तराखण्ड।

विश्वविद्यालय दूरभाष न0 — 05946 261122
फैक्स न0 — 05946 264232
वेबसाइट — www.ouu.ac.in
ई0मेल — info@ouu.ac.in

मैनुअल संख्या : 17

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय.

क) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिये चयनित अध्ययन केन्द्रों की संख्या एवं अन्य विवरण :-

-:: Study Centres ::-

Region: Dehradun (11)

S.N.	Code	Study Centre	Address	Coordinator/ Head of Institution	Contact No
1.	11000	UOU Model Study Centre Dehradun Campus	C-27, THDC Colony, Ajabpur kalan, Near Bangali kothi chowk, Doon University Road, Dehradun	Mr. Narendra Jaguri	0135-2532068 7500418040
2.	11004	Vision & Beyond Institute	B-169 Prakash Nagar, Idgah Govind Garh Road, Dehradun	Dr. Anita kaul Gupta	9897012665 9760003485 0135-2721984
3.	11005	Nav Chetna College of Teacher's Education	Near Balasundari Mandir, Vill & PO Manduwala, Dehradun	Mr. Rahul Agarwal	9997279129 9897681225 0135-3259014
4.	11017	Uttaranchal Ayurvedic College	107, Old Mussorie Road, Rajpur, Dehradun	Dr. A K Kamboj	9634125555 9410355267 0135-2734362
5.	11018	Amazon Institute Of Hotel Tourism & Management	PO- Kandoli, Near Aasha Ram Bapu Ashram, Sahastradhara Road, Dehradun	Sheela Sharma	9897403933 9837080706 0135-2114211 0135-2114207
6.	11020	SGRR PG college, Pathribagh	SGRR PG college, Pathribagh, Dehradun	Dr. Harshvardhan Pant	9760696596 0135-2720027
7.	11021	Doon Shikshan Sansthan	Behind Kamla Palace Hotel Indira Puram, GMS Road Dehradun	Er. G.D Mishra	9358672354, 9358672355, 0135-2627397
8.	11024	Netcom Computers	निकट मंडी गेट विकासनगर	श्री प्रभात वर्मा	01360251029 9758659900 9412409465
9.	11026	Institute of Hospitality Management (IHM)	9th Mile Stone, Shyampur Gari, Prem Vihar, PO Satya Narayan, Rishikesh	Mr. Sant Ram	9927975645 9927049927 0135-2121324
10.	11034	The Renaissance institute of management and technology	badripur near nine palm jogiwala, Dehradun- 248001	Mr. Mitesh Semwal	9761144497 0135-2103669 8881009999
11.	11037	Universal Institute of Hotel Management	156/1, A- Block, Nehru colony, Dehradun	Mr. Ujjawal Dhingra	0135-2672884 9720575671 9319661011
12.	11039	Cogent College Of Advanced Studies	219, Indira Nagar Colony, Vasant Vihar, Dehradun	Ms. Priyanka Bharadwaj	9897702359 9719155549

S.N.	Code	Study Centre	Address	Coordinator/ Head of Institution	Contact No
13.	11041	Doon Vedic Shiksha Samiti	Haripur PO Herbertpur, Distt. Dehradun	Mr. Surendra Singh	9719327458, 9761047956, 9758540006, 8864870293
14.	11053	Science	105/1, Vijay Colony, New Cantt Road, Dehradun	Mr. Prabeer De	0135-2742024 9837315102
15.	11056	Gangotri Vidya Niketan	Suman Vihar, Bapugram, Rishikesh	Mrs.Chandrawati Shastri	0135-2435854 9997774824
16.	11061	Janki Devi Educational Welfare Society (JDEWS)	74/35, Rajpur Road, Opposite Hotel Madhuban, Dehradun-248001	Ms. Sarika Pradhan	0135-2749009 8954532560
17.	11062	Nalanda Shikshan Sanstha	Khadri, Shyampur, PO-S.N.Temple, Rishikesh, Dehradun	Mr. Mahavir Prasad Upadhyay	09412347058 09997104173 0135-2451220
18.	11063	Advance Food Craft Institute	18 Amit Gram Gumaniwala, Rishikesh	Mr. Satyaprakash Kupruwan	0135-2456090 9837096090
19.	11064	Asset Info Tech Ltd	1 st Floor, 93, Subhash Road, Near Gurudwara, Dehradun-248001	Mr. Piyush Mittal	9412052104 0135-2712280
20.	11065	Akshat Foundation	G2, Nehru Colony, Dehradun	Mr. Chandra Mauli	0135-2669960 8859108780
21.	11068	Uttaranchal Institute of Accupressure & Alternative Medicines	Near Shani Mandir, Main Sahastradhara Road, Dehradun	Dr. Agarwal	9412319713 8449288880
22.	11070	Global Computer Institute	निकट मंडी ग्राउण्ड सहिया देहरादून	श्री अनिल सिंह तोमर	0135-2719867 9759491931 9719491931 9759491934
23.	11071	Doon Advance Technical Academy	1st Floor Prabhakar Market, Tilak Road, Rishikesh	Mr. Mukesh Agarwal	9837512000
24.	11073	Institute of Career Studies	B-146, Nehru Colony, Dharampur, Dehradun	Mr. Rahul Aggarwal	09837084133 0135-2669362
25.	11074	Korbet Institute of Hotel Management	Wing-3, Prem Nagar, Dehradun	Ms. Kamayani Kandari	0135-277379 9690016678
26.	11075	Academy of Computer & Management Training	ACMT Floor, Railway Road, Rishikesh, Dehradun	Miss Neetu Rawat	8979587453 9411753133
27.	11080	American Institute of Hotel Management	Hotel Gaurav Palace, Baurari, New Tehri, Tehri Garhwal-249001	Mr. Ravi Dutt Semwal	9719352357 01376-234013
28.	11084	NRS Softech (Pvt.) Ltd.	21, Sewak Ashram Road, Dehradun- 248001	Mr. Rajesh Sharma	0135-2749898, 9412053399
29.	11088	HIMALAYAN EDUCATION CENTRE	131 D.L ROAD DEHRADUN 248001	Mr. Lekhraj	9411587969 9568540880 9412911276 7037003111 8445690764
30.	11091	Guru Dronacharya Sanskrit Vidhlaya	592, Tapkeshwar Colony, Garhi Cant, Dehradun Pin- 248003	Acharya Bipin Chandra Joshi	9412053749 9927632995 0135-2553894
31.	11094	Social Awareness Natural Development & Educational Society	kanharwala near - bhaniyawala tiraha	Mr. Manish Yadav	9456157036 9719712526
32.	11096	Himadri Institute of Computer Education	Tarun Vihar, Mothrawala, Road, Dehradun	Mr. Kaushlanand Chamoli	9997167046 01356541083
33.	11099	S.B. College of Open Study	En-Field (Babugarh) Teh.- Vikas Nagar, Dehradun	Dr. Vijender Sharma	01360-251100, 08533854580
34.	11101	Madhuban Academy of Hospitality Administration & Research (MAHAR)	97, Rajpur Road, Dehradun, Uttarakhand- 248001	Mr. Suraj kumar	9719925600, 9012190009, 9837046476, 0135-2742500

S.N.	Code	Study Centre	Address	Coordinator/ Head of Institution	Contact No
35.	11102	SMTA Institute of Academic Excellence	SMTA Niketan, 27 th Km Chakrata-Lakhamandal Link Road, Chakrata- 248123 Dehradun (Uttarakhand)	Sanjeev John	9410704322 8923535919 01360-211450
36.	11103	Doon Christian International School	Chakrata Road Sahaspur, Sahaspur-248197, Dehradun	Dr. Gopi Chand Burman	0135-2114346 9456591414
37.	11104	Sanjivani Vidhyapith	H.No.-229/7, Tea State near police chowki, D.Dun Road, Harbatpur Distt.- Dehradun	Arti Chamoli	0135-2677787 9412911699
38.	11105	Institute of Cooperative Management	6, Old Mussoorie Road, Rajpur Deharadun	Mr. R.K.Sharma	0135-2734272, 2734274, 09412075516
39.	11106	Fusion Institute of Hotel Management	Opposite Akashwani Bhawan, Haridwar By-pass Road, near Rispana Pul (Dehradun)	Ashish Nautiyal	0135-6003333, 9756050505
40.	11107	Maheshanand Bahuguna Inter College	Majra, P.O.- Majra, Dehradun-248171	Mrs Chhaya Juyal	0135-2626468 9634276187
41.	11108	CIAT (Computer Institute of Accounting & Technology)	Babugarh, Vikasnagar (Dehradun)-248198	Jitendra Singh Negi	01360-252985 9557644262
42.	11109	International Maritime and Global Educational Academy (IMAGE)	Village & P.O.- Pondha, Premnagar, Dehradun	Mr. Ravi Shankar Juyal	7536081007 0135-3242224
43.	11110	Mohit Computer Education	Chakrata road, Dehradun	Mr. Mohit Agrawal	9634269927
44.	11111	Fortune Aviation Academy, Dehradun	Thakur Niwas, NH-72, Near Hill Glove School, Jhajhra, Dehradun-248015	Mr. Jitendra Chauhan	0135-6888699 9719711666 9219009991
45.	11112	VSKC Govt. Degree College, Dakpather DEHRADUN	Govt. Degree College, Dakpatthar	Dr. Anita Tomar	01360-222202 9411106551
46.	11113	UTTARANCHAL INSTITUTE OF HOSPITALITY MANAGEMENT AND TOURISM DEHRADUN	UTTARANCHAL INSTITUTE OF HOSPITALITY MANAGEMENT AND TOURISM OPPOSITE IIP GATE NO. 2 (Main gate) Mohkampur Haridwar Road Dehradun	Sh. Sanjay Joshi	9568955464 9012490007 01352660986
47.	11114	RURAL STUDY CENTRE DEHRADUN	RANIPOKHARI DEHRADUN	Dr. A.K. Baurai	9412997908 9997165783
48.	11115	D.D. College	25 A NIMBUWALA GARI CANTT DEHRADUN	Sh. Jitendra Yadav	0135-6519999 7417555666
49.	11116	SHANTI SAGAR EDUCATION SOCIETY	VPO-THONON DEHRADUN	Dr. J.L. Vij	9813213246

Region: Roorkee (12)

S.N.	Code	Study Centre	Address	Coordinator/ Head of Institution	Contact No
1.	12001	Divya Prem Sewa Mission	Swami Vivekanand Institute of Management, 2nd floor, sri sai complex, near HDFC Bank, Ranipur More, Haridwar	Mr. Sanjay Chaturvedi	01334-221162, 9359535464, 9219692776
2.	12002	HEC PG College	Kanya Gurukul Campus, Chhoti Nehar, Kankhal Haridwar	Mr. Tara Singh	9358222792, 9719345777, 9358222796 01334-244958
3.	12004	Swami Darshnananda Institute of Management & Technology (SDIMT)	Gurukul Mahavidhyalay, Jwalapur, Haridwar-249404	Km Jailaxmi	8791313033 9528879004 01334-213699
4.	12005	Maharishi dayanand Institute of Management &Technology	Dhanauri, Roorkee, Distt. Haridwar	Mr. Shushil Gaur	9759914389 9758898054 01332-218172
5.	12008	BSM PG College	BSM PG College, Roorkee	Dr. V.P Gautam	9917385959 01332-272218
6.	12009	SP Institute of Combined Education	244/7, Yoganand vihar, Roorkee	Mrs. Kusum Gupta	9412070284 01332-263567
7.	12010	Jamia Islahul Bannat	Moh. Toli Manglour town, Distt Haridwar	Mr. Qari Naseem Manglouri	9358940055 01332-223297 8899811944
8.	12011	RMP PG College	Gurukul Narsan, Haridwar	Dr. Sarvendra Singh	9412465331
9.	12012	Chamanlal Educational Society	Gram bhagwanpur, chandanpur PO Lanndara, Haridwar	Mr. Arun Kumar Harit	9927027669 01332-275192
10.	12015	Gyandeep Balniketan	64-A Subhash nagar, Roorkee, Distt Haridwar	Mr. V.D Pant	9319641664
11.	12020	Vidhya Vikasini College	Gurukul Narsan, Haridwar, 249406	Mr. Balesh Salar	9761772668 9837466104 01332229611
12.	12022	City College Of Management & Technology	324, Sot Roorkee, 247667	Mr. Deepak Kumar Verma	9837104233 9219416119 01332-263141
13.	12023	Rahamania Study Centre	Bhagwanpur, Haridwar, 247661	Dr. Zishan Ali	9412928661 01332-291938
14.	12027	Nand Kishor Jakhmola	Gangadutt Joshi Marg, Kotdwar, Pauri	Mr. N.K Jakhmola	9719638346 0138-2224470
15.	12029	World Academy of Traditional Medical Science	PO 761, Parmarth Niketan, Sawargashram Rishikesh, Disst Pauri	Dr.Vikas Suryavanshi	9634581593 9837018639 0135-2440777
16.	12031	Hari Om Saraswati Inter College	Dhanauri, Haridwar-247667	Mr. Rakesh Chaudhary	9720704358, 9557178505
17.	12032	Kripal Kanya Higher Secondary School	Kripal Nagar, Rawli Mehdood, Haridwar	Ms. Ranjana Sharma	9837077527 01334-231424
18.	12034	KNIMT (Kunti Naman Institute of Management & Technology)	Near NH-58, Patanjali Yogpeeth, Badhedi, Rajutana, Haridwar	Mr. Sunil Saini	01334-241293 9837021098
19.	12037	College Name : Babu Ram Degree College, Roorkee	7 Km Milesotne Roorkee- Dehradun Highway, Saliyar, Roorkee	Sh. Yogesh Kashyap	9410367462 01332-269469
20.	12040	SMT Computer Institute	3 R.B Jodhamal Road, Near Sewa Sadan Girls College, Haridwar	Mr. Anurag Goel	9719174443 01334-226665
21.	12042	Government P.G College kotdwar	Kotdwar, Garhwal	Dr.A.N.Singh	9458976967
22.	12043	M.S. Educational Institute	Vill Chhangamajri, P.O.- Hallumajra (Bhagwanpur), Distt.-Haridwar, 247661	Mr. Naveen Kumar Saini	9719447850
23.	12044	Shri Ram Educational Institute	Vill & PO- Libberheri, Distt. Haridwar, 247656	Mr. Ajay Kumar Sharma	9837301118 9719468198
24.	12045	Varnika Lalyan group of	Vill Haddipur Grant PO Sohalpur	Mr. Pradeep	9838664411

		Educational Institute	Distt.- Haridwar	Kumar Saini	9634776600
25.	12046	ABS Academy of Higher Education	Vill & PO Bahader Pur Jutt Distt.- Haridwar	Mr. Dharmendra Singh Chauhan	9917717171
26.	12047	Roorkee Industrial Training Institute	House No- 7, Railway Road, Ganeshpur, Roorkee Haridwar	Mr. Praveen Kumar Sharma	9837179363 9897915500
27.	12051	S.K. Infotech	J-142, Shiwalik Nagar, BHEL, Haridwar Pin-249403	Dr. Vikram Kapoor	9319967771 01334-232060
28.	12052	Uttaranchal Degree College	Sultanpur, Kunhari, Haridwar	Mr. Sunil Saini	9837021098 01332-252550
29.	12058	SHRI SAI INFOTECH	Old Ranipur More, Haridwar	Mr. SANJEEV SHARMA	09368421419 01334-221473
30.	12060	Damini Arya Vedic Ch. Pvt School Samiti	Vill & PO Imli Khera, Roorkee, Haridwar	Virendra Kumar Arya	9412919476 8445595308
31.	12061	Mohini Devi Institute of Management & Technology	Iqbalpur Road, Asaf Nagar (Near Shastri Puram), Roorkee, Haridwar	Maneesha Singhal	8534047653 9760038056 9997245679
32.	12062	Naveen Pvt. ITI Study Centre	Purvi Nath Nagar Jwälapur, Haridwar Pin code- 249407	Rizu Gupta	9760921773, 9412950524
33.	12065	Shri Hari Institute and Management Science	V+P.O.- Bhagpur, Tehsil- Jwälapur, Distt.- Haridwar	Dinesh Singh	9719050449
34.	12066	Dev Bhoomi Institute of Advance Studies	V+P.O.- Shahpur, Sheetla Khera, Haridwar -247663 (UK)	Narender Singh	9720393967 9758172597
35.	12068	Institute of Management Studies, Roorkee	10 th Km. Stone, Roorkee-Dehradun Highway, Roorkee-247667, Distt.- Haridwar (UK)	Dr. Gesu Thakur	01332-232091 9411899788 9997700489
36.	12069	Devbhoomi Siksha evam Gram Vikas Samiti	Vill.- Telpura, Post- Biharigarh, Distt.- Haridwar (UK)-247662	Anil Kumar	9412424328
37.	12070	Samrat Prithvi Raj Chauhan PG College	Vill.- Rahalki Kishanpur, Haridwar-249402	Dr. P.L. Chauhan	01334248622 9634381242
38.	12071	RCP's (PG) College of Allied Sciences	09 Milestones, Roorkee-Dehradun Highway, Village- Kishanpur, Post Box No.- 104, Roorkee- 247667, Distt.- Haridwar (UK)	Dr. Sudheer Kumar	01332-232624, 232977, 232931, 09897600582
39.	12072	Pilot Baba Institute	Dakash road, Jaggatpur, Kankhal (Haridwar) Pin-249408	Mr. Sunil Saini	9837021098 8475076810
40.	12073	Kanya Pathshala Inter College	Ganeshwar, Roorkee, Haridwar	Mr. Satender Kumar	9897138721
41.	12074	Central Institute of Open Studies	ROORKEE DEHRADUN ROAD 7 KM ROORKEE	Dr. Achal Kumar Goyal	9456332146 9411565791

Region: Pauri (14)

S.N.	Code	Study Centre	Address	Coordinator/ Head of Institution	Contact No
1.	14001	Swami Vivekanand Vidhya Mandir Veleshwar	P.O.-Siliyara, Tehri Garhwal	Govind Singh Rawat	9927863416, 9756364880 9411504898, 01379-253259
2.	14002	Dudhatoli Takniki Mahavidhyalaya, Tripalisain	P.O.- Bageli, Distt Pauri Garhwal	Mr. Vijay Prakash	8449243920, 9411749703
3.	14005	Government PG College, Jaiharikhali	Jaiharikhali (Lansdowne)	Dr. V. K Agarwal	9411536583, 01386-276641, 9412139910
4.	14008	Kargil Shaheed Dharam Singh GIC	PO Kaljikhali, Distt Pauri Garhwal	Mr. Sravan Rawat	9411738073, 9412960784
5.	14012	Jayveer Memorial Satya Mahavidhyalaya	PO Daangi, Nailchami, Pauri	Mr. Kanak Pal Singh Bangari	9012676947
6.	14013	J.I.C. Takolikhali	Block- Rikhanikhali, Distt.- Pauri Garhwal	Mr. Sandeep Pokhriyal	9639583734, 9012592998, 8954083123, 9412970723
7.	14017	INTERFACE ACADEMY	New Padiyar Complex Near University Gate, Srinagar (Garhwal) Pin-246164	Mr. Ajeet Negi	9410129450, 9759860919
8.	14018	Government PG College, Agastyamuni	Agastyamuni, Pauri	Dr. B.S.Chauhan	01364-256229, 9412922211
9.	14021	Valley Vision Research Institute	Gurudwara Road, Near Hanuman Mandir Srinagar Garhwal, 246174	Dr. Rajesh Bhatt	9058888288 01346-253724
10.	14023	MRC Academy	Sumari, PO- Tilwara, Distt-Rudraprayag, Pauri	Mr. Prateek Saklani	9720122280
11.	14034	Paraaj Samajik Sansthan	Zila Panchayat, Press Parisar, Uppar Chopra, Pauri Garhwal	Mr. V.P Balodi	9456563535
12.	14036	Himalayan Environmental College of Management & Technology	Bhanaj PO Machkandi, Distt Rudraprayag	Mr. Rajendra Singh Negi	7500280379
13.	14037	Jayanand Bhartiya J.H.S Panchpuri	P.O.- Baijra, Distt.- Pauri Garhwal (Uttarakhand), 246275	Mr. Sushil Chandra	7409888161, 9412942226, 01348-267109
14.	14038	Deviokhal Shiksha Kendra	Village- Mandari, Devikhal, PO- Dabri, Rekhanikhali	Mr. B.S Bisht	9997411358
15.	14041	Grace Institute of Hotel Management	Satpuli, Pauri Garhwal	Mr. Manish Khugshal	9719126196
16.	14045	Maitri Institute of Management and Study	'RISHIVAN', Malegoan, Post- Diuli Via Swargashram (Pauri Garhwal) Pin code- 249304	Rishi Kumar	9411724266, 8171624277, 8171205716
17.	14046	Govt. Degree College Chandrabadni (Naikhari)	Tehri Garhwal (Uttarakhand)	Dr. Pratap Singh Bisht	01378-237410 9639424193
18.	14047	Govt. Degree College Nagnath Pokhari	Govt. Degree College Nagnath Pokhari, Chamoli	Dr. Sanjiv Kumar Juyal	01372-213886 9412115761
19.	17044	Devaki Nandan Siksha evam Grameen Vikas Samiti	Simli, Distt.- Chamoli,	Mr. Girish Chandra Thapliyal	9410722604

Region: Uttarkashi (15)

S.N.	Code	Study Centre	Address	Coordinator/ Head of Institution	Contact No
1.	15001	Info International	Near SBI, Kapoor gali, Main Market Uttarkashi Pin Code- 249193	Mr Anand Butola	9897233737
2.	15002	Birja Gramin Jan Vikas Siksha Sanshthan	Chinyali Sour Uttarkashi Pin Code- 249196	Shankar Dutt Ghildiyal	9412323388, 7895764533 01371237212
3.	15006	Subhash Inter College, Thauldhar	PO Thauldhar, Distt.- Tehri Garhwal , Pin Code- 249131	Mr. P.N Saklani	9412027455, 9410199236 01376216343
4.	15008	AICE, Gramin Kshetra Vikash Samiti	Post Box No-6, Ranichauri, Tehri Garhwal (Uttarakhand) Pin Code- 249199	Mr. Sushil Bahuguna	9412027043 9997733631 01376-252229
5.	15009	Govt Inter College, Kharadi	PO-Bhansari via Barkot, Distt-Uttarakashi Pin Code- 249141	Trilok Singh Rana	9456181087 9568599668 01375-224816
6.	15011	Annpurna Food Craft Institute (AFCI)	Near Sri Dev Suman Inter College , College Road Chamba - 249145	Mr. Vinod Kumar Kuliyal	9412008187 9411139706 01376-256187
7.	15014	Matrichhaya Parvatiya Vikas Samiti	Vill & PO - Gaja, Tehri Garhwal, Pin- 249146	Mr. Arvind Uniyal	9456555891 01378-221345
8.	15015	Government Intermediate College	Arakot, Block- Mori Uttarkashi Pin Code - 249128	Mr. Naresh Rawat	8191037379 9410108289
9.	15016	RCU Govt. PG College	Uttarkashi Pin Code - 249193	Dr. R.S.Rawat	9412029929
10.	15017	Bhagirathi Uchhatar Madhyamic Vidyalaya	Kandisaur PO- Kandisaur, Tehri Garhwal Pin Code- 249132	Mr. Jayendra Singh Bhandari	9410197920 01376288070
11.	15018	Baliram Maanav Sewa Ashram	Uniyal Bhawan, Court Road, Tehsil- bhatwari, Distt.- Uttarkashi- 249193	Mr. Rajeev Nautiyal	9411186083, 9997469167
12.	15019	Info International	ITI Road, Chauhan Bhawan Ward No.-5 Barkot, Distt- Uttarkashi, Pin Code- 249141	Mr. Shobhendra Singh Rana	9897867266 9411553816
13.	15020	Garhwal Vikas Kendra	Vill & P.O.- Suman Kyari, Nainbagh (Jaunpur), Tehri Garhwal (UK) Pin- 249186	Mr. Parendra Saklani	01376-228420, 9458132555
14.	15021	Trihari Institute of Management Education	464, Sector- 8 D, Baurari, New Tehri Pin Code -249001	Sh. Ompal Singh	01376-233099 09412076099
15.	15022	R.S.Public School	Badshahi Thaul, New Tehri Road (Tehri Garhwal) Pin - 249199	Sh. Suresh Bharti	8126293595 01376-254210 9997231330 7830121635
16.	15023	Gramin Mahila Swasthya Chetna evam swarojgar vikas samiti	C/o KCS KUMOLA ROAD, PUROLA TEH PUROLA	Mr. Kuldeep Arya	7895617230, 8755594496 01373-223033
17.	15024	P.S.B. Govt. Degree College Lambgaon	Block- Pratapnagar, Distt.- Tehri Garhwal (U.K.)- 249165	Dr. Santosh Kumar Anal	01379-219645 9557335516
18.	15025	NEW HOLY LIFE PUBLIC SCHOOL BADKOT	WARD NO 7 NAGAR PALIKA BADKOT UTTARKASHI	SMT. PRIYANKA DAVRAAL	9412077113 8979455113
19.	15026	<u>RADHA KRISHNA SEWA EVAM VIKAS SAMITI</u> TEHRI GARHWAL	VILL-BAUR PO-JAULANGI PATTI-JAWA DISST-TEHRI GARHWAL	Sh. Vikram Singh Gusain	7579266591

Region: Haldwani (16)

S.N.	Code	Study Centre	Address	Coordinator/ Head of Institution	Contact No
1.	16000	UOU Model Study Centre	UTTARAKHAND OPEN UNIVERISYT, HQ, University Road, Behind Transport Nagar (Teenpani Bypass), Haldwani-263 139, Nainital, Uttarakhand	Dr. Gagan Singh	18001804025
2.	16001	Unity Law college	Kashipur Road, Village Jaffalpur, Rudrapur	Mr. Nitin Sharma	9837343222, 9927510031, 05944-261691
3.	16002	Late Ratikant Biswas Memorial School	Vill Pipliya No 1, PO Premnagar, Gadarpur, U.S Nagar	Mr. Omiyo Kumar	9837151076, 9837551669
4.	16003	Amrapali Institute of Applied Sciences	Shiksha Nagar, Lamachaur, Haldwani	Mr. Pankaj Kumar Pandey	05946-238201 8191026475 18001804027
5.	16005	Vision Institute of Management & Technology	Prem nagar, Behind AXIS Bank Bajpur	Mr. Dharam Veer Sharma	9837402211, 9837028525, 05949-281897
6.	16011	The Indian Institute of Management & Technology, Nurturing Tomorrow	Near Abdullah Petrol Pump, Kusumkhera, Kaladhungi Road, Haldwani	Mr. Sarthak Arora	9358601923, 9897953505 05946-263030
7.	16013	CEFA Institute of Mangement & Technology	Behind Shiv puri Colony, Halduchaur, haldwani	Sh. Kailash Chandra Tewari	05945-268681, 9359490698, 9358192253
8.	16014	Bhagwati Swaroop Educational Welfare Society	Greenwood public school, Sitarganj, U.S Nagar	Mr. Jeewan Singh	9058807158, 9837683644
9.	16015	Aditya Yoga - Naturopathy Hospital and Research Institute	Haldwani Bypass Road Near Shani Mandir U.S. Nagar Kichha Utrakhand (263148)	Dr. D.N. Sharma	09756207982
10.	16017	Royal College of Tourism & Hotel Management	Opposite Shitla Devi Mandir, Shitalapuri, Ranibagh, Distt.- Nainital	Mr. Anurag Bhosle	9412084144, 05942-235373 9997987458
11.	16022	PNG Government PG College	Ramnagar, Nainital, 244715	डा० विकास दुबे	+919410966052 (Office) +919412150238
12.	16023	S.B.S Government P.G College	Rudrapur (U.S Nagar)	Dr. Y.K Sharma	9412139799, 05944 243586
13.	16026	Centre of Technical Excellence (Smart Skill)	Amravati Colony, phase 2, Talli Bamori, Haldwani	Mr. Deepak Bisht	8393888001, 02 & 07
14.	16034	M.B.P.G College	Nainital Ro ad, Haldwani	Dr. Rashmi Pant	05946-222017, 05946-220394 9411162527
15.	16038	Gandhi Smarak Prakatik Chikitsa Samiti	Harinagar Lakshmi banket Hall Ke Samne, Haldwani	Mr. Aditya Swaroop Bharadwaj	9899595197
16.	16041	Mukti Nivesh Sahbhagi Vikas Evan Siksha Samiti	खनस्यू)KHANSUYN(विकासगणक ओषधकांडा (OKHALKAND) जिला नैनीताल।(NAINITAL)	Mr.Naveen Chandra Paneru	9837449117 9411303367
17.	16042	Janlax Welfare Society	Adarash Nagar, Mukhani, Haldwani	Mr. Sanjay Kumar Joshi	9760720204 9412086402 05946-280402
18.	16043	Shiksha Bhartiya Inter College	Khatima, U.S.Nagar	Mr. H.C.Pandey	05943-250813, 9897500000
19.	16047	Renaissance College of Hotel Management & Catering Techonology	Basai, PO- Peerumadara, Ramnagar	Mr. Sunil Kumar	05947-282206, 9639166260
20.	16052	Government Degree College	Kashipur, U.S Nagar	Dr. Vinod Kumar	9412986331

S.N.	Code	Study Centre	Address	Coordinator/ Head of Institution	Contact No
		Kashipur			
21.	16053	Imperial Institute of Management Technology	Kusumkhera Chauraha, Haldwani	Mr. Chandra Mohan	9719248441, 8006160925, 9410995717
22.	16057	Agrahari Multimedia Institute of Animation	Mungli Garden, Near Ashoka Hotel, Rampur Road, Haldwani	Mr. Shiv Prakash Gupta	9719101287
23.	16059	Faiz-e-aam inter college jaspur	Bhagwantpur Road, Jaspur, Disst U.S Nagar	Sh. Rais Ahmed	+919012376786 +919458320716 +915947222890
24.	16070	PPJ Saraswati Vihar	Veerbhatti Nainital	Mr. Rajat Kumar Singh	8958025533, 05942-235846, 7351006369
25.	16071	Govt. Degree College, Kotabagh	Kotabagh, Distt. Nainital	Dr. Bhawan	9412036168 05947-212267
26.	16072	Pt. Poornand Tiwari Government Degree College Doshapani	Chaukhuta, Doshapani, Nainital	Dr. Vivekanand Pathak	9411793208/ 9412983162
27.	16074	Oxford Academy	Rudrapur (Kicha Bypass road), U.S.Nagar	Mr. Vinit Joshi	9756150777
28.	16078	Uttarakhand Institute of Information Technology & Management	Bhagat Singh Chauk, Opposite- Puma Showroom, Sanatan Girls Inter College Road, Main Market, Rudrapur District- Udhampur Nagar, -263153	Ms. Sana Khan	8057455111, 8192812111
29.	16081	Sri Sidha Nath Professional Education & Higher Studies Society	Vill.- Dimri Block, PO- Chakki mor, Distt.- U.S.Nagar, Dineshpur, Pin-263160	Mr. Pushkar Singh Koshyari	9917943058 05949262506
30.	16085	Sant baba Fauja Singh Degree College	Vill.- Nanakpuri, P.O.- Darau, Tehsil- Kichha, Udhampur Nagar Pin Code- 263148	Dr. N.P. Singh	9927264555 05944-238848 8006000315
31.	16087	Vivekanand Samojothan Samiti	G.I.C Road, Betalghat (Nainital)	Mr. Deep Chandra Rikhari	05942-241674, 9690549049, 09410110237,
32.	16090	H.N.B. Govt. PG College Khatima	Near Telephone Exchange Khatima (U.S.Nagar)	Mr. Pankaj Kumar	05943-252244, 9412013146
33.	16093	Sarvodaya Vidyapeeth	Vill.- Musabangar (Kotabagh)	Mr. Manoj Kumar Budhlakoti	05946-210583, 09756216255
34.	16094	J.N.Kaul Institute of Education, Bhimtal	SOS Complex, Bhimtal (Nainital)	Dr. Ranjana Ruhela	05942-247999, 9411089931
35.	16095	Naincy College of Hotel Management	Naincy Campus, Jeolikote Nainital (Uttarakhand)	Sh. Saurabh Tiwari	05942-224517, 224035, 09756681478, 09411165108,
36.	16096	R.S.Dhillon Janta Inter College, Mahadev Nagar	Mahadev Nagar, Post- Dhakiya No. 1, Kashipur (U.S.Nagar)	Mr. Amar Nath Mishra	05947-224333, 9410334344
37.	16097	Pal College of Technology & Management	R.T.O. Road, Kusumkhera Haldwani, Nainital (UK)	Mr. Amit Pal	05946-263933, 8477973333
38.	16098	Droan B.Ed. College	Vill. & Post- Khanpur Purab, Dineshpur Road, Rudrapur (U.S.Nagar)	Mr. Vinod Kumar Budhlakoti	05944-261800 7055103081, 8979039623
39.	16099	AIM Institute of Hotel Management	Bareilly Road, Goraparao, Haldwani (Nainital)	Mr. Kamal Tiwari	7351720222
40.	16100	Chanakya Law College, Rudrapur	Vill.- Bhamrola, P.O.- Bagwara, Kichha Road, Rudrapur (U.S.Nagar)	Dr. Deepakshi Joshi	05944-246094 8057203116 9012414743
41.	16101	Govt. Degree College Banbasa	Distt.- Champawat	Dr. R.K.Gupta	9417084302

S.N.	Code	Study Centre	Address	Coordinator/ Head of Institution	Contact No
42.	16103	Dr. Susheela Tiwari Institute of Hotel Management	Rampur Road, Haldwani -263139	Mr. Kamlesh Harbola	9808104954
43.	16104	Uttarakhand Ayurvedic College	Panchayat Ghar, Rampur road, Haldwani	Mr. Vimal Katiyar	9897110510, 9997489176
44.	16105	Rudrapur College of Management & Technology	Vill.-Bhagwanpur, Post- Danpur, Rudrapur-263153	Mr. Amar Nath Verma	8194033335, 05944-261757 9997016034
45.	16106	<u>SARVAJAN SIKSHA SEWA SAMITI</u>	SARVAJAN SIKSHA SEWA SAMITI HOUSE NO-132 WARD NO-5 RANIBAGH POST KATHGODAM	Ms. Pooja Bisht	9458996255 05946-267587
46.	16107	<u>Dream Shapers Institute of Management Studies</u> Haldwani	T-06 Phase -1 Durga City Centre Haldwani	Sh. Kishan Bisht	9634789093 9090206776
47.	16108	DOON CONVENT SCHOOL	GAUJAJALI UTTAR BAREILLY ROAD HALDWANI	Prof. B.L. Sah	05946229270 9761738304
48.	16109	TULA RAM RAJA RAM INTER COLLEGE KASHIPUR	CHAITI MORE KASHIPUR	Sh. Manoj Kumar Mani Tripathi	05947-262375 9756866443

Region: Ranikhet (17)

S.N.	Code	Study Centre	Address	Coordinator/ Head of Institution	Contact No
1.	17007	Govt PG College Ranikhet	Ranikhet Distt.- Almora	Dr. Amit Agarwal	7830636017 05966-220372
2.	17009	Governement Inter College, Kalraon	Jairam Bakhali, PO Jairam Bakhali, Almora	Dr. Manoj Kumar Singh	9411882914 8954753225
3.	17010	Infotech Technology	Maa Nanda Devi Complex, LR Sah road , Almora	Mrs Mili Latwal	9412962314, 05962-231742
4.	17013	Govt P.G.College Dwarahat	Dwarahat Distt.- Almora	Dr. Prem Prakash	9412036076, 05966-244447
5.	17019	Adarsh Institute Of Technology & Education	Upper Market, Karanprayag, Distt Chamoli	Mr. Laxman Singh Bisht	9897235023, 01363244832
6.	17030	Government Degree College, Karanprayag	Government P.G. College Karanprayag (Chamoli)	Dr Gaurav Varshney	9917290065
7.	17033	Himalayan Institute of Education & Technology	Village & PO Jilasu Via Langasu, Distt Chamoli	Dr. Surendra Prasad Dimri	9412082143 9456331608
8.	17034	Dharohar Vikas Sansthan	Vill Chausala, PO- Dhauladevi, Distt-Almora	Mr.Dev Chandra Pandey	9411119828/ 9690676356
9.	17035	Adarash Inter College Suraikhet	Suraikhet, Bitholi, Dwarahat, Almora	Mr. Anil Kumar Pant	05966-252082/ 9412930646, 8057834858
10.	17040	Kumaun Institute of Education and Techonology(RISE)	Dungadhara, Almora	Dr. Lalit Jalal	9412977891, 9411105281,
11.	17045	NEITS	Chaughanpata, Almora	Mr. Sambhu Datt Joshi	9528609336, 9410784510
12.	17047	Shri Nanda Devi Development Committee	Jkesav Bhawan, Gairsain	Mr. Ranjan Bisht	9557536561/ 9411778160
13.	17052	Nachiketa Institute of Education & Technology	Dronagiri Road Dwarahat	Mr. Yogesh Mainali	9639373866, 7599006440
14.	17055	Jay Shree Educational & Development Society	Village- Pagsha, PO- Kwali, District- Almora	Mr. Bhanu Prakash Joshi	9720355408, 05966240035
15.	17056	'Seedlings' Study Centre	Vill.- Kama P.O.- Bagwali Pokhar	Mr. Mukesh Pant	7417139140, 9411574285
16.	17058	Nav Nirman Educational Centre	Gauchar, Chamoli	Mr. Bhagwati Prasad	8958470835

S.N.	Code	Study Centre	Address	Coordinator/ Head of Institution	Contact No
				Thapliyal	9410720808
17.	17059	Govt. Degree College, Bhikiyasen	Bhikiyasain-263667 (Almora)	Dr. Pankaj Priyadarshi	9411706907 05966-242177
18.	17060	Zonal Education Development Society	Patal Devi Industrial Almora	Sangeeta Joshi	9758213834 9760659080 9627571440
19.	17061	Bhim Rao Ambedkar Education Society	Masi, Distt.- Almora	Vinod Kumar Kabdal	09891852471, 08130674467, 9634200717
20.	17062	Govt. Degree College Chaukhitiya	P.O.- Chaukhutia (Ganai) Distt.- Almora (Uttarakhand)263656	Dr. J.S.Rawat	05966-246696 8449659591 9634766488
21.	17063	<u>GOVERNMENT DEGREE COLLERGE,</u> <u>GAIRSAIN (CHAMOLI) CHAMOLI</u>	GOVERNMENT DEGREE COLLERGE, GAIRSAIN FARKANDE GAIRSAIN CHAMOLI	Dr. Shiv Narayan Singh	9411109852

Region: Pithoragarh (18)

S.N.	Code	Study Centre	Address	Coordinator/ Head of Institution	Contact No
1.	18001	I.D. Pant Study Centre, Soar Valley Public School Pithrogarh	Soar Valley Public School Pithrogarh (Near New Stadium)	Mr. Kushal Singh Samant	9897722356, 05964-264186
2.	18002	Govt. P.G. College, Pithoragarh	Pithoragarh	Dr.R.S. Adhikari	9897151994, 9997185168
3.	18004	Govt. P.G. College, Narayan Nagar	Narayan Nagar (Didihat) Distt-Pithoragarh	Dr. R.N. Pandey	9410562793 05964-234107
4.	18005	Sayuankt Vikas Evam Pryavaran Kalayan Samiti, Nachni, Pithoragarh	Nachani, Pithoragarh	Mr. Laxmi Dutt Pathak	9411347212, 9457827681
5.	18006	S.M.G.I.C.Gangolihat Pithoragarh	PO-Gangolihat, Pithoragarh	L.P. JOSHI	05964242672, 9412925330
6.	18007	Care Computers	GIC Link Road Tiraha, Pithoragarh Uttarakhand	Mr. Pankaj Joshi	9897922656, 9411337845,
7.	18011	Govt. P.G. College Lohaghat	Distt. Champawat	Dr. Dharmendra Kumar Rathore	05965-234552 9412032748
8.	18021	Mahatma Gandhi Nature Cure & Yoga	Vill-Kaflang,PO-Dudhpokhra,Distt-Champawat	Dr. Salila Tewari	9761261067, 9818117859
9.	18025	GIC, Muwani	Muwani, Pithoragarh	Smt. Yashoda kandpal	9760213955, 05964278607
10.	18026	Himalayan Study Circle for Enviornmental Child Education Health Research	GIC Road, Pithoragarh	Dr. Dinesh Joshi	9412095808, 059642-64242
11.	18029	Govt. Degree College Champawat	Fulara Gaon, Champawat (UK) Pin Code- 262523	Dr. B.P.Oli	05965-230462, 9412042292
12.	18030	Sarav Society	GIC Link road, Pithoragarh-262501	Mr.Pradeep Kumar Pandey	05964-224436, 7500191919, 7500181818
13.	18031	Govt. Degree College Baluwakote	Dharchula,Pithoragarh	Dr. Atul Chand	05967-226454 7579155636
14.	18032	Govt. PG College Berinag	Berinag, Distt.- Pithoragarh	Dr. Jyoti Niwas Pant	05964-244641 9756536121
15.	18033	Govt. Degree College Gangolihat	Gangolihat (Pithoragarh)	Dr. Sushil Kumar Gururani	05964-242330 9410565222
16.	18034	J B MANAS ACADEMY PITHORAGARH	MANAS VIHAR DAULA PO- BIN PITHORAGARH	Sh. Brijesh Pandey	9760620710 7536022439

Region: Bageshwar (19)

S.N.	Code	Study Centre	Address	Coordinator/ Head of Institution	Contact No
1.	19001	Govt PG College Bageshwar	Bageshwar	Dr Sharad Bhatt	05963-220081 9412306678
2.	19005	GIC Kapkote	Bageshwar	Mr Umed Singh Aithani	9457853832, 9411321170
3.	19011	V.M.J.S Government Inter College	Bageshwar	Mr. Deep Chandra Joshi	05963-220085, 9412930153
4.	19012	GIC Badiyakote	PO Badiyakote, Bageshwar	Mr. Trilok Singh Bisht	9412925731
5.	19016	Late Chandra Singh Sahi Government Degree College	Kapkote, P.O.- vlkS, Pin no.- 263642 (Bageshwar)	Dr. Munna Joshi	9410598968/ 9690114546
6.	19018	GIC, Wajula	Wajula Via Garur, Bageshwar	Mr. Mohan Singh Bisht	9412925956
7.	19020	Govt. Inter College Tuper	Distt.- Bageshwar	Sh. K.R.Arya	9411710260

ख) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों में प्रभावी नियन्त्रण समनवयक हेतु गठित क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरण :-

CODES AND ADDRESSES OF REGIONAL CENTRES

S.N.	Regional Centre	Code	Regional Director	Address	Contact No.
1	Dehradun	11	Dr. Sandeep Negi	Sri Guru Ram Rai PG College (SGRR), Pathribagh, Dehradun	9412031183 0135-2720027
2	Roorkee	12	Dr. Rajesh Chandra Paliwal	B.S.M PG College, Roorkee	919412439436 01332-274365
3	Pauri	14	Dr. A.K Dobriyal	H.N.B Garhwal University, Pauri Campus	9412960687 01368-223308
4	Uttarkashi	15	Dr. R.P.Singh	RCU Government PG College, Uttarkashi	9412409442 01374-222004
5	Haldwani	16	Dr. Rashmi Pant	M.B P.G. College, Haldwani	9411162527 05946-284149
6	Ranikhet	17	Dr. B.K Singh	Government PG College, Ranikhet	7579132634 05966-220474
7	Pithoragarh	18	Dr. R.P Dwivedi	Government PG College, Pithoragarh	9412093678 05964-264015
8	Bageshwar	19	Dr. B.C Tiwari	Government PG College, Bageshwar	9412044914 05963-221894

-:: Regional Centres wise total Study Center::-

S.No.	Name of the Regional Centre	No. of Study Centres	State	District
1	Dehradun	57	Uttarakhand	Dehradun
2	Roorkee	42	Uttarakhand	Haridwar
3	Pauri	19	Uttarakhand	Pauri
4	Uttarkashi	19	Uttarakhand	Uttarkashi
5	Haldwani	52	Uttarakhand	Nainital
6	Ranikhet	21	Uttarakhand	Almora
7	Pithoragarh	16	Uttarakhand	Pithoragarh
8	Bageshwar	07	Uttarakhand	Bageshwar
	Total	233		

ग) विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण (सत्र 2015–16):-

स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम – MASTER DEGREE PROGRAMMES

Sl. No.	Programme	Eligibility	Duration Min	Duration Max	Programme Fee (INR)	Medium of SLM	
1	Master of Computer Application	Graduation in any Stream (Candidates not having mathematics at 10+2 will have to pass one qualifying mathematics paper during course of the programme) Lateral Entry to MCA IIIrd Sem for MSc (CS/IT), DOEACC A Level, PGDCA	3 Yrs	6 Yrs	9,500 per Semester (6 Semesters)	English	Adopted
2	Master of Geo Informatics	Graduation in any Stream	2 Yrs	6 Yrs	18,250 per Year (2 Years)	English	Adopted
3	Master of Science in Information Technology	Graduation (Science/CS)	2 Yrs	6 Yrs	9,500 per Semester (4 Semesters)	English	Adopted
4	M. A. Education	Graduation in any Stream	2 Yrs	6 Yrs	4,000 per Year (2 Years)	Hindi	Self Developed
5	Master of Journalism & Mass Communication	Graduation in any Stream or lateral admission in IIrd Semester. for those who have one year PGDJMC or BJ/BJMC degree after graduation.	2 Yrs	6 Yrs	4,000 per Semester (4 Semester)	Hindi	Self Developed
6	M.A. Hindi	Graduation in any Stream	2 Yrs	6 Yrs	3000 per Year (2 Years)	Hindi	Self Developed
7	M.A. English	Graduation in any Stream	2 Yrs	6 Yrs	3000 per Year (2 Years)	English	Self Developed
8	M.A. Sanskrit	Graduation in any Stream	2 Yrs	6 Yrs	2000 per Year (2 Years)	Sanskrit	Self Developed
9	M.A. Urdu اردو	Graduation in any Stream	2 Yrs	6 Yrs	2200 per Year (2 Years)	اردو	Adopted
10	Master of Business Administration * Rs 500 for Entrance Examination & Rs 100 for Registration	50 % marks at graduation or post-graduation level / 45% at graduation level along with 2 years' supervisory/ managerial/ professional / teaching experience	3 Yrs	6 Yrs	6000/Semester (Ist & IIInd Semester) 4000/Semester (IIInd & IVth Semester) Rs. 4,500 (Vth Semester)	English Hindi * *under process	Adopted (VIKAS)
11	Master of Commerce	Bachelor Degree in Commerce	2 Yrs	6 Yrs	3,000 per Year (2 Years)	Hindi	Adopted (Kota Open University)
12	M.A. Yoga	Graduation in any Stream * Workshop Fee Rs 500 extra.	2 Yrs	6 Yrs	8,000 per Year (2 Years)	Hindi	Self Developed
13	Master Of Laws	LL.B. not less than 50% from any UGC recognized university or equivalent (5% relaxation for reserved category)	2 Yrs	6 Yrs	15,000 per Year (2 Years)	English Hindi Mixed Content	Self Developed
14	M.A. Economics	Graduation in any Stream	2 Yrs	6 Yrs	3000 per Year (2 Years)	Hindi	Self Developed
15	M.A. Political Science	Graduation in any Stream	2 Yrs	6 Yrs	3000 per Year (2 Years)	Hindi	Adopted (Kota Open University)
16	M.A. Public Administration	Graduation in any Stream	2 Yrs	6 Yrs	3000 per Year (2 Years)	Hindi	Adopted (Kota Open University)

17	M.A. History	Graduation in any Stream	2 Yrs	6 Yrs	3000 per Year (2 Years)	Hindi	Adopted (Kota Open University)
18	Master of Social Work	Graduation in any Stream	2 Yrs	6 Yrs	10000 per Year (2 Years)	Hindi	Self Developed
19	M.A. Sociology	Graduation in any Stream	2 Yrs	6 Yrs	3000 per Year (2 Years)	Hindi	Adopted (Kota Open University)
20	Master of Tourism Management	Graduation in any Stream	2 Yrs	6 Yrs	5000 per Year (2 Years)	English	Self Developed
21	Master of Hotel Management	1. DHM & CT, BHM, B.Sc in Hospitality and Hotel Management/ Administration 2. Graduation with three year Diploma in Hotel Management from NCHMT or Equivalent 3. Three years diploma in Hotel Management with a Masters degree in allied field (MTM/MHA) from a recognized institute / university 4. 10+2 + Three Years Diploma in Hotel Management from a Govt. Instt. with five years industry/academic experience	2 Yrs	6 Yrs	6000 per Semester (4 Semesters)	English	Self Developed
22	Master of Science (Botany)	Graduation in concerned or allied Subject	2 Yrs	6 Yrs	15,000 per Year (2 Years)	English	Adopted
23	Master of Science (Chemistry)	Graduation in concerned or allied Subject	2 Yrs	6 Yrs	15,000 per Year (2 Years)	English	Adopted
24	Master of Science (Physics)	Graduation in concerned or allied Subject	2 Yrs	6 Yrs	15,000 per Year (2 Years)	English	Adopted

स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम – BACHELOR DEGREE PROGRAMMES

Sl. No.	Programme	Eligibility	Duration Min Max		Programme Fee (INR)	Medium of SLM	
1	Bachelor of Computer Application	10+2 (Candidate not having mathematics at 10+2 will have to pass one qualifying paper of mathematics during the course of the programme) / BCAPP	3 Yrs	6 Yrs	6,500 per Semester (6 Semesters)	English	Adopted
2	Bachelor of Commerce	10+2 or BCPP/ BAPP	3 Yrs	6 Yrs	2,000 per Year (3 Years)	Hindi	Adopted (Kota Open University)
3	Bachelor of Business Administration	10+2 or BCPP	3 Yrs	6 Yrs	8,000 per Year (3 Years)	English Hindi* *under process	Adopted
4	Bachelor of Arts *	10+2 or BAPP *Jyotish, Karmkand, English, Hindi, Sanskrit, Urdu, Education, Political Science, Public Administration, Economics, History, Psychology, Sociology, Music, Home Science	3 Yrs	6 Yrs	2,000 per Year (3 Years)	Hindi	Self Developed
5	Ba Single Subject	10+2+3/ BA Equivalent	1 Yrs	3Yrs	800 per year	HINDI	
6	Bachelor of Yoga & Naturopathy	10+2, Lateral Entry in 2 nd Year for DYN * Workshop Fee Rs 500 extra.	3 Yrs	6 Yrs	6,500 per Year (3 Years)	Hindi	Self Developed
7	Bachelor of Hotel Management	10+2 or BAPP	3 Yrs	6 Yrs	16,000 per Year (3 Years)	English	Self Developed
8	Bachelor of Tourism Studies	10+2 or BAPP	3 Yrs	6 Yrs	3,500 per Year (3 Years)	English	Self Developed

9	B.A. Home Science	10+2	3 Yrs	6 Yrs	2000 per Year (3 Years)	Hindi / English	
10	Bachelor of Science(PCM)	10+2	3 Yrs	6 Yrs	8000 per Year (3 Years)	Hindi	
11	B.SC SINGLE SUBJECT	Gratuation in Science	3 Yrs	6 Yrs	3200 per Year (3 Years)	Hindi	
12	BEDSEDEHI-15-B.ED(SEDE) Hearing Impairment	Gratuation	2Yrs		8000 per Semester	Hindi	
13	BEDSEDELD-15-B.ED(SEDE) Learning Disability	Gratuation	2Yrs		8000 per Semester	Hindi	
14	BEDSEDEM-15-B.ED(SEDE) Mental Retardation	Gratuation	2Yrs		8000 per Semester	Hindi	
15	BEDSEDEVI-15-B.ED(SEDE)Visual Impairment	Gratuation	2Yrs		8000 per Semester	Hindi	

स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम – PG DIPLOMA PROGRAMMES

Sl. No.	Programme	Eligibility	Duration Min	Max	Programme Fee (INR)	Medium of SLM	
1	Post Graduate Diploma in Computer Application	Graduation in any stream	1 Yr	3 Yrs	9,500 per Semester (2 Semesters)	English (E-Learning)	Adopted
2	Post Graduate Diploma in Geo Informatics	Graduation in any stream	1 Yr	3 Yrs	22,000	English	Adopted
3	Post Graduate Diploma In Journalism & Mass Communication	Graduation in any stream	1 Yr	3 Yrs	4,000 per Semester (2 Semesters)	Hindi	Self Developed
4	Post Graduate Diploma In Broadcast Journalism & New Media	Graduation in any stream	1 Yr	3 Yrs	6,000 per Semester (2 Semesters)	Hindi	Self Developed
5	Post Graduate Diploma In Advertising and Public Relations	Graduation in any stream	1 Yr	3 Yrs	4,000 per Semester (2 Semesters)	Hindi	Self Developed
6	Post Graduate Diploma In Marketing Management	50 % marks at graduation or post-graduation level with 1 year experience in relevant field. Further those having 45% at graduation level shall also be eligible with 2 years supervisory / managerial / professional/teaching experience	1 Yr	3 Yrs	8,000	English	Adopted (VIKAS)
7	Post Graduate Diploma In Human Resource Management						
8	PG Diploma in Disaster Management	Graduation in any stream	1 Yr	3 Yrs	10,000	Hindi	Self Developed
9	PG Diploma in Cyber Law	Graduation in any stream	1 Yr	3 Yrs	5,000	English Hindi	Adopted

डिप्लोमा पाठ्यक्रम – DIPLOMA PROGRAMMES

Sl. No.	Programme	Eligibility	Duration		Programme Fee (INR)	Medium of SLM	
			Min	Max			
1	Diploma in Value Added Product from Fruits and Vegetables	10+2	1 Yr	3 Yrs	2,500 per Semester (2 Semesters)	Hindi	Self Developed
2	Diploma in Commercial Horticulture	10+2	1 Yr	3 Yrs	2,500 per Semester (2 Semesters)	Hindi	Self Developed
3	Diploma in Management of Non Wood Forest Products	10+2	1 Yr	3 Yrs	2,500 per Semester (2 Semesters)	English	
4	Diploma in Public Health and Community Nutrition	10+2	1 Yr	3 Yrs	5,000	Hindi	Self Developed
5	Diploma in Yoga and Naturopathy	10+2 or BAPP/ BCPP	1 Yr	3 Yrs	6,500	Hindi	Self Developed
6	Diploma in Phalit Jyotish	10+2 or Certificate Course in Jyotish	1 Yr	3 Yrs	3,000	Hindi	Self Developed
7	Diploma in Hotel Management	10+2 / BAPP	1 Yr	3 Yrs	16,000	English	Self Developed
8	Diploma in Front Office Management	10+2 / BAPP	1 Yr	3 Yrs	12,000	English	Self Developed
9	Diploma in Accommodation Management	10+2 / BAPP	1 Yr	3 Yrs	12,000	English	Self Developed
10	Diploma in Tourism Studies	10+2 / BAPP	1 Yr	3 Yrs	5,500	English	Self Developed
11	Diploma in Industrial Process	10 th Pass with ACCT-11/ACCT-15 or ITI WITH 2 Years experience	1/1/2	3 Yrs	8000 per Semester 3 Semester	English	
12	Diploma in Acupressure	10+2	1 Yr	3 Yrs	6000 per Semester 2 Semester	Hindi	
13	Diploma in Mangement	50 % marks at graduation or post-graduation level/ 45% at graduation level along with 2 years' supervisory/managerial/professional/teaching experience	1 Yr	3 Yrs	12,000	English	Adopted

प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम – CERTIFICATE PROGRAMMES

Sl.N o.	Programme	Eligibility	Duration		Programme Fee (INR)	Medium of SLM
			Min	Max		
1	Certificate in Medicinal and Aromatic Plants	10+2	6 Months	2 Yrs	2,500	Hindi
2	Certificate in Commercial Flower Production	10+2	6 Months	2 Yrs	2,500	Hindi
3	Certificate in Vegetable Production	10+2	6 Months	2 Yrs	2,500	Hindi
4	Certificate in Organic Farming	10+2	6 Months	2 Yrs	2,500	Hindi
5	Certificate in Geo Informatics	10+2	6 Months	2 Yrs	11,500	English
6	Certificate in Computer Application	10 th	6 Months	2 Yrs	3,500	English
7	Certificate in Mass Media	10+2 or BAPP	6 Months	2 Yrs	4,000	Hindi
8	Certificate in Vedic Karmkand	10 th or BAPP	6 Months	2 Yrs	1,000	Hindi
9	Certificate in Phalit Jyotish	10 th	6 Months	2 Yrs	1,200	Hindi
10	Certificate Course in Office Management	10 th	6 Months	2 Yrs	1,500	Hindi
11	Certificate in Ayurvedic Masseur	10 th	6 Months	2 Yrs	6,000	Hindi
12	Certificate in Ayurvedic Herb Cultivation	10 th	6 Months	2 Yrs	6,000	Hindi
13	Certificate in Harbal Beauty Care	10 th	6 Months	2 Yrs	6,000	Hindi
14	Certificate in Ayurvedic Food and Nutrition	10 th	6 Months	2 Yrs	1,200	Hindi
15	Certificate in Yogic Sciences	10+2 or BAPP/BCPP	6 Months	2 Yrs	3,500	Hindi
16	Certificate in Naturopathy	10+2 or BAPP/BCPP	6 Months	2 Yrs	3,500	Hindi
17	Certificate Course in Panchayati Raj	10 th	6 Months	2 Yrs	2,500	Hindi
18	Certificate in Acupressure	10+2	½	1 ½	6000	HINDI
19	ACCT-15-ADVANCED CERTIFICATE COURSE IN INDUSTRIAL TRAINING	10 TH PASS WITH CCTE-10/ CCTE-15 CERTIFICATE	2½	4	8000 per Semester 5 Semester	English Hindi
20	CCA1-15-Certificate Course in Automotive Assembly Level-1	CCAM-12/ CCAM-15 PASS	½	2	8000	English Hindi
21	CCA2-15-Certificate Course in Automotive Assembly Level-2	CCA1-12/ CCA1-15 PASS	½	2	8000	English Hindi
22	CCA3-15-Certificate Course in Automotive Assembly Level-3	CCA2-12/ CCA2-15 PASS	½	2	8000	English Hindi
23	CCAM-15-Certificate Course in Automotive Manufacturing	10 TH PASS	½	2	7000	English Hindi
24	CCTE-15-Certificate in Technical Excellence	10 TH PASS	½	1	7000	English Hindi
25	Certificate Course in Basic Workshop Techniques	10 TH PASS	½	1	3000	English Hindi

घ) विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम एवं उनमे पंजीकृत विद्यार्थियों का विवरण –

(सत्र 2015–16)

Sl. No.	Program Name	Program Code	No. of StudentYear/Semester					
			I	II	III	IV	V	VI
1	Master of Computer Application	MCA			75		25	
2	Master of Geo Informatics	MGIS	28	50				
3	Master of Science in Information Technology	M.SCIT	10		27			
4	M. A. Education-10	MAED-10		6				
	M. A. Education-12	MAED-12	662	452				
5	Master of Journalism & Mass Communication	MJMC	41		57			
6	M.A. Hindi-10	MAHD-10		2				
	M.A. Hindi-12	MAHL-12	783	358				
7	M.A. English	MEG-10		2				
	M.A. English	MAEL	989	385				
8	M.A. Sanskrit	MASL	423	158				
9	M.A. Urdu <i>ایم-اے اردو</i>	MAUL	44	20				
10	Master of Business Administration	MBA-10					1	
	Master of Business Administration	MBA-12				1		5
	Master of Business Administration	MBA-13	170		124			
11	Master of Commerce	M.COM	495	224				
12	M.A. Yoga	MAY-11		1				
	M.A. Yoga	MAY-12		3				
	M.A. Yoga	MAY-13	732	332				
13	Master Of Laws	LLM	85	91				
14	M.A. Economics	MAEC-10		3				
	M.A. Economics	MAEC-12	646	220				
15	M.A. Political Science	MAPS	893	344				
16	M.A. Public Administration	MAPA	50	35				
17	M.A. History	MAHI	431	163				
18	Master of Social Work	MSW	256		185			
19	M.A. Sociology	MASO	686	362				
20	Master of Tourism Management	MTM	29		17			
21	Master of Hotel Management	MHM	43		29			
22	Master of Science (Botany)	M.SC (BOTANY)	232	118				
23	Master of Science (Chemistry)	M.SC (CHEMISTRY)	265	156				
24	Master of Science (Physics)	M.SC (PHYSICS)-12		1				
	Master of Science (Physics)	M.SC (PHYSICS)-13	207	118				
25	Master of Science (Zoology)	MSCZO-12		1				
26	Master of Science (Zoology)	MSCZO-13		2				
27	Master of Science in Geography	MSCGE-12-		1				
28	-Master of Science in Mathematics	MSCMAT-12		1				
29	-Master of Art in Geography	MAGEO-12		1				
30	M. A. Psychology	MAPSY-12		5				
31	Master of Education (M.Ed.)	MED-12		86				
32	-M.SC.YOGA AND HOLISTIC HEALTH	MSY-11		1				
33	Bachelor of Computer Application	BCA	38		44		18	

34	Bachelor of Commerce	B.COM	682	224	137			
35	Bachelor of Business Administration	BBA	41		13		13	
36	Bachelor of Arts	BA-10		14				
	Bachelor of Arts	BA-12	6187	1743	1388			
37	Bachelor of Arts (Geography)	BAG	21	1	1			
38	BAGES-12-Bachelor of Arts (Single Subject) in Geography	BAGES-12	1					
39	Bachelor of Arts Preparatory Program	BAPP	1					
40	B.A. Single Subject	BAS-10		1	4			
	B.A. Single Subject	BAS-12	1626	1687	1788			
41	Bachelor of Yoga & Naturopathy	BYN	136	160	85			
42	Bachelor of Hotel Management	BHM	464	373	326			
43	Bachelor of Tourism Studies	BTS	7		7		14	
44	B.A. Home Science	BAHS						
45	Bachelor of Science	B.SC	126	45	24			
46	B.SC SINGLE SUBJECT	BScS-12	81	53	40			
47	BEDSEDEHI-15 -B.ED (SEDE) Hearing Impairment	BEDSEDEHI-15-	79					
48	BEDSEDELD-15 -B.ED (SEDE) Learning Disability	BEDSEDELD-15-	146					
49	BEDSEDEM-15 -B.ED (SEDE) Mental Retardation	BEDSEDEM-15-	201					
50	BEDSEDEVI-15 -B.ED (SEDE) Visual Impairment	BEDSEDEVI-15-	26					
51	Post Graduate Diploma in Computer Application	PGDCA	69					
52	Post Graduate Diploma in Geo Informatics	PGDGIS	17					
53	Post Graduate Diploma In Journalism & Mass Communication	PGDJMC	32					
54	Post Graduate Diploma In Broadcast Journalism & New Media	PGDBJ	3					
55	Post Graduate Diploma In Advertising and Public Relations	PGDAPR	3					
56	Post Graduate Diploma In Marketing Management	PGDMM						
57	Post Graduate Diploma In Human Resource Management	PGDHRM	3					
58	Diploma in Management	DIM						
59	PG Diploma in Disaster Management	PGDDM	20					
60	PG Diploma in Cyber Law	PGDCL	27					
61	Diploma in Value Added Product from Fruits and Vegetables	DVAPFV	4					
62	Diploma in Commercial Horticulture	DCH	10					
63	Diploma in Management of Non Wood Forest Products	DMNWFP						
64	Diploma in Public Health and Community Nutrition	DPHCN	45					
65	Diploma in Yoga and Naturopathy	DYN	635					
66	Diploma in Phalit Jyotish	DPJ	24					
67	Diploma in Hotel Management	DHM	415					
68	Diploma in Front Office Management	DFO	1					
69	Diploma in Accommodation Management	DAM						

70	Diploma in Tourism Studies	DTS	11					
71	Diploma in Acupressure	DIA	26					
72	Diploma in Industrial Process-14	DIIP-14			63			
73	Diploma in Industrial Process-15	DIIP-15	92					
74	Certificate in Medicinal and Aromatic Plants	CMAP						
75	Certificate in Commercial Flower Production	CCFP						
76	Certificate in Vegetable Production	CVP						
77	Certificate in Organic Farming	CCOF	2					
78	Certificate in Geo Informatics	CGIS						
79	Certificate in Computer Application	CCA	2					
80	Certificate in Mass Media	CMM	2					
81	Certificate in Vedic Karmkand	CVK						
82	Certificate in Phalit Jyotish	CPJ	8					
83	Certificate Course in Office Management	CCOM	10					
84	Certificate in Ayurvedic Masseur	CAM	1					
85	Certificate in Ayurvedic Herb Cultivation	CAHC						
86	Certificate in Herbal Beauty Care	CHBC	3					
87	Certificate in Ayurvedic Food and Nutrition	CAFN	16					
88	Certificate in Yogic Sciences	CYS	7					
89	Certificate in Naturopathy	CIN	8					
90	Certificate Course in Panchayati Raj	CCPR	1					
91	Certificate In Acupressure	CIA	4					
92	Advance Certificate Course in Industrial Training-11	ACCT-11			53		48	
93	Advance Certificate Course in Industrial Training-15	ACCT-15	52					
94	Certificate Course in Basic Workshop Techniques	CBWT						
95	Certificate Course in Technical Excellence	CCTE	227					
96	Certificate Course in Automotive Manufacturing	CCAM-15	191					
97	Certificate Coure in Automotive Assembly Level 1	CCA1-15	129					
98	Certificate Coure in Automotive Assembly Level 2	CCA2-15	81					
99	Certificate Coure in Automotive Assembly Level 3	CCA3-15	88					